MASK-UP INDIA

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 67 अंक : 4 पृष्ठ : 56 फरवरी 2021 मूल्य : ₹ 22

सशक्त होते ग्रामीण युवा

VISIT…

LANZAROTE
Caliente.COM

भारत 'युवाओं का, युवाओं द्वारा, युवाओं के लिए' पर आधारित स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए काम कर रहा है: प्रधानमंत्री

Prarambh
startupindia
12
35
महिला उद्यमियों की 44% भागीदारी
OPEN
दुनिया का सबसे तेज़ बढ़ता स्टार्ट अप इकोसिस्टम

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टार्टअप्स के साथ बातचीत की और 'प्रारंभः स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट' को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप्स आज व्यवसाय की जनसांख्यिकीय विशिष्टता को बदल रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज भारत में 44 प्रतिशत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में महिलाएं निदेशक हैं और इन स्टार्टअप में काम करने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसी तरह, 45 प्रतिशत स्टार्टअप्स टियर–2 और टियर–3 शहरों में आते हैं, जो स्थानीय उत्पादों के ब्रांड एम्बेसेडर की तरह काम कर रहे हैं। हर राज्य अपनी स्थानीय संभावनाओं के हिसाब से स्टार्टअप्स को मदद और संरक्षण दे रहे हैं और आज देश के 80 प्रतिशत ज़िले स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट से जुड़े हैं। इस इकोसिस्टम में सभी पृष्ठभूमि के युवा अपनी संभावनाओं को आकार देने में सक्षम हैं। श्री मोदी ने आगे कहा, 2014 में केवल 4 भारतीय स्टार्टअप्स 'यूनिकॉर्न क्लब' में शामिल थे, लेकिन आज 30 से ज़्यादा स्टार्टअप्स, 1 बिलियन मार्क को पार कर चुके हैं।

कोरोना काल के दौरान 2020 में 11 स्टार्टअप्स के 'यूनिकॉर्न क्लब' में शामिल होने के तथ्य का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने संकट के समय आत्मनिर्भरता में उनके योगदान को रेखांकित किया। स्टार्टअप्स ने सैनिटाइज़र्स, पीपीई किट्स की उपलब्धता और इससे जुड़ी सप्लाई चेन को बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने 'आपदा में अवसर' तलाशने के स्टार्टअप्स के उत्साह की सराहना की।

बिम्सटेक देशों का यह पहला स्टार्टअप कॉन्क्लेव था। स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट के पांच साल पूरे होने के अवसर पर 'प्रारम्भ' का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने बिम्सटेक देशों जैसे बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाइलैंड में स्टार्टअप क्षेत्र में मौजूद जीवंत ऊर्जा का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सदी डिजिटल रिवोल्यूशन और आधुनिक नवाचारों (न्यू एज इनोवेशंस) की सदी है। यह एशिया की भी सदी है। इसलिए, यह समय की मांग है कि भविष्य की तकनीक और उद्यमी हमारे क्षेत्र से निकलें। इसके लिए, प्रधानमंत्री ने ज़ोर दिया कि एशिया के देशों को, जिनमें एक–दूसरे के साथ काम करने की इच्छा है, आगे आकर ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए और एक साथ आना चाहिए।

- कोरोना संकट के दौरान आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के स्टार्टअप्स का महत्वपूर्ण योगदान
- कुछ नया करना और काम में विविधता लाने की क्षमता हमारे स्टार्टअप्स के दो बड़े यूएसपी
- स्टार्टअप नए दृष्टिकोण, नई तकनीक और नए तौर– तरीकों को लेकर आ रहे हैं।
- भीम–यूपीआई से भारत में भुगतान व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव
- सौर ऊर्जा और एआई क्षेत्रों में भी अगुवाई कर रहा है भारत
- 1000 करोड़ रुपये के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की घोषणा
- 8 हजार स्टार्टअप्स जीईएम पोर्टल पर रजिस्टर हैं, 2300 करोड़ रुपये का व्यापार किया हैः
- यह डिजिटल क्रांति और नए युग के नवाचारों की सदी है
- इस सदी को एशिया की सदी बनाने के लिए बिम्सटेक देशों के बीच आपसी सहयोग का आह्वान

प्रधानमंत्री ने 'इवोल्यूशन ऑफ स्टार्टअप इंडिया' शीर्षक से एक पुस्तिका का विमोचन किया, जिसमें स्टार्टअप क्षेत्र में भारत के 5 साल के सफर के अनुभवों को दर्ज़ किया गया है। प्रधानमंत्री ने खाद्य और कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं की ओर संकेत किया, क्योंकि लोगों में अपने खान–पान को लेकर जागरूकता बढ़ी है। भारत ने एक लाख करोड़ रुपये के पूंजी आधार के साथ एग्री इंफ्रा फंड बनाते हुए इन क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप की दुनिया की सबसे बड़ी यूएसपी (काम करने का तरीका) इनकी विघटन और विविधीकरण की क्षमता है। विघटन इसलिए, क्योंकि वे नई सोच, नई तकनीक और नए तौर–तरीकों को जन्म दे रहे हैं; विविधता इसलिए क्योंकि वे अभूतपूर्व पैमाने और क्षमता के साथ विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाने वाले विविध विचारों के साथ आगे आ रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी खरीद पोर्टल जीईएम के माध्यम से स्टार्टअप्स को नए अवसर मिल रहे हैं, क्योंकि जीईएम पोर्टल पर 8 हजार स्टार्टअप पंजीकृत हैं और उन्होंने जीईएम के जरिए 2300 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।

प्रधानमंत्री ने एक हजार करोड़ रुपये के साथ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड शुरू करने की घोषणा की, ताकि स्टार्टअप्स के लिए शुरुआती पूंजी में कोई कमी न हो। इससे नए स्टार्टअप शुरू करने और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। पहले से ही फंड ऑफ फंड्स स्कीम स्टार्टअप्स को इक्विटी कैपिटल जुटाने में मदद कर रही है। सरकार गारंटी के जरिए पूंजी जुटाने में भी स्टार्टअप्स की मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 'युवाओं का, युवाओं द्वारा, युवाओं के लिए' (ऑफ द यूथ, बाई द यूथ, फॉर द यूथ) के मंत्र के आधार पर एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए काम कर रहा है, हम अगले पांच वर्षों के लिए अपने लक्ष्यों को तय करें और यह लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे स्टार्टअप्स, हमारे यूनिकॉर्न वैश्विक दिग्गज के रूप में उभरें और भविष्य की तकनीक का नेतृत्व करें।

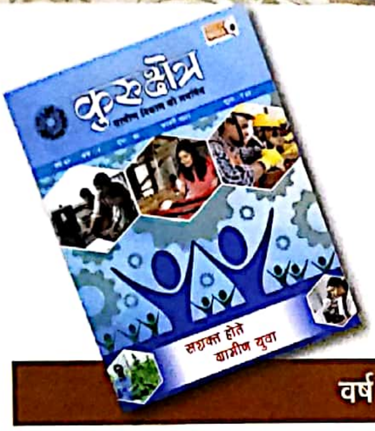

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

इस अंक में

वर्ष : 67 ★ मासिक अंक : 4 ★ पृष्ठ : 56 ★ माघ–फाल्गुन 1942 ★ फरवरी 2021

प्रधान संपादक: **शुभा गुप्ता**
वरिष्ठ संपादक : **ललिता खुराना**
उत्पादन अधिकारी : **के. रामालिंगम**
आवरण : **राजिन्द्र कुमार**
सज्जा : **मनोज कुमार**

संपादकीय कार्यालय
कमरा नं. 655, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110 0 03
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in
ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

व्यापार प्रबंधक
दूरमाष : 011-24367453

कुरुक्षेत्र मंगवाने की दरें
एक प्रति: ₹ 22, विशेषांक : ₹ 30, वार्षिक : ₹ 230,
द्विवार्षिक : ₹ 430, त्रिवार्षिक : ₹ 610

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय–वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

कुरुक्षेत्र की सदस्यता का शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही पत्रिका प्राप्त न होने की शिकायत करें।

पत्रिका न मिलने की शिकायत हेतु इस पते पर मेल करें ई-मेल : pdjucir@gmail.com कुरुक्षेत्र की सदस्यता लेने या पुराने अंक मंगाने के लिए भी इसी ई-मेल पर लिखें या संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए दूरमाष: 011-24367453 पर संपर्क करें।

कुरुक्षेत्र की सदस्यता की जानकारी लेने तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें–

गौरव शर्मा, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली–110003

युवा सशक्तीकरण से ग्रामीण भारत का पुनर्निर्माण 5
–डॉ. के. राजेश्वर राव और डॉ. साक्षी खुराना

एग्रीटेक स्टार्टअप्स : युवाओं के लिए बेहतरीन विकल्प 10
–डॉ. जगदीप सक्सेना

नई तकनीकों से युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर 15
–रेम्या लक्ष्मणन

नया भारत@75
कौशल-संपन्न युवाओं के लिए कृषि उद्यमिता में अपार संभावनाएं 18
–डॉ. सतेन्द्र सिंह आर्या

सशक्त युवा, सशक्त राष्ट्र 22
–डॉ. श्रद्धा वशिष्ठ

जानकारी
कोविड-19 वैक्सीन पर आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न 28

समता, सशक्तीकरण और विकास के लिए वैज्ञानिक उद्यमशीलता में अवसर 30
–निमिष कपूर

सशक्त ग्रामीण युवा : आत्मनिर्भर भारत की पहली सीढ़ी 36
–शिशिर सिन्हा

एमएसएमई से रोज़गार का बढ़ता दायरा 40
–मंजरी कुमारी

आत्मनिर्भर भारत के लिए महिला सशक्तीकरण 44
–प्रमोद जोशी

स्वरोज़गार
सूकर पालन: कम पूंजी से अच्छी कमाई 49
–श्रवण शुक्ला

कुपोषण-मुक्त भारत
हर गांव-हर घर में पोषण वाटिका की ज़रूरत 51
–डॉ. नन्दकिशोर साह

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011–24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011–23890205
नवी मुंबई	701, सी-विंग, सातवीं मंज़िल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नई गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बैंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ विंग, केंद्रीय सदर, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-ए, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4–सी, नैप्च्युन टॉवर, चौथी मंज़िल, एचपी पेट्रोल पंप के निकट, नेहरू ब्रिज कार्नर, आश्रम रोड, अहमदाबाद	380009	079-26588669

संपादकीय

स्वामी विवेकानंद ने कहा था "मुझे 100 ऊर्जावान युवक दीजिए और मैं भारत को बदल दूंगा"। आज जब भारत जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में है और विश्व में सबसे युवा राष्ट्र है तो भारत के पास जितनी ऊर्जा, उमंग और उत्साह से भरपूर युवा शक्ति है उसे अगर सही दिशा और अवसर मिले तो भारत निःसंदेह विश्वगुरु बन सकता है।

आज का युवा देश का भविष्य है और सशक्त युवा ही एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान कर सकता है। ऐसे में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए जरूरी है कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए सरकार पुरज़ोर प्रयास करें।

भारत सरकार इस अवसर का भरपूर उपयोग करना चाहती है और इसीलिए अधिकतर योजनाएं और कार्यक्रम युवाओं को ही केंद्र में रखकर बनाए जा रहे हैं। भारत की सामाजिक और आर्थिक प्रगति और क्षमता निर्माण के लिए इससे बेहतरीन समय नहीं हो सकता। इसी के मद्देनज़र भारत सरकार इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है और अभिनव और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए परिवर्तनकारी नई नीतियां लागू कर रही है।

युवा लोगों की सफलता इस पर निर्भर करती है कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ–साथ उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। एक विश्लेषण से यह निष्कर्ष सामने आया है कि अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, जीवनयापन के लिए अवसर और निर्णय प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर सहभागिता से जीवन–स्तर की गुणवत्ता में सुधार निश्चित होता है।

दक्ष युवा कार्यबल के लिए अच्छा स्वास्थ्य पहली आवश्यकता है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि युवा स्वस्थ जीवन के लिए अपनी जीवनशैली को बेहतर करने पर ध्यान दें और अच्छी आदतों के अनुकरण को महत्व दें। जागरूकता सृजन वह बुनियादी प्रयास है जिससे सजग जीवनशैली अपनाने के लिए लोगों की मदद की जा सकती है। इसी के मद्देनजर हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 यह सुनिश्चित करती है कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य एवं साफ–सफाई को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। यह नीति किशोरावस्था में स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों और उनकी स्वास्थ्य देखभाल के लिए दीर्घ अवधि की निवेश की आवश्यकताओं पर ज़ोर देती है।

इसी तरह, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संकल्पना भारत को विश्व में ज्ञान का सुपर पॉवर बनाना है। यह परिष्कृत ज्ञान के विकास, भारत के युवाओं की सामाजिक, शारीरिक और मानसिक क्षमता निर्माण को भी बढ़ावा देने में मदद करेगी।

डॉ कलाम प्रायः बच्चों को पहला वैज्ञानिक मानते थे क्योंकि बच्चे हर एक चीज के लिए प्रश्न करते हैं 'क्यों?' जिज्ञासा ही हर एक बच्चे की रचनात्मक क्षमता का द्वार खोलती है। छात्रों को प्रश्न पूछने और तार्किक चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में नई शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण कदम है। अकादमिक शिक्षा और अन्य गतिविधियों के ज़रिए बच्चों का समग्रता से विकास हो सके, इस बात का इस नीति में पूरा ध्यान रखा गया है।

सरकार का लक्ष्य युवाओं को नव उद्यमी, निर्माता, सृजनकर्ता और भविष्य के भारत का नेतृत्वकर्ता बनाना है। कार्य करने योग्य युवा जनसंख्या को नौकरी और अन्य आय के संभावित स्रोत उपलब्ध कराने की दिशा में भी भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप और उद्यमिता क्षेत्र में भारत उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। आज देश में एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिसकी तलाश में अक्सर हमारे युवा विदेशों का रुख करते थे। वहां की आधुनिक शिक्षा, नौकरी और उद्यमिता के बेहतर अवसर, टैलेंट को पहचानने वाली, सम्मान देने वाली व्यवस्था उन्हें स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती थी। अब देश में ही ऐसी व्यवस्था कायम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

एक तरफ भारत सरकार युवाओं में नवाचार, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया और कौशल विकास के ज़रिए 'आत्मनिर्भर' भारत पर ज़ोर दे रही है तो दूसरी तरफ, युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेलकूद और योग के प्रति जागरूक करने का भी पूरा प्रयास कर रही है क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। खेलो इंडिया और अन्य कई कार्यक्रमों के जरिए खेल–कूद पर ज़ोर दिया जा रहा है।

युवाओं की खेलों में रुचि बनाए रखने के लिए हाल ही में युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने चार देसी खेलों को खेलो इंडिया युवा खेल–2021 में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। इस पहल से इन खेलों सहित योगासनों को भी राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी और ये देश के नौजवानों तथा खेल प्रेमियों में लोकप्रिय बनेंगे। खेलों के संदर्भ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था–"खेल शिक्षा का ही एक तरीका है जो सिर्फ शरीर को ही चुस्त–दुरुस्त नहीं रखता बल्कि मस्तिष्क को जागृत करता है। खेल से हम अनुशासन सीखते हैं। खेल का मैदान हमें हार का मतलब समझाता है। खेल का मैदान हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अथक परिश्रम करना सिखाता है। टीम भावना का क्या अर्थ है, ये सबसे पहले हमें खेल के मैदान में ही नज़र आता है। हारें चाहे जीतें लेकिन खेल के मैदान से हम जो 'स्पोर्ट्समैन स्पिरिट' सीखते हैं, वो जीवन भर काम आती है।"

आज हमारे देश को ऐसे ही "निडर, बेबाक, साहसी और आकांक्षी'' युवाओं की ज़रूरत है जो देश को नई ऊंचाईयों तक ले जा सकें।

युवा सशक्तीकरण से ग्रामीण भारत का पुनर्निर्माण

–डॉ. के. राजेश्वर राव और डॉ. साक्षी खुराना

हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए कृषि के प्रति युवाओं की रूचि को बनाए रखना देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण नौजवानों को कृषि के विकास में शामिल करने के लिए नए और नवाचार पर आधारित उपायों को अपनाना ज़रूरी है। साथ ही, हमें युवाओं को सांस्कृतिक, डिजिटल और सोशल मीडिया मंचों से जोड़े रखना होगा ताकि वे अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों के बारे में जागरूक बनें और ग्रामीण भारत के पुनर्निर्माण के अग्रदूत बन कर सामने आएं।

युवाओं के चहुंमुखी विकास के लिए कौशल विकास, रोज़गार, उद्यमिता, नवप्रवर्तन और प्रतिभा के विकास पर और अधिक ज़ोर देते हुए उन्हें सशक्त बनाने की नीति बहुत ज़रूरी है। 2018 में शुरू किए गए और नीति आयोग से जुड़े 'आकांक्षी ज़िलों में आमूल परिवर्तन के कार्यक्रम' के हिस्से के रूप में 112 आकांक्षी ज़िलों में समाज के दुर्बल वर्गों और उपेक्षित क्षेत्रों के युवाओं सहित सभी नौजवानों को कौशल प्रशिक्षण देने पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है। इन ज़िलों में अनेक एजेंसियां और अन्य संबद्ध पक्ष युवाओं को अधिकार–संपन्न बनाने के लिए आगे आए हैं। पहले की गई पहलों और अभियानों से यह बात ज़ाहिर हो गई है कि जब भी युवाओं को सामाजिक उद्देश्यों के लिए एकजुट किया जाता है तो इससे समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है और हर किसी को युवा नेताओं के पदचिन्हों पर चलने को प्रेरित किया जा सकता है।

राष्ट्र की प्रगति के लिए युवाओं के नेतृत्व में विकास होना अत्यंत आवश्यक है। 35 साल से कम उम्र की लगभग 65 प्रतिशत आबादी वाले भारत को दुनिया का सबसे युवा देश कहा जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण नौजवानों की है। भारत के ग्रामीण युवाओं में देश के विकास को बढ़ाने वाले आर्थिक इंजन का चालक बनने की क्षमता है। इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि नौजवानों को ग्रामीण भारत के पुनर्निर्माण के लिए अपनी सृजनात्मकता, अपने कौशल और ज्ञान को एकजुट कर आगे बढ़ने को प्रेरित किया जाए।

युवाओं के चहुंमुखी विकास के लिए कौशल विकास, रोज़गार, उद्यमिता, नवप्रवर्तन और प्रतिभा विकास पर और अधिक ज़ोर देते हुए उन्हें सशक्त बनाने की नीति बहुत ज़रूरी है। कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए अलग से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का गठन 2014 में किया गया था। देशभर में कौशल

You Can Dream It,

विकास के प्रयासों को लागू करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए मज़बूत संस्थागत ढांचा खड़ा करने के उद्देश्य से 15 जुलाई, 2015 को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत देशभर में एक करोड़ से अधिक युवाओं को साल में विभिन्न दीर्घावधि और अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार ने कौशल विकास की पहलों में और अधिक तालमेल कायम करने, इन तक पहुंच बढ़ाने, कौशल विकास के पैमाने में वृद्धि करने और युवाओं की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू–जीकेवाई) ग्रामीण भारत में कौशल और रोज़गार की दिशा में एक कदम है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनेक पहलों में से एक है। देश में गरीबी में कमी लाने के उद्देश्य से शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) के अंतर्गत ग्रामीण आजीविका में वृद्धि के लिए प्रयास किए जाते हैं। इसी तरह ग्रामीण स्वरोज़गार और प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए कौशल का विकास किया जाता है। इसमें प्रशिक्षणार्थियों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने और अपना सूक्ष्म उद्यम शुरू करने में सक्षम बनाया जाता है।

> हाल में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 युवाओं के सशक्तीकरण का बड़ा शानदार अवसर बन सकती है। इसमें व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को चरणबद्ध तरीके से मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए नई नीति में स्कूलों के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के व्यावसायिक विषयों की जानकारी दी गई है। व्यावसायिक शिक्षा पर ज़ोर देने से युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी और उनके व्यक्तित्व का चहुंमुखी विकास भी होगा।

देश के तमाम राज्यों के ग्रामीण इलाके दीनदयाल उपाध्याय– ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू–जीकेवाई) और ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) योजनाओं के दायरे में आते हैं। दीर्घावधि कौशल प्रशिक्षण देशभर में कार्य कर रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दिया जाता है। यह बात महत्वपूर्ण है कि आईटीआई, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के आईटीआई अपने औद्योगिक साझेदारों के घनिष्ठ सहयोग के साथ कार्य करते हैं ताकि विद्यार्थियों को संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान ही उद्योगों में व्यावहारिक कार्य करने का प्रशिक्षण भी मिल जाए। इस तरह का औद्योगिक सहयोग विद्यार्थियों के प्रशिक्षण लेने के बाद रोज़गार हासिल करने का अभिन्न अंग है।

अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम–प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत एक करोड़ से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है। यह 2015 में शुरू की गई थी और हाल ही में इसका तीसरा चरण पीएमकेवी–3.0 शुरु हो चुका है। इसका उद्देश्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और ज़िलों के और अधिक सहयोग से अधिक विकेंद्रित क्रियान्वयन ढांचा तैयार करना है। राज्य कौशल विकाास मिशन के दिशा–निर्देशन में ज़िला कौशल समितियां अपनी खास चुनौतियों, अपनी ताकत और क्षमताओं की पहचान करने और उनका फायदा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उदाहरण के लिए ज़िला प्रशासन और ज़िलों के सिविल सोसायटी संगठनों को स्थानीय कौशलों और स्थानीय उत्पादों की अच्छी जानकारी होती है जिसका फायदा उठाकर उत्पादों का विपणन किया जा सकता है। कौशल प्रशिक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए कौशल विकास का विकेंद्रीकरण बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक समावेशन की दृष्टि से भी ऐसा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि महिलाओं और बालिकाओं, विकलांग जनों, और अनुसूचित जातियों/जनजातियों के ग्रामीण नौजवान और अल्पसंख्यकों की कौशल विकास कार्यक्रमों तक पहुंच आसान हो। उदाहरण के लिए जम्मू–कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में शॉल बुनने और महिलाओं के लिए पारंपरिक कशीदाकारी की अनोखी 'मोबाइल कौशल प्रशिक्षण' पहल की गई है। गांव की 25–30 महिलाओं के एक समूह को स्थानीय निवासियों से किराए पर ली गई जगह में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। किसी गांव में महिला प्रशिक्षणार्थियों द्वारा ट्रेनिंग पूरी कर लेने पर कौशल केंद्र दूसरी जगह और दूसरे गांव में चला जाता है।

कौशल प्रदान करने की मौजूदा क्षमताओं के आकलन और संभावित कौशल अवसंरचना की पहचान से बेहतर क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास में मदद मिल सकती है। ज़िला कौशल समितियां सूचना, शिक्षा और संचार के जरिए जागरूकता पैदा करने और समस्याओं के समाधान में मदद कर सकती हैं। वे कौशलों तक पहुंच सुनिश्चित करने और कौशलों को स्थानीय लोगों के लिए प्रासंगिक बनाने तथा उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के बारे में भी नए–नए तौर–तरीके भी सुझा सकती हैं।

2018 में प्रारंभ हुए नीति आयोग के 'आकांक्षी ज़िलों में आमूल परिवर्तन' के कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 112 आकांक्षी ज़िलों में समाज के दुर्बल वर्गों और उपेक्षित क्षेत्रों के युवाओं सहित नौजवानों के कौशल प्रशिक्षण पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है। इन ज़िलों में अनेक एजेंसियां और अन्य संबद्ध पक्ष युवाओं को अधिकार–संपन्न बनाने को आगे आए हैं। आकांक्षी ज़िलों में स्वास्थ्य और पोषण, कृषि और जल संसाधन, शिक्षा, वित्तीय समावेशन और पहले उठाए गए कदमों और अभियानों में मिली सफलता से ग्रामीण युवाओं के सामाजिक–अर्थिक विकास में काफी मदद मिल रही है।

टेक्नोलॉजी, जिसका उपयोग नौजवान लोग पुरानी पीढ़ी के मुकाबले अधिक दक्षता के साथ और आसानी से कर सकते हैं, हमें राष्ट्र की उन्नति में नए कीर्तिमान स्थापित करने में मदद कर

सकती है। कोविड–19 के बाद के दौर में देश के सामने सबसे ज्वलंत समस्याओं का समाधान खोजने में टेक्नोलॉजी की भूमिका का पता लगाया गया। नीति आयोग ने श्रम और रोज़गार मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, युवा कार्य मंत्रालय और कारपोरेट क्षेत्र के समर्थन और सहयोग से डिजिटल आजीविका तक पहुंच सुलभ बनाने वाले प्लेटफार्म–'उन्नति' के शुभारंभ की पहल की है। इस प्लेटफार्म में सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे और प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके श्रमिकों को देशभर के नियोक्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे रोज़गार के अवसरों से अवगत कराने की जबर्दस्त क्षमता है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर आधारित आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी–नियोक्ता मैपिंग 'असीम' नाम का डिजिटल प्लेटफार्म भी शुरू किया है जो विभिन्न क्षेत्रों में कुशल श्रमशक्ति की मांग और आपूर्ति के अंतर को दूर कर सकता है। यह प्लेटफार्म स्किल इंडिया पोर्टल पर विभिन्न राज्यों और केंद्रीय कौशल योजनाओं के उम्मीदवारों के डाटा को समन्वित करता है। यह देश में मज़दूर प्रवासियों और कोविड महामारी की वजह से विदेशों से लौटे प्रवासी भारतीयों का डाटाबेस है और रोज़गार खोज रहे श्रमिकों को, खासकर कोविड–19 के बाद के दौर में, अपने पड़ोस में आजीविका के अवसरों से जोड़ता है।

भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य कम्प्यूटर कौशल वाले युवाओं को प्रोत्साहित करना और देश में बढ़ती इंटरनेट संपर्क सुविधा का फायदा उठाना है। नौजवान पीढ़ी समूचे देश में डिजिटल साक्षरता और इसके प्रसार के मुख्य प्रेरक की भूमिका खासतौर पर निभा सकती है। डिजिटल इंडिया के इस सफर का असर युवाओं सहित भारतीय नागरिकों के जीवन के सभी पहलुओं पर पड़ा है। इस संबंध में आधार, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कॉमन सर्विस सेंटर, डिज़ी लॉकर, मोबाइल आधारित उमंग सेवाएं, माईगॅव के माध्यम से सहभागितापूर्ण अभिशासन और जीवन प्रमाण से लेकर यूपीआई, आयुष्मान भारत, ई–हॉस्पिटल, पीएम–किसान, ई–नाम, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, स्वयं, स्वयंप्रभा, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, ई–पाठशाला जैसी अनेक सेवाओं का उल्लेख किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए–दिशा) का शुभारंभ ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता के प्रसार के लिए किया गया। इस अभियान को कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी) के नेटवर्क के जरिए सुदृढ़ किया गया है जो छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। कॉमन सर्विस सेंटरों की नागरिकों के सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है। खासतौर पर युवाओं को सूचना, ज्ञान और डिजिटल कौशलों के जरिए सशक्त बनाने में सीएससी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से संचालित हमारे भविष्य की बुनियाद रखने के लिए हाल ही में 'राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पोर्टल' और 'युवाओं के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस' की शुरुआत की गई। डिजिटल इंडिया पहल ने कोविड–19 के प्रकोप के दौरान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आरोग्य सेतु, ई–संजीवनी, माईगॅव और अन्य सोशल मीडिया मंचों के जरिए लोगों को संवेदनशील बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया।

पिछले अभियानों और पहलों से पता चलता है कि जब किसी सामाजिक उद्देश्य का नेतृत्व करने के लिए युवा आगे आते हैं तो अंतर स्पष्ट देखा जा सकता है और समाज का प्रत्येक व्यक्ति युवा नेताओं के पदचिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित होता है। नेहरू युवा केंद्र संगठनों द्वारा आयोजित की जाने वाली युवा संसद

ने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में वाद–विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित करने और बहस छेड़ने तथा उन्हें स्वच्छ भारत अभियान व श्रमदान जैसी गतिविधियों के लिए एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युवाओं ने कोविड–19 से सुरक्षा के अभियान का नेतृत्व करने और महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की सहायता करने में भी शानदार योगदान किया है। नेहरू युवा केंद्र, एन.एस.एस., एस.एच.जी. आदि को आने वाले महीनों में कोविड टीकाकरण अभियान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को सही–सही सूचना देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

> सरकार खोखो, कबड्डी, मल्लखम्ब, कलरिपयत्तू, गतका और थंग–टा जैसे देसी खेलों को भी प्रोत्साहन और मदद दे रही है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने हाल ही में चार देसी खेलों गतका, कलरिपयत्तू, थंग–टा और मल्लखम्ब को हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया युवा खेल–2021 में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल से इन खेलों सहित योगासनों को राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी और ये देश के नौजवानों तथा खेल प्रेमियों में लोकप्रिय बनेंगे।

हाल में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 युवाओं के सशक्तीकरण का बड़ा शानदार अवसर बन सकती है। इसमें व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को चरणबद्ध तरीके से मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए नई नीति में स्कूलों के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के व्यावसायिक विषयों की जानकारी दी गई है। व्यावसायिक शिक्षा पर ज़ोर देने से युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी और उनके व्यक्तित्व का चहुंमुखी विकास भी होगा। इसके लिए जहां व्यावसायिक विषयों के और अधिक अध्यापक भर्ती करने होंगे, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में युवा स्वयंसेवी स्कूलों के अध्यापकों की मदद में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। इसके अलावा, ये स्वयंसेवक विद्यार्थियों और उनके माता–पिता में इस बात की जागरूकता पैदा कर सकते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा से किस तरह विद्यार्थियों की नौकरी और रोज़गार की संभावनाएं बढ़ाई जा सकती हैं।

स्वामी विवेकानंद का विचार था कि युवा लोग अपने लिए और दूसरों के लिए सफल जीवन का निर्वाह तभी कर सकते हैं जब वे शारीरिक दृष्टि से पूरी तरह फिट हों। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव पर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के संकल्प को पारित किया। 2015 से दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और भारत में युवा इसके आयोजन का उत्साहपूर्वक नेतृत्व करते हैं। सरकार ने नेहरू युवा केंद्र, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के साथ–साथ एन.सी.सी., स्काउट्स और गाइड्स तथा अन्य युवा संगठनों के सहयोग से शारीरिक रूप से चुस्त–दुरस्त रहने के बारे में जन जागृति फैलाने के लिए 'फिट इंडिया अभियान' की शुरुआत की।

नीति आयोग ने 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलिम्पिक खेलों में 50 ओलिम्पिक पदक जीतने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2016 में अपनी कार्ययोजना 'आओ खेलें' में 20 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसमें कई सिफारिशें की गई हैं जिनमें व्यक्तिगत खेल स्पर्धाओं के लिए देश में और अधिक खेल अकादमियां स्थापित करने, स्कूलों के बजट का एक निश्चित हिस्सा खेलकूद के बुनियादी ढांचे और खेल सामग्री पर खर्च करने और देसी व क्षेत्रीय खेल क्षमताओं का लाभ उठाने जैसे अनेक सुझाव दिए गए हैं। खेलों इंडिया– राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम के माध्यम से खेल–कूद और उभरती खेल प्रतिभाओं को विशेष रूप से बढ़ावा देने का भी सुझाव सामने आया है। यह कार्यक्रम अक्तूबर 2017 में शुरू किया गया था। सरकार खोखो, कबड्डी, मल्लखम्ब, कलरिपयत्तू, गतका और थंग–टा जैसे देसी खेलों को भी प्रोत्साहन और मदद भी दे रही है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने हाल ही में चार देसी खेलों गतका, कलरिपयत्तू, थंग–टा और मल्लखम्ब को हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया युवा खेल–2021 में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल से इन खेलों सहित योगासनों को राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी और ये देश के नौजवानों तथा खेल प्रेमियों में लोकप्रिय बनेंगे। आने वाले वर्षों में मंत्रालय ने कुछ और खेलों को 'खेलो इंडिया' में शामिल करने की योजना बनाई है। राज्य भी अंतर–ज़िला और अंतर–राज्य प्रतियोगिताओं के

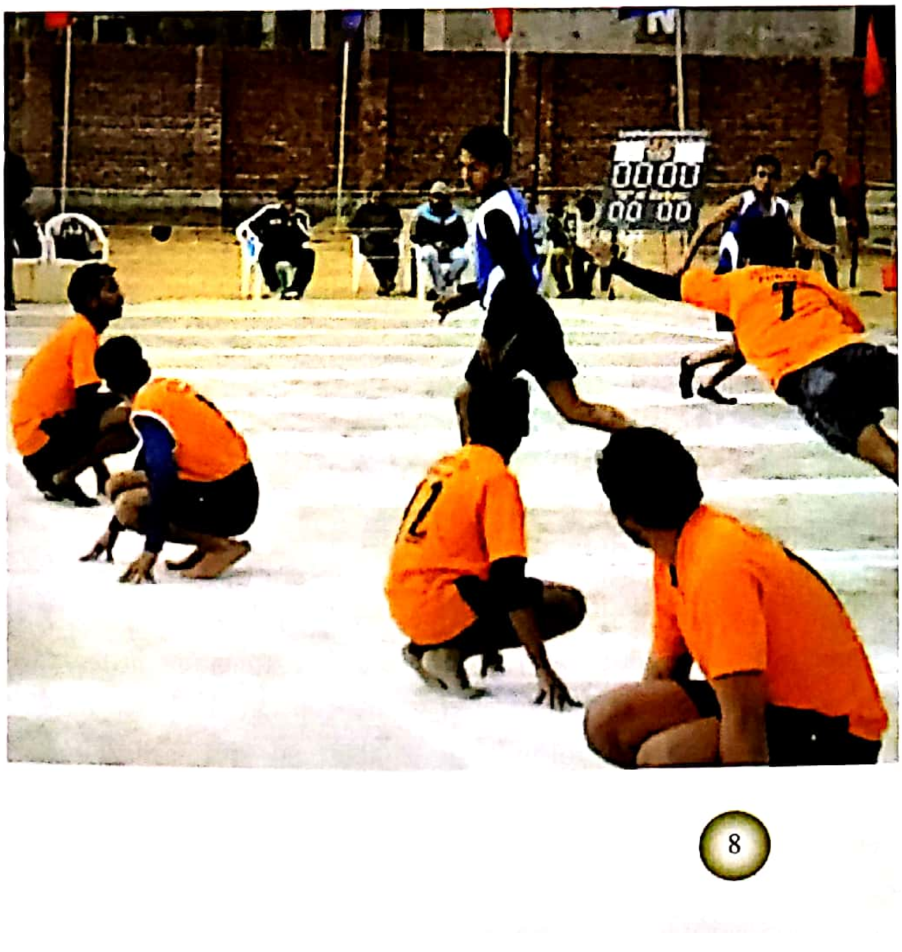

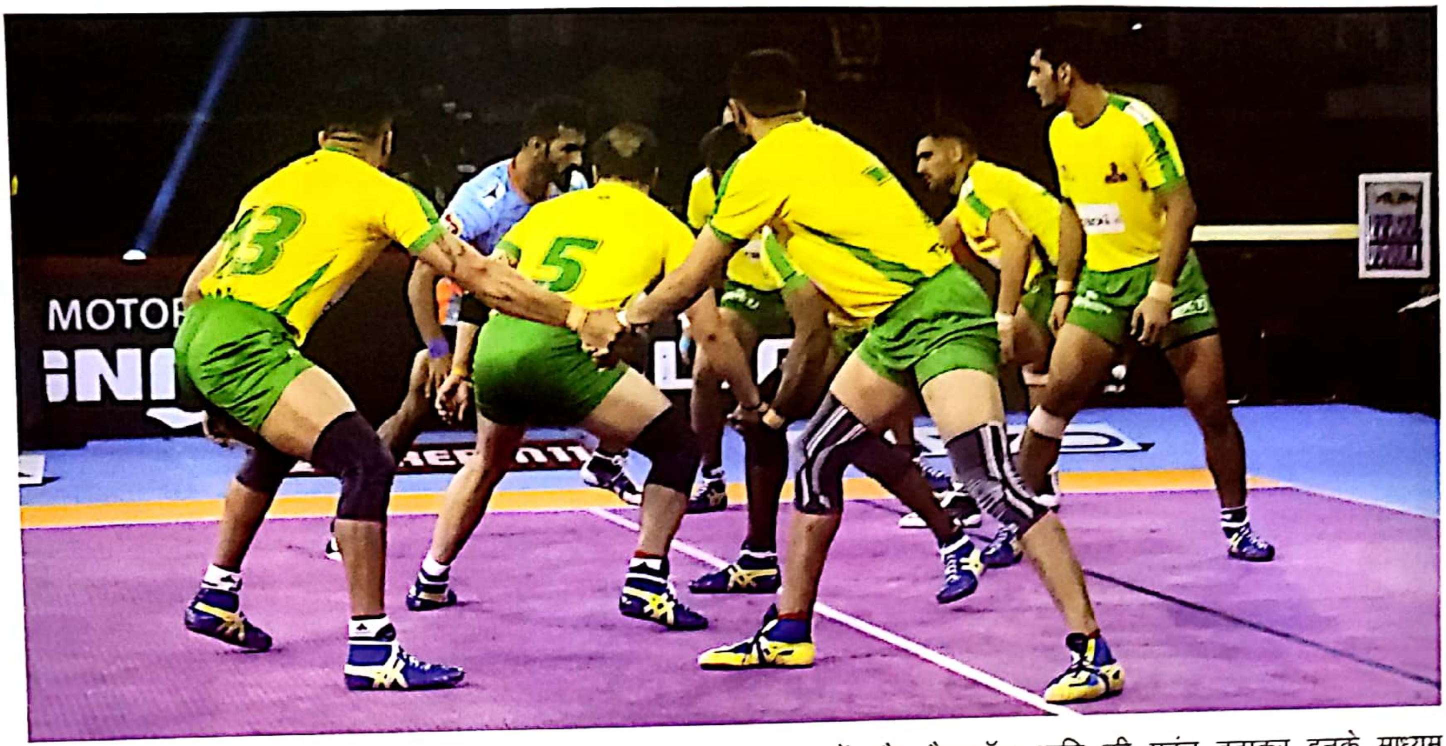

आयोजन और ग्रामीण क्षेत्रों के युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा का विकास करके क्षेत्रीय खेलों को और प्रोत्साहन दे सकते हैं। प्रतिस्पर्धा और मनोरंजन के तौर पर ग्रामीण नौजवानों को खेलकूद से जोड़े रखने से उनमें गर्व की भावना का संचार होगा और उनके लिए रोज़गार और व्यवसाय के अवसरों के द्वार भी खुलेंगे।

सरकार की महत्वपूर्ण पहल–अटल नवप्रवर्तन मिशन के अंतर्गत, जिसे नीति आयोग द्वारा लागू किया जा रहा है, देशभर में अटल नवप्रवर्तन प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं जो स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को समाज की समस्याओं के अभिनव समाधान खोजने में मदद कर रही हैं। करीब 1500 से अधिक स्टार्टअप्स की मदद के लिए देशभर में 68 अटल इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं ताकि देश में नवप्रवर्तन और उद्यमिता की संस्कृति का विकास हो।

हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए कृषि के प्रति युवाओं की रूचि को बनाए रखना देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण नौजवानों को कृषि के विकास में शामिल करने के लिए नए और नवाचार पर आधारित उपायों को अपनाना ज़रूरी है।

इस समय कृषि के क्षेत्र में कई स्टार्टअप्स डाटा और टेक्नोलॉजी का उपयोग फसलों के लिए संभावित चुनौतियों की पहचान करने, अधिक कुशल सप्लाई–चेन कायम करने और किसानों को कम लागत पर सामग्री उपलब्ध कराने में कर रहे हैं। युवाओं ने ऐसे स्टार्टअप्स में अग्रणी भूमिका निभाई है और इनका राष्ट्रव्यापी विस्तार भी किया जा सकता है।

राज्य सरकारों, निजी उद्यमों और सिविल सोसाइटी संगठनों को ग्रामीण युवाओं तक अपने विभिन्न कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं, पुरस्कारों और हैकाथॉन आदि की पहुंच बढ़ाकर इनके माध्यम से युवाओं की प्रतिभा का विकास करना चाहिए। देश भर के ग्रामीण युवाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक ऐसा डिजिटल मंच बनाया जा सकता है जिसमें तमाम सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हों। इस मंच के जरिए युवा विभिन्न कार्यक्रमों पर एक–दूसरे से संवाद कर सकते हैं और उन्हें लागू करने के लिए एकजुट भी हो सकते हैं। यह मंच युवा उद्यमियों को वित्तपोषण और निवेश से भी जोड़ सकता है।

हमें युवाओं को सांस्कृतिक, डिजिटल और सोशल मीडिया मंचों से जोड़े रखना होगा ताकि वे अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों के बारे में जागरूक बनें और ग्रामीण भारत के पुनर्निर्माण के अग्रदूत के रूप में उभरकर सामने आएं। हमें युवाओं के समग्र व्यक्तित्व के विकास के लिए अपनी समृद्ध धरोहर और परम्पराओं, जनजातीय व विशिष्ट सांस्कृतिक कलाओं और समुदाय विशेष के कौशलों के प्रति प्रशंसा का भाव जगाना होगा।

सरकारी कार्यकर्ताओं से लेकर समाज के सबसे निचले–स्तर के ग्राम–स्तर के संगठनों को युवाओं को केवल लाभार्थी नहीं मानना चहिए बल्कि उनसे बराबरी के साझेदार और पणधारी की तरह व्यवहार करना चाहिए।

युवा नेताओं, सिविल सोसायटी, सरकार और गैर–सरकारी संगठनों, सभी को ग्रामीण भारत में युवाओं के चहुंमुखी विकास के लिए घनिष्ठ सहयोग से कार्य करना होगा।

(डॉ. के. राजेश्वर राव नीति आयोग में अपर सचिव (आईएएस) हैं और डॉ. साक्षी खुराना नीति आयोग में कंसल्टेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट वर्टिकल हैं।)

(लेख में व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार हैं।)

ई–मेल : sakshi. khurana@gov.in

एग्रीटेक स्टार्टअप्स : युवाओं के लिए बेहतरीन विकल्प

–डॉ. जगदीप सक्सेना

कोविड–19 महामारी के कारण देशव्यापी तालाबंदी के दौरान एग्रीटेक स्टार्टअप्स ने कदम बढ़ाया और किसानों को डिजिटल प्लेटफार्मों पर खरीदारों से जोड़ा। कुछ स्टार्टअप्स ने किसानों की उपज को सीधे उपभोक्ताओं को बेचकर उनकी सहायता की। कोविड–19 उपरांत काल में कृषि विकास को गति प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने में कृषि स्टार्टअप्स द्वारा एक अहम् भूमिका निभाने की संभावना है।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सेहत और विकास के लिए कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 17 प्रतिशत, निर्यात में 13 प्रतिशत और रोज़गार में 55 प्रतिशत योगदान देता है। कोविड 19 या कोरोना वायरस महामारी के संकट के दौरान भी कई अन्य आर्थिक क्षेत्रों में केवल कृषि ही ऐसा जीवंत क्षेत्र बन कर उभरा जिसमें सकारात्मक वृद्धि हुई।

आत्मनिर्भर प्रणाली वाला कृषि क्षेत्र देशवासियों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करता है। हालांकि भारत को खाद्य पदार्थों, चारा और रेशे की भावी मांग को पूरा करने के लिए प्रति इकाई उत्पादकता में सतत रूप से बढ़ोतरी करनी होगी जिसके लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों को लगातार आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारतीय विचार मंच (थिंक–टैंक) ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचारों का लाभ उठाते हुए कृषि प्रणालियों को बदलने का सुझाव दिया है जिसमें ऐसे जटिल मुद्दों का कुछ अलग से समाधान खोजना शामिल है जो उच्च आय के लिए उत्पादकता, लाभप्रदता और संभावनाओं पर कुप्रभाव डालते हैं।

यहां ग्रामीण युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि ग्रामीण समुदाय में आधुनिक तकनीकों के प्रसार, उन्हें अपनाने और नवाचारों को स्वीकार करने की प्रक्रिया में उनकी प्रभावशीलता के कारण उनको व्यापक रूप से 'परिवर्तन के प्रतिनिधि' के रूप में माना जाता है। कृषि क्षेत्र में युवाओं का भाग लेना अत्यावश्यक है क्योंकि उनमें कृषि क्षेत्र में आने वाले जोखिमों और संकटपूर्ण स्थितियों का सामना करने का जन्मजात उत्साह, ऊर्जा और जोश होता है। इसके अलावा, ग्रामीण युवा अब बुनियादी प्रबंधन कौशल और व्यवसाय में थोड़ा रुझान रखने के कारण अधिक योग्य हैं और तकनीक का व्यावहारिक ज्ञान रखते हैं। खेती और संबंधित उद्यमों के अलावा आज के ग्रामीण युवा कृषि क्षेत्र में विशेष उद्यम परियोजनाओं को अपनाने के लिए भी उपयुक्त हैं। फील्ड रिपोर्टों के अनुसार ग्रामीण युवा ऐसे कृषि उद्यमों को अपनाने के लिए उत्सुक हैं जो तुलनात्मक रूप से जोखिम–रहित हैं और स्थिर आमदनी का जरिया हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन–एक बड़ी चुनौती

वर्तमान में जब भारत को कृषि क्षेत्र में अपनी युवाशक्ति की सर्वाधिक आवश्यकता है तो देश ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर

पलायन की गंभीर चुनौती से जूझ रहा है। हर मिनट 20–25 ग्रामीण लोग बेहतर आजीविका और जीवनशैली की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं। यदि यह रुझान और गति जारी रहती है, तो भारतीय शहरी आबादी के 2030 तक 60 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है।

ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास करने वाले कुल प्रवासियों में से लगभग 30 प्रतिशत युवा हैं जो भारत में कृषि का भविष्य संवारने में लगे नीति नियोजकों के लिए चिंता का विषय है। विभिन्न अध्ययनों और सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि अधिकांश ग्रामीण युवाओं ने कृषि और संबद्ध गतिविधियों में रूचि और विश्वास खो दिया है जिसका मुख्य कारण अनिश्चित आय, घटते प्राकृतिक संसाधन और व्यवसाय के रूप में खेती की खराब छवि है। पलायन के लिए ज़िम्मेदार कुछ अन्य सामाजिक–आर्थिक कारक हैं– जोत का घटना, वित्तीय संसाधनों तक अपर्याप्त पहुंच, सीमित विपणन विकल्प और परामर्श या मार्गदर्शन की कमी।

अपने शहरी समकक्षों के विपरीत ग्रामीण युवाओं के पास उच्च शिक्षा के लिए विशेष रूप से तकनीकी कौशल और क्षमता बढ़ाने के सीमित अवसर हैं। ग्रामीण युवा मुख्य रूप से व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी कौशल प्राप्त करने के लिए शहरों की ओर रूख करते हैं जिससे उन्हें शहरों में सुरक्षित और 'सफेदपोश' नौकरी हासिल हो सके। ग्रामीण युवाओं की कृषि में रूचि घटने से भारतीय कृषक समुदाय की उम्र बढ़ने लगी है जो कृषि और खाद्य सुरक्षा के भविष्य के लिए अच्छा लक्षण कतई नहीं है।

एक ओर जहां भारतीय जनसंख्या की औसत आयु केवल 29 वर्ष है, किसानों की औसत आयु 55 वर्ष है। यदि यह रूख जारी रहता है तो बहुत जल्द राष्ट्र की खाद्य आपूर्ति के लिए पर्याप्त संख्या में सक्षम किसान नहीं होंगे जिससे खाद्य सुरक्षा स्थिति के आपातपूर्ण स्तर पर पहुंचने की संभावना हो सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ग्रामीण युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा का विकास और दोहन अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

सहायता और प्रोत्साहन मिलने पर नए विचारों और नवाचारों वाले युवाओं के पास प्रौद्योगिकी–आधारित व्यवसाय मॉडल आरंभ करने की क्षमता है जो कृषि को उच्च–तकनीकी गतिविधि में बदल सकती है। नैस्कॉम की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सालाना आधार पर 25 प्रतिशत की दर से बढ़ते हुए 450 से अधिक एग्रीटेक स्टार्टअप हैं। इस क्षेत्र को वित्त वर्ष 2019 तक 29.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई है जो पिछले वर्ष की तुलना में 300 प्रतिशत है। यह एग्रीटेक स्टार्टअप की वृद्धि क्षमता को इंगित करता है जिसका लाभ ग्रामीण युवा सम्मानजनक आजीविका अर्जित करने के साधन के रूप में अपना कर हासिल कर सकते हैं।

वर्ष 2006 में प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और दूरदर्शी डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन ने सबसे पहले कृषि विकास में ग्रामीण युवाओं की भागीदारी का मुद्दा उठाया। बाद में इस विषय को किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति में शामिल किया गया था जिसे 2007 में संसद ने अपने लक्ष्यों में से एक के रूप में अपनाया। तब से भारत सरकार कृषि क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध और व्यवस्थित कार्यक्रम तैयार कर रही है। अधिकांश कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं को एक विश्वसनीय आजीविका के रूप में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में स्वरोज़गार अपनाने के लिए प्रशिक्षित करने, सशक्त बनाने, उन्मुख करने और प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं।

अवसर और प्रस्ताव

ग्रामीण युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए पहले कदम के रूप में कृषि को कम जोखिम और स्थिर आय के साथ उच्च लाभ वाले उद्यम में बदलना होगा। कृषि गतिविधियों को नगद प्रदान करने वाली, कम मात्रा, उच्च मूल्य और मांग–संचालित गुणवत्ता वाली उपजों के साथ विविधतापूर्ण बनाना होगा। खेती की आमदनी को अधिक बढ़ाने के लिए एकीकृत कृषि मॉडल, सटीक कृषि, जैविक खेती, संरक्षित खेती, कृषि भूमि के विविध और ऊर्ध्वाधर उपयोग और मछलीपालन कुछ अन्य संभावित विकल्प हैं।

विदेशी फूलों और सब्जियों, औषधीय मशरूम और जड़ी–बूटियों, उच्च मूल्य वाले मसाले जैसे विशेष बागवानी उत्पादों पर हाल के समय में दिया जाने वाला ज़ोर और बाज़ार–मांग (घरेलू और विदेशी दोनों) ने न्यूनतम भूमि और संसाधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एक नया मार्ग खोला है।

पशुपालन क्षेत्र में डेयरी मुख्य रूप से हाल ही में बाज़ार पर कब्जा करने वाले नए उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के कारण सबसे आकर्षक 'व्यवसाय' के रूप में उभरा है; इनमें खुशबूदार दूध (फ्लेवर्ड मिल्क), ए–2 दूध, जैविक दूध (ऑर्गेनिक मिल्क), खुशबूदार (फ्लेवर्ड) और जमा हुआ (फ्रोजन) योगर्ट, दूध का पाउडर (डेयरी व्हाइटनर) और मट्ठा शामिल हैं। उपभोक्ता अपने विशेष स्वास्थ्य लाभों के कारण ऊंटनी के दूध, बकरी के दूध और गधी के दूध की ओर बढ़ते जा रहे हैं; इस मौके को युवाओं द्वारा व्यावसायिक अवसरों के लिए खोजा जाना चाहिए।

सरकार देश के युवाओं को आजीविका के लिए एक लाभदायक उद्यम के रूप में कृषि से संबद्ध कुछ भिन्न गतिविधियां जैसे मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, लाख की खेती आदि के लिए सहायता और प्रोत्साहन दे रही है। मूल्यवर्धन और प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण (सफाई), ग्रेडिंग, पूरी पैकिंग या रेडी टू कुक सामान्य या फ्रीज़–ड्राइड कट्स आसानी से अपनाए जाने वाले उद्यम हैं विशेष रूप से युवाओं के लिए। सरकार आय बढ़ाने, रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने और उपज के अपव्यय को कम करने के लिए फार्म–गेट प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान कर रही है।

राष्ट्रीय मिशन 'स्टार्टअप इंडिया' और 'स्टैंडअप इंडिया' के अनुरूप कृषि के कई क्षेत्रों में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। सहायता और

प्रोत्साहन मिलने पर नए विचारों और नवाचारों वाले युवाओं के पास प्रौद्योगिकी–आधारित व्यवसाय मॉडल आरंभ करने की क्षमता है जो कृषि को उच्च–तकनीकी गतिविधि में बदल सकती है। नैस्कॉम की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सालाना आधार पर 25 प्रतिशत की दर से बढ़ते हुए 450 से अधिक एग्रीटेक स्टार्टअप हैं। इस क्षेत्र को वित्त वर्ष 2019 तक 29.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई है जो पिछले वर्ष की तुलना में 300 प्रतिशत है। यह एग्रीटेक स्टार्टअप की वृद्धि क्षमता को इंगित करता है जिसका लाभ ग्रामीण युवा सम्मानजनक आजीविका अर्जित करने के साधन के रूप में अपना कर हासिल कर सकते हैं। स्मार्ट तकनीकों के अग्रणी क्षेत्र जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, रिमोट सेंसिंग, डाटा एनालिटिक्स, विभिन्न इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) डिवाइज, आईसीटी ऐप, फार्मिंग ऑटोमेशन और ड्रोन टेक्नोलॉजी आदि पर्याप्त विकल्प प्रदान करते हैं जिसमें से किसी को व्यक्तिगत कौशल और संसाधनों के आधार पर चुना जा सकता है। कोविड–19 महामारी के कारण देशव्यापी तालाबंदी के दौरान एग्रीटेक स्टार्टअप्स ने कदम बढ़ाया और किसानों को डिजिटल प्लेटफार्मों पर खरीदारों से जोड़ा। कुछ स्टार्टअप्स ने किसानों की उपज को सीधे उपभोक्ताओं को बेचकर उनकी सहायता की। कोविड–19 उपरांत काल में कृषि विकास को गति प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में कृषि स्टार्टअप के एक अहम् भूमिका निभाने की संभावना है।

कृषि उद्यमिता के प्रति ग्रामीण युवाओं को और अधिक लुभाने और उनकी सहायता करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एक वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन करता है जिसमें एग्रीटेक स्टार्टअप्स को निर्धारित समस्या के लिए व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और अभिनव समाधान प्रदान करने का अवसर दिया जाता है। एग्री– इंडिया हैकथॉन 2020 श्रृंखला में नवीनतम है जो कृषि क्षेत्र में संवाद करने और नवाचारों में तेज़ी लाने के लिए सबसे बड़े ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा रहा है। भारत के प्रखर युवा, रचनात्मक स्टार्टअप्स और स्मार्ट नवाचारियों द्वारा भारतीय कृषि की वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए नए टेक्नोलॉजी आधारित समाधान प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा है। विजेता नवाचारों को इन्क्यूबेशन सहायता के लिए विशेष प्राथमिकता मिलेगी जिसके तहत प्री–सीड और सीड स्टेज के लिए क्रमशः 5 लाख रुपये और 25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, विभिन्न फोकस क्षेत्रों से 24 सर्वश्रेष्ठ नवाचारों को एक–एक लाख लाख रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कृषि मशीनीकरण, सटीक खेती, आपूर्ति श्रृंखला और प्रचालन–तंत्र, फ़सल कटाई के बाद और खाद्य तकनीक, अपशिष्ट से आय और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अभिनव समाधान आमंत्रित किए जाते हैं।

'कृषि क्लीनिक और कृषि कारोबार केंद्र' कृषि क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक और योजना है। इस योजना के तहत नवशिक्षित और बेरोज़गार कृषि स्नातकों को उद्यमिता विकास पर अल्पकालिक प्रशिक्षण (दो महीने) प्रदान किया जाता है जिसके बाद ज़रूरत आधारित कृषि कारोबार उपक्रमों की स्थापना की जाती है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कृषि में निवेश आकर्षित करने के लिए अपने स्वयं के गांवों में रोज़गार उपलब्ध कराना है।

आर्या से माया

देश में कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार के लिए अग्रणी शीर्ष निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने 2015–16 में कृषि क्षेत्र में उद्यमिता अपनाने के लिए ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक विशेष परियोजना के लिए शुरू की। कृषि में युवाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने 'आर्या' नाम की यह परियोजना ग्रामीण युवाओं (35 वर्ष से कम आयु) की पहचान करती है और उन्हें सतत आय

और आजीविका के लिए उद्यमशीलता, कौशल विकास की दिशा में उन्मुख करती है। मशरूम, बीज प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, डेयरी, बकरी पालन, कार्प हैचरी, वर्मी कम्पोस्ट इत्यादि जैसे व्यवसायों में सूक्ष्म उद्यम इकाईयों को स्थापित करने के लिए सक्षम युवाओं को सुविधा प्रदान की जाती है। आरंभ में यह कार्यक्रम आईसीएआर–केवीके (कृषि विज्ञान केंद्र) नोडल केंद्रों के माध्यम से 25 राज्यों के 25 चिन्हित ज़िलों में लागू किया गया। 'आर्या' उन गांवों में आर्थिक मॉडल बनाने में सफल रहा जो केवीके–प्रशिक्षित ग्रामीण युवाओं द्वारा संचालित हैं। ऐसे लाभकारी मॉडल ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को उद्यमी बनने के लिए उत्प्रेरित करने के साथ–साथ उनमे जोश भर रहे हैं और अपने आसपास के क्षेत्र में दूसरों का मार्गदर्शन कर रहे हैं।

वर्ष 2015–16 और 2016–17 के दौरान 'आर्या' ने क्रमशः लगभग 1,100 और 4,400 ग्रामीण युवाओं को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया और परियोजना में शामिल किया। आशातीत परिणामों से उत्साहित होकर सरकार ने 2017–20 के दौरान इस परियोजना का दायरा बढ़ाया। 75 और ज़िलों को जोड़कर कुल 100 जिलों को इस परियोजना के तहत लाया गया और 14 लाख ग्रामीण युवाओं को सालाना प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया।

इस बीच, कोविड–19 महामारी के कारण हुई राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की वजह से लोगों की बड़े पैमाने पर रिवर्स माइग्रेशन (शहरों से गांवों को पलायन) ने, जिनमें अधिकांश युवा शामिल थे, रोज़गार सृजन के संभावित स्रोत के रूप में 'आर्या' के महत्व को उजागर किया। विशेषज्ञों ने देश के सभी ग्रामीण ज़िलों में इस योजना के पूर्ण क्रियान्वयन का सुझाव दिया है जिससे अपनी जड़ों की ओर लौटने वाले प्रवासी ग्रामीण युवाओं को मदद मिलेगी। केवीके को गांवों में लाभकारी रोज़गार के लिए प्रवासी युवाओं को सक्षम करने के लिए तैयार किया जा सकता है अन्यथा उनके पास नौकरियों की तलाश में फिर से शहरों में लौटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। 'आर्या' कार्यक्रम को सबसे अधिक लाभकारी दिशा में चलाने के लिए, आईसीएआर ने 2018 में 'कृषि में युवाओं को प्रेरित और आकर्षित करने' (माया) विषय पर एक विशेष सम्मेलन आयोजित करके एक रोडमैप विकसित करने की पहल की। माया रोडमैप में आर्थिक विकास और सामाजिक सम्मान के लिए कृषि में आधुनिक तकनीकों के अनुप्रयोग द्वारा ग्रामीण युवाओं को तैयार करने की परिकल्पना की गई है। ग्रामीण युवा लघु और सीमांत किसानों को प्रति इकाई उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपने कृषि कार्यों के यंत्रीकरण में ज़रूरत अनुसार सुविधाएं किराए पर प्रदान करने के लिए कृषि सेवा केंद्र स्थापित कर सकते हैं। 'माया' रणनीति में वास्तविक और ऑनलाइन बाज़ारों के माध्यम से कृषि उपज के विपणन में युवाओं की भागीदारी का प्रस्ताव है।

इस बीच, कोविड–19 महामारी के कारण हुई राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की वजह से लोगों की बड़े पैमाने पर रिवर्स माइग्रेशन (शहरों से गांवों को पलायन) ने, जिनमें अधिकांश युवा शामिल थे, रोज़गार सृजन के संभावित स्रोत के रूप में 'आर्या' के महत्व को उजागर किया। विशेषज्ञों ने देश के सभी ग्रामीण ज़िलों में इस योजना के पूर्ण क्रियान्वयन का सुझाव दिया है जिससे अपनी जड़ों की ओर लौटने वाले प्रवासी ग्रामीण युवाओं को मदद मिलेगी।

युवा बुद्धि का दोहन

छात्रों में उद्यमिता कौशल के विकास के लिए सरकार कृषि शिक्षा को अधिक प्रासंगिक और उत्तरदायी बनाने का इरादा रखती है। इसलिए एक विस्तृत योजना को, जिसका नाम स्टूडेंट रेडी '(रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस डेवलपमेंट योजना यानी ग्रामीण उद्यमिता जागरूकता विकास योजना) है, अकादमिक सत्र 2016–17 से शुरू किया गया था। यह एक भलीभांति संरचित एक वर्षीय कार्यक्रम है जिसमें कृषि स्नात्तकों को अपेक्षित कौशल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए कई घटक शामिल हैं। इस कार्यक्रम को देश में 55 कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से स्नात्तक की उपाधि के लिए एक अनिवार्य पूर्व–आवश्यकता के रूप में लागू किया गया था। कार्यक्रम में पांच महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं:

–अनुभवजन्य शिक्षा (व्यवसाय विधा, प्रायोगिक प्रशिक्षण, कौशल विकास)

–आरएडब्ल्यूई – रुरल अवेयरनेस वर्क्स एक्सपीरियंस (ग्रामीण जागरूकता कार्यानुभव)

–इन–प्लांट ट्रेनिंग (संयंत्रों में प्रशिक्षण)

–इंडस्ट्रियल अटैचमेंट (उद्योगों में प्रशिक्षण) या इंटर्नशिप और

–छात्र परियोजना।

ये सभी घटक इंटरेक्टिव हैं और परियोजना के विकास और निष्पादन, निर्णय लेने, टीम भावना और समस्या समाधान के दृष्टिकोण के लिए स्नात्तक छात्रों में कौशल विकसित करने के प्रति संकल्पित हैं। अधिकांश परियोजनाएं उभरते और संभावित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही हैं जैसे कृषि और संबद्ध विज्ञान के पारंपरिक विषयों के अलावा कृषि यांत्रिकीकरण, खाद्य प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और सामुदायिक विज्ञान।

अब तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देशभर के कृषि विश्वविद्यालयों में 452 अनुभव–जन्य शिक्षण इकाइयां स्थापित की हैं जिसका उद्देश्य सार्थक प्रायोगिक अनुभव के माध्यम से व्यावसायिक कौशल और ज्ञान को बढ़ावा देना है। प्रायोगिक प्रशिक्षण कृषि गतिविधियों को सर्वाधिक उत्पादक तरीके से करने के लिए ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की दिशा में परिस्थितियों को यथासंभव यथार्थवादी बनाता है। रूरल अवेयरनेस वर्क्स एक्सपीरियंस (ग्रामीण जागरूकता कार्यानुभव) छात्रों को मुख्य रूप से ग्रामीण परिस्थितियों को समझने, किसानों द्वारा अपनाई गई कृषि प्रौद्योगिकियों की स्थिति, किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता देने और ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास के लिए कृषि परिवारों के साथ काम करने के कौशल और दृष्टिकोण को विकसित करने में मदद करती है। उद्योगों में प्रशिक्षण या अटैचमेंट के दौरान छात्रों

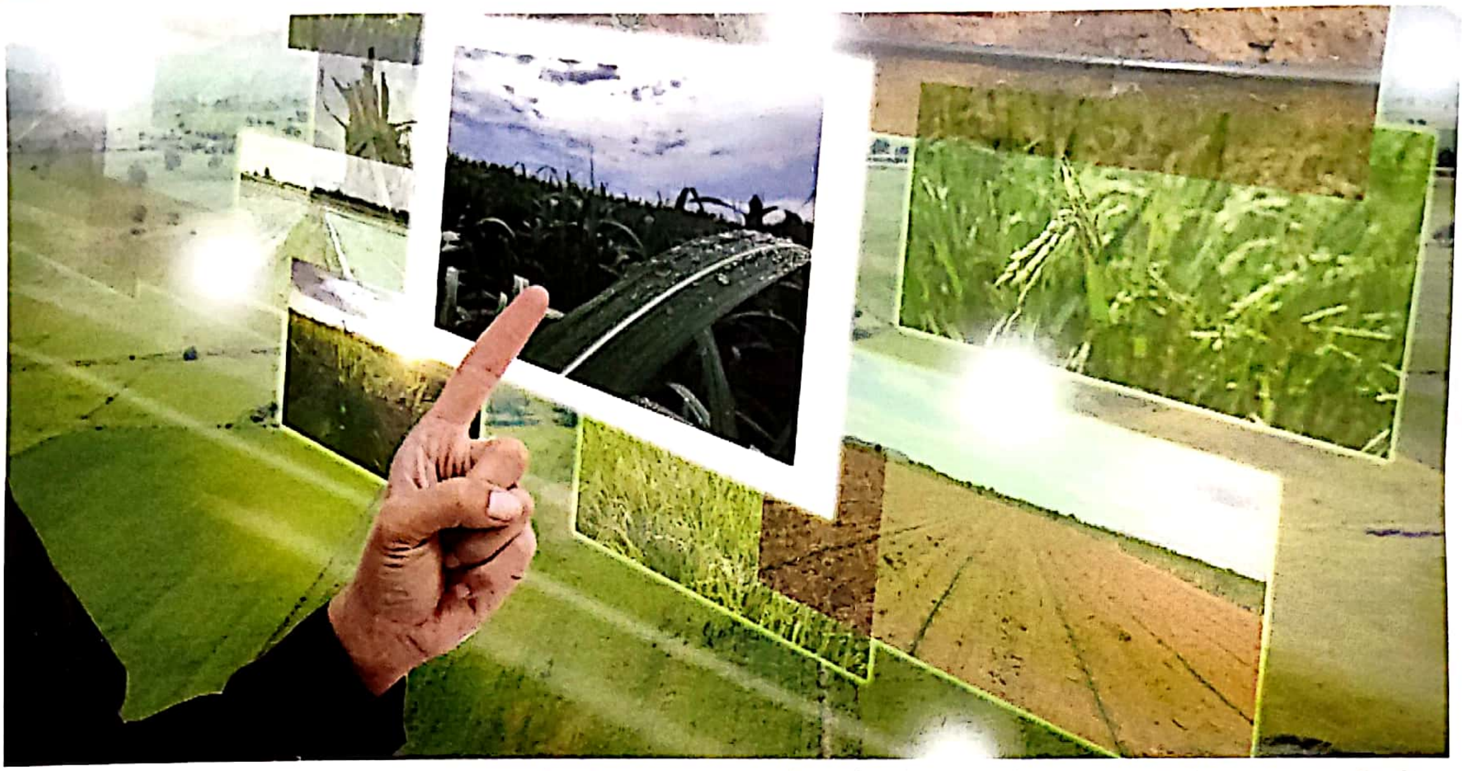

को औद्योगिक वातावरण से अवगत कराया जाता है और उद्योगों में वास्तविक कार्य प्रणालियों के साथ सैद्धांतिक ज्ञान के सह–संबंध की जानकारी के लिए मशीनों, सामग्रियों, प्रक्रियाओं आदि से परिचित करवाया जाता है।

छात्र परियोजना कार्यक्रम छात्रों को ऐसे विभिन्न पहलुओं को सीखने के अवसर प्रदान करता है जिन्हें कक्षा या प्रयोगशाला में नहीं पढ़ाया जा सकता है। स्नातक करने वाले छात्रों को आईसीएआर स्टूडेंट रेडी कार्यक्रम के दौरान अधिकतम 6 महीने तक 3000 रुपये मासिक वज़ीफा देता है। बहुत कम समय में इस नूतन दृष्टिकोण ने पूर्व–स्नातक छात्रों को अपना उद्यम शुरू करने के लिए प्रभावी रूप से प्रेरित किया। असल मायनों में इस कार्यक्रम ने छात्रों को नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी देने वाला बनने के लिए प्रशिक्षित किया है और भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया मिशन की दिशा में प्रभावी योगदान दिया है।

कृषि और ग्रामीण विकास में तेज़ी की गति से देशभर में कृषि आधारित उद्योगों में उद्योग उन्मुखता वाले कुशल कर्मचारियों की मांग में वृद्धि हुई है। इसलिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल ही में उच्च कृषि शिक्षा नेटवर्क में सुधार किया और देश भर के कृषि विश्वविद्यालयों में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (एनएएचईपी) का शुभारंभ किया। यह परियोजना प्रतिभाशाली छात्रों के लिए कृषि शिक्षा को अधिक आकर्षक बनाने की दृष्टि से दक्षता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रही है।

परियोजना के विज़न डॉक्यूमेंट के अनुसार कृषि स्नातकों के लिए बेहतर रोज़गार और उद्यमिता के अवसरों के साथ गुणवत्ता वृद्धि ग्रामीण युवाओं को उच्च कृषि शिक्षा की ओर आकर्षित करेगी। कृषि शिक्षा पर निरंतर बल देने से भारत की कृषि शिक्षा प्रणाली दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय नेटवर्कों में से एक बन गई है। वर्तमान में इसमें 63 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, 4 डीम्ड विश्वविद्यालय, 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और कृषि संकाय के साथ 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। इन संस्थानों में छात्रों के दाखिले की क्षमता, जो 1960 में 5,000 से कम थी, अब विभिन्न शिक्षण पाठ्यक्रमों में 45,000 से अधिक हो गई है।

लगभग 410 घटक महाविद्यालयों के साथ ये कृषि विश्वविद्यालय हर वर्ष लगभग 28,000 छात्रों को स्नातक–स्तर पर और 17,500 से अधिक छात्रों को मास्टर्स और डॉक्टरेट–स्तर पर दाखिला देते हैं। छात्रों को उच्च कृषि शिक्षा प्राप्त करने के लिए आकर्षित करने के लिए अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट स्तरों पर छात्रों को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां और फैलोशिप प्रदान की जाती है। नतीजतन विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, आवेदकों की संख्या हर वर्ष बढ़ रही है। छात्राओं ने हाल ही में देश के उच्च कृषि शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज़ की है।

कृषि क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए हमें सरकारी निकायों और सार्वजनिक नीति निर्माण संस्थानों से व्यापक समर्थन के साथ एक प्रभावशाली रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है। हमें यह आश्वस्त करने की आवश्यकता है कि ग्रामीण युवाओं के मुख्य सरोकारों को प्रभावी ढंग से संबोधित किया गया है।

(लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में प्रधान संपादक रह चुके हैं।)

ई–मेल : jagdeepsaxena@yahoo.co.in

नई तकनीकों से युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर

–रेम्या लक्ष्मणन

डिजिटल प्रौद्योगिकी ने ग्रामीण क्षेत्रों में 'जीवन की गुणवत्ता' में सुधार की सुगमता प्रदान की है। तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्रों को सक्षम करने के अलावा डिजिटल बुनियादी ढांचे ने अच्छे वेतन वाली नौकरियों को आकृष्ट करने में मदद की है और दूर से काम करने की भी सुविधा प्रदान की है जिससे गांवों से प्रवसन की समस्या के निराकरण में मदद मिलेगी। ग्रामीण युवाओं ने बाज़ार की जानकारी और वैश्विक बाज़ारों तक आसान पहुंच के माध्यम से उपलब्ध आर्थिक गतिविधियों से लाभ उठाया है। ये समानांतर प्रक्रियाएं मूल्य निर्धारण और उचित स्पर्धा के लिए एक माकूल परिदृश्य प्रदान करने में मदद करती हैं। इंटरनेट पैठ का संभवतः सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव ग्रामीण उद्यमिता को प्रदान किए जाने वाला प्रोत्साहन है। नई तकनीकें ग्रामीण क्षेत्रों में नए अवसर पैदा कर रही हैं जो पहले कभी नहीं थे।

स्वतंत्रता के बाद से ग्रामीण भारत शहरी भारत में हुए विकास के विभिन्न पहलुओं से लगभग अछूता रहा है। ग्रामीण इलाकों में सुख–सुविधाएं तो अवश्य पहुंची लेकिन वे शहरी भारत की अपेक्षा बहुत कम थी। हालांकि हालिया समय में ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त विकास हुआ है क्योंकि ग्रामीण आवास, स्वच्छता और कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाई गई सरकार की नीतियों ने इस परिदृश्य को बदलने में योगदान दिया है। भारत की आबादी का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा 25 साल से कम उम्र का है[1]। 2050 तक भारत की आधी आबादी ग्रामीण भारत में होने की संभावना है और कुल कार्यबल[2] के 70 प्रतिशत जितने बड़े भाग का ग्रामीण भारत से आने के कारण यह व्यापक रूप से माना जाता है कि देश का समग्र विकास ग्रामीण भारत के विकास के समानांतर चलेगा।

सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास' के अपने ध्येय सूत्र के अनुरूप ग्रामीण विकास पर लक्षित नीतियों में ग्रामीण युवाओं को शहरों में प्रवास किए बिना रोज़गार प्रदान करने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। मसलन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 15–35 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को लक्षित करती है। इस योजना के लिए 5600 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है जो युवाओं की रोज़गार योग्यता बढ़ाने में मदद करेगी। यह योजना 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 689 ज़िलों और 7426 ब्लॉकों में चलाई जा रही है जिससे युवाओं का जीवन बदल रहा है। 717 भागीदारों द्वारा लगभग 1575 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। अब तक 10.8 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और लगभग 6.3 लाख युवाओं को रोज़गार प्रदान किए जा चुके हैं[3]। आदिवासी युवाओं और महिलाओं की क्षमता को विकसित करने और उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने के दीर्घकालिक उद्देश्य को गति प्रदान करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने फेसबुक के साथ मिलकर डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं

Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

---

1 Report_Population_Projection_2019.pdf (nhm.gov.in); 2 Rural_Economy_DP_final.pdf (niti.gov.in); 3 http://ddugky.gov.in/

को सलाह प्रदान करने के लिए गोइंग ऑनलाइन एज़ लीडर्स (गोल) कार्यक्रम आरंभ किया है। आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने और आदिवासी युवाओं की उद्यम संबंधी क्षमता को बढ़ाने के लिए समर्पित कार्यक्रम के तहत बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, मधुमक्खी पालन, आदिवासी कला एवं संस्कृति और औषधीय जड़ी–बूटियों जैसे क्षेत्रों पर प्रमुख रूप से बल दिया जाता है[4]। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण महिलाओं पर केंद्रित कार्यक्रम जैसे 'नई रोशनी' से, जो महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए चलाया गया है और जिनकी परिवर्तन लाने में अहम् भूमिका होती है, ग्रामीण समुदायों में समावेशी और सतत विकास में योगदान मिलता है।

साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों के सामान्य विकास के लिए सरकार ने 2022 तक सभी इच्छुक ग्रामीण परिवारों को सौभाग्य और उज्ज्वला योजना के तहत बिजली और खाना पकाने का स्वच्छ ईधन प्रदान करने का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण अपने दूसरे चरण (2019–20 से 2021–22) के दौरान पात्र लाभार्थियों को शौचालय, बिजली और एलपीजी कनेक्शन जैसी सुविधाओं के साथ 1.95 करोड़ घर प्रदान करेगी[5]। प्रत्येक गांव में स्थायी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का विस्तार किया जाएगा। इन पहलों से ग्रामीण जीवन–स्तर में आमूल सुधार आ रहा है जिससे युवाओं के लिए संभावनाएं प्रबल हुई हैं।

कंपनियां 'रूरल शोरिंग' यानी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं को नॉलेज प्रोफेशनल बना कर रोज़गार प्रदान करने की संभावनाओं को खोज सकती हैं। 'रूरल शोरिंग' उन कंपनियों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो ग्रामीण स्थानों में, जहां रहने और कार्य संचालन की लागत बहुत कम है, सेवा प्रदाताओं को काम देकर आउटसोर्सिंग के लाभों को प्राप्त कर सकती हैं। इन सेवा प्रदाताओं को कॉलेजों और संस्थानों के पास स्थापित किया जा सकता है जहां कुशल और शिक्षित युवाओं की अधिकता होती है तथा जो कार्यबल में शामिल होना चाहते हैं।

शहरी–ग्रामीण विभाजन को पाटना

सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के प्रयासों के अलावा सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान ने, जिसका उद्देश्य पूरे देश को डिजिटल रूप से जोड़ना है, ग्रामीण भारत को शहरी भारत के समकक्ष लाने में बड़ा योगदान दिया है। इंटरनेट आज देश के शहरी और ग्रामीण हिस्सों के बीच सेतु बनने के साथ–साथ ग्रामीण विकास के लिए उत्प्रेरक बन गया है। 'भारत विचार शिखर सम्मेलन' में अपने मुख्य भाषण में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत को अवसरों की भूमि की उपमा देते हुए उल्लेख किया कि शहरी लोगों की तुलना में ग्रामीण इंटरनेट उपयोगकर्ता अधिक हैं[6]। इस अभियान ने इंटरनेट की पैठ बढ़ाई जो अपेक्षाकृत हाल ही में हुआ है जिसके चलते ग्रामीण घरों के लिए अपार लाभ की संभावनाएं पैदा हुई हैं।

इस बीच, डिजिटल प्रौद्योगिकी ने ग्रामीण क्षेत्रों में 'जीवन की गुणवत्ता' में सुधार की सुगमता प्रदान की है। उदाहरण के तौर पर ऑनलाइन बाज़ारों, भोजन के घर पहुंचने की सुविधा और निरंतर मनोरंजन तक पहुंच ने शहरी और ग्रामीण आबादी के अनुभव के बीच अंतर को कम कर दिया है। तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्रों को सक्षम करने के अलावा डिजिटल बुनियादी ढांचे ने अच्छे वेतन वाली नौकरियों को आकृष्ट करने में मदद की है और दूर से काम करने की भी सुविधा प्रदान की है जिससे गांवों से प्रवसन की समस्या के निराकरण में मदद मिलेगी। ग्रामीण युवाओं ने बाजार की जानकारी और वैश्विक बाज़ारों तक आसान पहुंच के माध्यम से उपलब्ध आर्थिक गतिविधियों से लाभ उठाया है। ये समानांतर प्रक्रियाएं मूल्य निर्धारण और उचित स्पर्धा के लिए एक माकूल परिदृश्य प्रदान करने में मदद करती हैं।

इंटरनेट पैठ का संभवतः सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव ग्रामीण उद्यमिता को प्रदान किए जाने वाला प्रोत्साहन है। नई तकनीकें ग्रामीण क्षेत्रों में अवसर पैदा कर रही हैं जो पहले कभी नहीं थे। आज एक ग्रामीण उद्यमी ऑनलाइन स्टोर बना कर अपने उत्पाद को बेच सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक चुनौतियों के समाधान के लिए ज़मीनी–स्तर पर नवाचारों को बढ़ावा देने और निवेशकों, उद्यम पूंजीपतियों, इन्क्यूबेटरों और अन्य हितधारकों के साथ उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचारियों को जोड़ने के लिए कई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म स्थापित किए गए हैं। मिसाल के तौर पर हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एवं पीआर) द्वारा आयोजित ग्रामीण नवोन्मेषक स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2019 ने स्टार्टअप्स को शोकेस किया जिससे ग्रामीण नवोन्मेषकों को अपनी टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करने का प्लेटफॉर्म मिला[7]।

डिजिटल पैठ ने वित्त, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे जीवन–स्तर को बेहतर बनाने वाले महत्वपूर्ण स्तंभों तक पहुंच में भी सुधार किया है जो लंबी अवधि में ग्रामीण आर्थिक उत्पादकता पर प्रभाव डालेगा। पहले जिनके पास बैंकों की सुविधाएं कम थी और/या नहीं थी, उनको वित्तीय उत्पाद और सेवाएं प्रदान करके एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई), आधार जैसी प्रौद्योगिकियां वित्तीय समावेशन की प्रेरक शक्ति बनी हैं। स्वास्थ्य सेवा में उन्नत तकनीक, जो दूरस्थ नैदानिक क्षमताओं और वेबपोर्टलों के माध्यम से बुनियादी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी का प्रसार करती है, स्वास्थ्य सेवा के परिणामों में सुधार हुआ है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ी है।

कई चुनौतियों के बावजूद देश ने महामारी के दौरान ऑनलाइन अध्ययन में स्पष्ट रूप से सर्वाधिक बढ़ोत्तरी देखी। डिजिटल रूप से सक्षम शिक्षा की परिकल्पना ग्रामीण भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सामने आने वाले मसलों को हल करने के अचूक समाधान के रूप में की जाती है। विकल्प के रूप में ऑनलाइन शिक्षा को शामिल करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ सरकार ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन

---

4. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1624021; 5 https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1577423;
6. https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1640501; 7. http://www.nirdpr.org.in/risc2019/

(एनएमईआईसीटी) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा के तहत डिजिटल अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। ऐसी अन्य पहलों में स्वयं, स्वयं प्रभा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी और निःशुल्क और मुक्तस्रोत सॉफ्टवेयर शामिल हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ई–लर्निंग, एग्रीगेटर पोर्टल– ई–स्किल इंडिया कई ऑनलाइन स्किलिंग अवसरों को प्रदान करने के लिए विभिन्न नॉलेज पार्टनरों के साथ साझेदारी में क्यूरेटेड पाठ्यक्रम की पेशकश कर रहा है। सार्वजनिक–निजी पहल और एड–टेक कंपनियों की सहायता से ये कार्यक्रम डिजिटल शिक्षा को और अधिक सशक्त बना सकते हैं। डिजिटल प्रयासों के माध्यम से शिक्षा के लोकतांत्रिकरण से ग्रामीण युवाओं को नई चुनौतियों के अनुकूल ढलने और समान अवसरों का लाभार्थी बनने में मदद मिलेगी।

किसानों की नई पीढ़ी तैयार करना

यदि ग्रामीण युवा कृषि को आधुनिक और आकर्षक रोज़गार क्षेत्र पाते हैं तो उसमें व्यापक संभावनाएं तलाश सकते हैं। कृषि अभी भी आजीविका का एक मूल स्रोत है; इसमें 50 प्रतिशत से अधिक कार्यबल संलग्न है[8]। यद्यपि आधी से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र में संलग्न है लेकिन सकल मूल्यवर्धित या ग्रॉस वैल्यू एडेड (जीवीए) में इसका योगदान लगातार गिरते हुए 2014–15 में 18.2 प्रतिशत से 2019–20 में 16.5 प्रतिशत पर जा पहुंचा है[9]। डिजिटल टेक्नोलॉजी के जानकार होने के नाते नई पीढ़ी इसका उपयोग कृषि में गतिशीलता लाने और इसकी कुछ प्रमुख चुनौतियों को हल करने के लिए कर सकती है।

युवा पीढ़ी को जल्द से जल्द कृषि क्षेत्र की बारीकियों से वाकिफ कराना और उन्हें मूल्य श्रृंखला के सभी पहलुओं में शामिल किया जाना लाभप्रद होगा। विश्व में खाद्य पदार्थों की मांग में बढ़ोत्तरी, कृषि में प्रौद्योगिकी के अपनाए जाने में वृद्धि और पशुधन की क्षमता और स्वास्थ्य की निगरानी में सहायता 'स्मार्ट कृषि बाजार' के उदय के प्रमुख पहलू हैं। सेटेलाइट मैपिंग, ई–मार्केट प्लेटफ़ॉर्म, पशुधन ट्रैसेबिलिटी, क्लाइमेट सेंसिंग स्टेशन, प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी, कृषि में इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन और स्मार्ट फ़ार्मिंग के सात सेक्टरों में लगभग 21 लाख अतिरिक्त रोज़गार पैदा करने की क्षमता है जिससे अगले दशक में कृषि क्षेत्र में वार्षिक रोज़गार मूल्य लगभग 34,000 करोड़ रुपये होगा[10]।

आपूर्ति श्रृंखलाओं और बाज़ारों के विकास के लिए उच्च मूल्य वाले उत्पादों और महत्वपूर्ण पहलों की रचना में सहायक प्रायोगिक शिक्षण कार्यक्रम, कृषि उपज की बेहतर बिक्री के लिए सूचना का प्रसार और जानकारी साझाकरण करने के लिए मंच आदि, सभी कृषि और संबद्ध गतिविधियों की ओर ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करने में मदद कर सकते हैं। कृषि से परे भी अपार अवसर और संभावनाएं हैं। वे कृषि–संबद्ध गतिविधियों जैसे कृषि कचरे से ऊर्जा, कृषि उत्पादों, खाद्य भंडारण, और संचालन–तंत्र में निवेश कर सकते हैं ताकि अर्थव्यवस्था में ग्रामीण भारत के योगदान के पुनः संतुलन में मदद मिल सके। सकारात्मक, दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक परिणामों की मज़बूत नींव विकसित करने के लिए पूंजी की उपलब्धि के साथ–साथ स्थानीय–स्तर पर अनुकरणीय व्यक्ति, विशेष रूप से महिलाएं या युवा जन को तैयार करना आवश्यक होगा। कृषि उद्यमियों (एग्री–प्रीनुएर्स) की एक नई पीढ़ी का विकास 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्प्रेरक सिद्ध होगा।

भावी रूपरेखा

महामारी ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जब शहरवासियों ने महीनों या उससे अधिक समय तक सुरक्षित, अछूते ग्रामीण स्थानों पर अस्थायी रूप से प्रवास करने का विकल्प चुना। कई हॉस्पिटैलिटी कंपनियों ने पहले से ही इस स्थिति को पैदा करने वाले अवसरों से लाभ लेना शुरू कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों के मूल निवासियों ने भी अपने गृहनगरों में रहने और पारंपरिक आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होने को चुना। सरकार और अन्य सामाजिक विकास संगठनों को भी इस अवसर को भुनाना चाहिए और विपरीत प्रवास पर स्पष्ट रूप से लक्षित नीतियां बनानी चाहिए। कंपनियां 'रूरल शोरिंग' यानी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं को नॉलेज प्रोफेशनल बना कर रोज़गार प्रदान करने की संभावनाओं को खोज सकती हैं। 'रूरल शोरिंग' उन कंपनियों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो ग्रामीण स्थानों में, जहां रहने और कार्य संचालन की लागत बहुत कम है, सेवा प्रदाताओं को काम देकर आउटसोर्सिंग के लाभों को प्राप्त कर सकती हैं। इन सेवा प्रदाताओं को कॉलेजों और संस्थानों के पास स्थापित किया जा सकता है जहां कुशल और शिक्षित युवाओं की अधिकता होती है तथा जो कार्यबल में शामिल होना चाहते हैं। स्किलिंग में डिजिटल ढांचे और लक्षित प्रयासों के विस्तार के साथ, यह कंपनियों और ग्रामीण युवाओं, दोनों के लिए फायदेमंद स्थिति साबित हो सकती है।

सरकार सुनिश्चित करती है कि भारत में ग्रामीण युवाओं को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए सामाजिक संरचनाएं स्थापित की जाएं। इसमें बेहतर शिक्षा प्रणाली, गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा और कनेक्टिविटी शामिल हैं। सूचना और परिवहन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बाज़ारों तक पहुंच बेहतर होती है जिससे आम जनता विशेषकर युवाओं के लिए अवसरों में काफी वृद्धि हुई है। प्रभावी सरकारी नीतियां और कार्यक्रम सामाजिक और मानवीय पूंजी को मज़बूत करने, कौशल विकसित करने और हमारे युवाओं में आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए जारी हैं। परिणामस्वरूप उनकी कार्य करने की क्षमता में सुधार होता है और उत्पादकता बढ़ती है।

(लेखिका इंवेस्ट इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंवेस्टमेंट रिसर्च यूनिट से संबद्ध हैं।)

(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई–मेल : remya.1@investindia.org.in

---

8 http://agricoop.gov.in/sites/default/files/agristatglance2018.pdf; 9. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1601252; 10. https://www.researchgate.net/publication/342610795_Youth_and_Agri-Start-ups_A_Review_in_the_Indian_Context

कौशल-संपन्न युवाओं के लिए कृषि उद्यमिता में अपार संभावनाएं

–डॉ. सतेन्द्र सिंह आर्या

कृषि और कृषि संबंधी व्यवसायों (एग्रिबिज़नेस) के क्षेत्र में युवाओं के लिए अनगिनत संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं। टेक्नोलॉजी संबंधी आविष्कार, खाद्य सुरक्षा और आरोग्य को लेकर लोगों के बढ़ते सरोकार और कृषि विपणन के क्षेत्र में नवोन्मेष ने समूची कृषि मूल्य शृंखला में नए रोज़गारों का सृजन किया है। पानी, ज़मीन, उर्वरक आदि की उचित मात्रा का ध्यान रखकर वैज्ञानिक तरीके से की जाने वाली प्रेसीजन फार्मिंग ने कृषि मशीनरी, ग्रीन हाउस फार्मिंग, उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग, माइक्रो इरिगेशन और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कुशल पेशेवर विशेषज्ञों की सेवाओं की ज़रूरत बढ़ा दी है।

कृषि क्षेत्र में किए गए अनेक नीतिगत सुधारों और खेती से संबंधित व्यावसायिक अवसरों के विस्तार से इस क्षेत्र के स्वरूप में बड़ी तेजी से बदलाव आया है। इसके अलावा, फसल विज्ञान के क्षेत्र में भी कई नए–नए अनुप्रयोग किए गए और नवाचार पर आधारित टेक्नोलॉजी अपनाई गईं जिनसे यह क्रांतिकारी बदलाव संभव हो पाया।

पिछले साल कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान कृषि क्षेत्र ने शानदार प्रदर्शन किया जिससे कृषि क्षेत्र के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था के फिर से पटरी पर आने की संभावनाएं बढ़ी हैं। लॉकडाउन के कारण शहरों में काम करने वाले लाखों मजदूरों के वापस गांवों में अपने घरों को वापस लौटने के कारण कृषि, बागवानी, पशुपालन और स्वच्छता सेवाओं में और अधिक श्रमिक उपलब्ध हो जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कौशल–संपन्न बनाने और उनके कौशल के उन्नयन की ओर ध्यान केंद्रित हुआ है।

भारत सरकार ने कृषि संबंधी बुनियादी ढांचे, कृषि ऋण, बाज़ार सुधार, न्यूनतम बुनियादी आमदनी और जोखिम प्रबंधन के लिए भी महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए हैं जिनसे कृषि और कृषि–आधारित उपक्रमों की लाभप्रदता बढ़ेगी। कृषि के क्षेत्र में किए गए हाल के ऐतिहासिक सुधारों से कृषि–विपणन के क्षेत्र में निवेश बढ़ा है और बाज़ार की अनिश्चितता कम होने और कृषि लागत की वसूली में सुधार होने की संभावना है। मुझे इस बात का उल्लेख करते हुए गर्व महसूस होता है कि **आज विश्व में हर नौवां एग्रीटेक स्टार्टअप भारत से होता है और इनकी संख्या में**

25 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ोत्तरी हो रही है।

कृषि और कृषि संबंधी व्यवसायों (एग्रिबिज़नेस) के क्षेत्र में युवाओं के लिए अनगिनत संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं। टेक्नोलॉजी संबंधी आविष्कार, खाद्य सुरक्षा और आरोग्य को लेकर लोगों के बढ़ते सरोकार और कृषि विपणन के क्षेत्र में नवोन्मष ने समूची कृषि मूल्य श्रृंखला में नए रोज़गारों का सृजन किया है। पानी, ज़मीन, उर्वरक आदि की उचित मात्रा का ध्यान रखकर वैज्ञानिक तरीके से की जाने वाली प्रेसीजन फार्मिंग ने कृषि मशीनरी, ग्रीन हाउस फार्मिंग, उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग, माइक्रो इर्रिगेशन और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कुशल पेशेवर विशेषज्ञों की सेवाओं की ज़रूरत बढ़ा दी है।

जैविक खेती की ओर एक बार फिर से दुनिया का ध्यान गया है और भारत में जैविक खेती का उत्पादन सालाना 25 से 30 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। मछली पालन क्षेत्र में मछलियों को वैज्ञानिक तरीके से पालने और उनके प्रबंधन के तौर–तरीकों, जैसे केज कल्चर, रिसर्कुलेशन एक्वाकल्चर सिस्टम्स, बायो फ्लॉक कल्चर, ऑर्नामेंटल फिशरीज़, समुद्री घास उत्पादन, ठंडे पानी में मछली पालन जैसे अवसरों के अनेक द्वार खुले हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, बिग डाटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज जैसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी अनुप्रयोगों पर आधारित अनेक सुविधाओं से आज देश के स्मार्ट किसानों को स्मार्ट फैसले करने, कृषि प्रबंधन के बेहतर तौर–तरीके अपनाने और बाज़ार में उपलब्ध बेहतरीन अवसरों का फायदा उठाने में बड़ी मदद मिल रही है। आनुवांशिक सुधार, रोग नियंत्रण, आहार देने और प्रबंधन के नए–नए तरीकों को अपनाने से डेयरी और पशुजनित अन्य पदार्थों के उत्पादन में रिकार्ड बढ़ोत्तरी दर्ज़ की गई है। इससे खेती के वैज्ञानिक प्रबंधन, पशुओं के इलाज, प्रजनन और निषेचन कराने वाले पेशेवर विशेषज्ञों की मांग भी बढ़ी है। खाद्य पदार्थों के रिकार्ड उत्पादन और गुणवत्ता के बारे में जागरूकता बढ़ने से उपज के भंडारण, शीतगृहों और मंडियों में भी विशेषज्ञता वाले रोज़गार के अवसर बढ़े हैं। मंडी और बाजार संबंधी सुधारों से उच्च कौशल–संपन्न पेशेवर, वायदा व्यापार विशेषज्ञों, जोखिम विश्लेषकों, जिंस प्रबंधकों आदि की मांग बढ़ने की संभावना है।

तेज़ रफ्तार से हो रहे इस विस्तार के बावजूद समय–समय पर किए जाने वाले श्रमशक्ति सर्वेक्षणों (2918–19) से पता चलता है कि 15 से 59 साल के आयु वर्ग की केवल 11.3 प्रतिशत श्रमशक्ति को ही इस क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त हैं और व्यावसायिक औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण का हिस्सा सिर्फ 2.39 प्रतिशत है। इन आंकड़ों से कुशल पेशेवर विशेषज्ञों की भारी मांग का पता चलता है क्योंकि इस क्षेत्र में कौशल–संपन्न श्रमशक्ति की मांग आपूर्ति की तुलना में बहुत ज़्यादा है। लेकिन अल्पावधि प्रशिक्षण के ढांचे के तेज़ी से विस्तार, इसके सुलभ होने और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्गों के लिए अवसरों में वृद्धि, अधिक धनराशि के आबंटन और उद्योग तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने से स्थिति में अब बदलाव आने लगा है।

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, बिग डाटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज जैसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी अनुप्रयोगों पर आधारित अनेक सुविधाओं से आज देश के स्मार्ट किसानों को स्मार्ट फैसले करने, कृषि प्रबंधन के बेहतर तौर–तरीके अपनाने और बाज़ार में उपलब्ध बेहतरीन अवसरों का फायदा उठाने में बड़ी मदद मिल रही है। आनुवांशिक सुधार, रोग नियंत्रण, आहार देने और प्रबंधन के नए–नए तरीकों को अपनाने से डेयरी और पशुजनित अन्य पदार्थों के उत्पादन में रिकार्ड बढ़ोत्तरी दर्ज़ की गई है। इससे खेती के वैज्ञानिक प्रबंधन, पशुओं के इलाज, प्रजनन और निषेचन कराने वाले पेशेवर विशेषज्ञों की मांग भी बढ़ी है।

कौशल प्रदान करने के संस्थागत ढांचे में बदलाव से कौशल संबंधी परिवेश भी पूरी तरह बदल गया है और कौशल संपन्न श्रमशक्ति की बढ़ती मांग और आपूर्ति की खाई को पाटने के लिए प्रयास भी तेज़ हो गए हैं। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय–स्तर का बनाया जाने लगा है जिससे ये युवाओं के लिए आकर्षक हो गए हैं और वे इनकी ओर आकृष्ट भी हो रहे हैं। विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के कौशल विकास के प्रयासों में तालमेल कायम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की संभावनाओं का भी विस्तार हुआ है।

पिछले कुछ वर्षों में प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धियों में 2008 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) का गठन और 2015 में राष्ट्रीय कौशल मिशन का शुभारंभ शामिल है। इसके लिए भारतीय कृषि कौशल परिषद राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क के अंतर्गत कौशल विकास के पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री तैयार करने, मूल्यांकन करने और प्रमाणपत्र देने वाली नोडल एजेंसी है। इसका गठन 2013 में किया गया था और यह एन.एस.डी.सी. के अंतर्गत कार्य करती है।

केंद्रीय योजनाएं : युवाओं में कौशल विकास में आने वाली प्रमुख चुनौतियों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में होने वाला भारी खर्च, लचीलेपन की कमी और व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी गतिशीलता।

युवाओं को कौशल संबंधी पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपने कौशल के विकास की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.वाई.) शुरू की गई जिसके तहत 2016 से 2020 के दौरान देश में एक करोड़ नौजवानों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत कृषि से संबंधित 182 तरह के विभिन्न व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अलावा भी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, समन्वित बागवानी विकास मिशन और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 'आजीविका' और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत बेयर फूट टेक्नीशियन कार्यक्रम के माध्यम से अल्पावधि प्रशिक्षण की

सुविधाएं उपलब्ध हैं। 18 साल से अधिक उम्र के सभी युवा जो भारत के नागरिक हैं, इनके कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भी कृषि के क्षेत्र में काम करने के इच्छुक युवाओं के लिए एक विशेष योजना है जिसके अंतर्गत उन्हें कृषि की ओर आकर्षित या इसी क्षेत्र में बनाए रखा जा सकता है।

राज्यों की योजनाएं : केंद्र सरकार के साथ–साथ राज्य भी अपने प्रगतिशील और महत्वाकांक्षी कौशल विकास कार्यक्रम चला रहे हैं जो राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क के अनुरूप हैं और रोज़गार से जुड़े हैं। ऐसे कुछ कार्यक्रम जिनका पाठ्यक्रम तैयार करने, उनके मूल्यांकन और प्रमाणन में भारतीय कृषि कौशल परिषद (ए.एस.सी.आइ.) शामिल रही हैं, इस प्रकार हैं: पश्चिम बंगाल की उत्कर्ष बंगला योजना, असम का रोज़गार से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, हरियाणा में चलाई जा रही रोज़गारपरक सूर्य योजना, राजस्थान की रोज़गार से जुड़ी कौशल प्रशिक्षण योजना, उत्तराखंड का उद्यमिता और रोज़गार से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और बिहार कौशल विकास मिशन।

स्कूलों और कालेजों में कौशल पाठ्यक्रम : केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को चरणबद्ध तरीके से स्कूल और उच्च शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने का प्रस्ताव किया गया है। यह एक ऐतिहासिक सुधार है जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण और अकादमिक शिक्षा को समन्वित करने की पुरानी मांग को पूरा किया जा सकता है; एक प्रणाली से दूसरे में आने–जाने की सुविधा सुनिश्चित की जा सकती है और कौशल वाले कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाया जा सकता है। अब तक व्यावसायिक विषयों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समग्र शिक्षा अभियान के तहत माध्यमिक (कक्षा 9 और 10) और उच्चतर माध्यमिक (कक्षा 11 और 12) स्तर पर ही लिया जा सकता था। अब तक देश के 22 राज्यों में 1,527 स्कूलों में कृषि संबंधी पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं जिनका मूल्यांकन और प्रमाणन हो चुका है।

उच्च शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कौशल–आधारित कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। देश में प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, बी. वॉक. या एम.वॉक. जैसे पाठ्यक्रमों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस तरह के क्रेडिट–आधारित लचीले पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने और छोड़ने की लचीली व्यवस्था है और कई तरह से दाखिला लेकर आवश्यकता पड़ने पर छोड़ा जा सकता है। इससे उम्मीदवार पाठ्यक्रम पूरा होने पर रोज़गार कर सकता है और अपनी सुविधा से उच्चतर पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकता है। पाठ्यक्रम पूरा होने पर वह अपने बढ़े हुए कौशल के साथ अधिक ऊंचे पद पर फिर रोज़गार हासिल कर सकता है। इस समय देश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबद्ध 130 कॉलेज हैं जहां राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) से मान्यता प्राप्त कौशल आधारित कृषि से संबंधित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

प्रशिक्षुता : राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन कार्यक्रम (एनएपीएस) ने प्रशिक्षुता कार्यक्रम का दायरा, पहुंच और असर में काफी सुधार किया है। प्रशिक्षुओं को अब उनकी शैक्षिक योग्यताओं और अनुभव के आधार पर 5,000 रुपये से 9,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड दिया जाता है। कृषि में काम आने वाली वस्तुएं बनाने वाली और

एग्री लॉजिस्टिक्स कंपनियां, भंडारण, पैकेजिंग और कृषि उत्पादन प्रबंधन कंपनियां, फसल बीमा कंपनियां, संगठित खुदरा व्यापार कंपनियां और खेती में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले आधुनिक फार्मों के कामकाज को देखने के लिए भी कुशल श्रमशक्ति की आवश्यकता होती है। इसके लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना पोर्टल https://apprenticeshipindia.org/ पर नाम दर्ज कराना चाहिए। प्रशिक्षुता की अवधि 6 महीने से तीन साल तक हो सकती है।

उद्योगों की भागीदारी : कौशल विकास की व्यवस्था के तहत उद्योगों की भागीदारी बड़ी महत्वपूर्ण है। इससे कौशलों में कमियों को दूर किया जा सकता है, सेवाकालीन और प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, और प्रशिक्षित लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं।

स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रमाणपत्रों का बड़ा महत्व है और उन्हें व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है क्योंकि तमाम कृषि माड्यूलों को पेशेवर संगठनों और बड़े से बड़े उद्योगों की मंजूरी मिली हुई है। यही नहीं, प्रमाणित कौशल वाले उम्मीदवारों को अंतर्राष्ट्रीय–स्तर पर नौकरियां भी मिल रही हैं।

तेज़ी से विकसित हो रहे प्रशिक्षण उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कौशलों को अर्जित करने के लिए अनेक मिश्रित पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं जिन्हें https://eskillindia.org/ वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इन पाठ्यक्रमों के ऑनलाइन माड्यूलों ने नए कौशलों, टेक्नोलॉजी और ज्ञान को हासिल करना बहुत सुलभ बना दिया है। इतना ही नहीं, रोज़गार मेलों और राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के 'असीम' (https://smis.nsdcindia.org/) और भारतीय कृषि कौशल परिषद के https://agriplacements.in/ जैसे रोज़गार संबंधी पोर्टलों से कौशल प्राप्त उम्मीदवारों के लिए सही रोज़गार प्राप्त करना भी आसान हो गया है।

उद्यमियों की मदद : ज़्यादातर नौजवान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं। विभिन्न मंत्रालयों की वेंचर पूंजी निधियों में भरपूर अवसर उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय किसान विकास योजना के अंतर्गत कृषि के क्षेत्र में उद्यमिता के विकास की पहल (आइडीईए), लघु कृषक कृषि विकास संघ (एसएफएसी) की वेंचर कैपिटल फाइनेंस सहायता (वीसीए), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की 'एस्पायर' योजना, महिलाओं के प्रशिक्षण और रोज़गार के कार्यक्रम में मदद की योजना 'स्टेप' (एसटीईपी) कुछ ऐसी पहल हैं जिनका उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने अपने सदस्य बैंकों को एक निर्देश जारी किया है जिसमें भारतीय कृषि कौशल परिषद से प्रमाणित उम्मीदवारों को बैंकों से ऋण देने में प्राथमिकता देने को कहा गया है।

तेज़ी से विकसित हो रहे प्रशिक्षण उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कौशलों को अर्जित करने के लिए अनेक मिश्रित पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं जिन्हें https://eskillindia.org/ वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इन पाठ्यक्रमों के ऑनलाइन माड्यूलों ने नए कौशलों, टेक्नोलॉजी और ज्ञान को हासिल करना बहुत सुलभ बना दिया है। इतना ही नहीं, रोज़गार मेलों और राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के 'असीम' (https://smis.nsdcindia.org/) और भारतीय कृषि कौशल परिषद के https://agriplacements.in/ जैसे रोज़गार संबंधी पोर्टलों से कौशल प्राप्त उम्मीदवारों के लिए सही रोज़गार प्राप्त करना भी आसान हो गया है। मछलीपालन, डेयरी फार्मिंग, मशरूम की खेती, जैविक खेती, वर्मी कम्पोस्ट बनाने जैसे व्यवसायों में तो सफलता की गाथाओं की बहुतायत है। इनके अल्पावधि पाठ्यक्रमों में भाग लेकर लोगों ने थोड़े समय में ही अपनी आमदनी, उत्पादकता और कार्य की गुणवत्ता काफी बढ़ा ली है। इस दिशा में किए जा रहे तमाम प्रयास युवाओं को अपनी ओर आकृष्ट करने, प्रशिक्षण प्राप्त करने, उद्यमों को सफलतापूर्वक चलाने में काफी मददगार रहे हैं। बहुत से युवाओं ने प्रशिक्षण लेकर अच्छे नियोक्ताओं के यहां नौकरियां भी हासिल की हैं।

किसानों की क्षमता के विकास और उनको अधिकार–संपन्न बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकारों, स्वायत्त संगठनों और उद्योगों के प्रमुखों के सहयोग से पहले से अर्जित उनके ज्ञान (आरपीएल) को मान्यता प्रदान की गई है। महाराष्ट्र कृषि कौशल कार्यक्रम ने 2.5 लाख किसानों को समूह खेती में, केरल कृषि उद्योग निगम ने 40 हजार किसानों को सब्जियों, नारियल और बागवानी में, राष्ट्रीय मात्स्यिकी बोर्ड ने 12 हजार को मछलीपालन में, मसाला बोर्ड ने 20 हजार को जैविक खेती और वर्मी कम्पोस्ट में, चाय बोर्ड ने 20 हजार को चाय की खेती करने, असम कौशल विकास मिशन ने 20 हजार किसानों को रेशमकीट पालन, चाय उगाने और बांस की बागवानी और पतंजलि जैव अनुसंधान प्राइवेट लिमिटेड ने 80 हजार किसानों को समूह खेती और जैविक खेती आदि का प्रशिक्षण देकर उनके कौशल का विकास किया है।

निष्कर्ष रूप में कहना चाहूंगा कि कृषि सही मायने में भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो नई गतिशीलता और उत्तेजना से उद्वेलित है। यह क्षेत्र टिकाऊ भविष्य की दिशा में लंबी छलांग लगाने वाला है। भारत के कौशल संबंधी परिवेश ने देश में क्रांतिकारी बदलाव की अगुआई कर रहे युवाओं की शक्ति और उत्साह का फायदा उठाने के लिए माध्यम बनने को कमर कस ली है और भारतीय कृषि कौशल परिषद आवश्यक बुनियादी ढांचे, औज़ारों और सही क्षमताओं का निर्माण करके उनके कौशलों के उन्नयन हेतु वचनबद्ध है।

(लेखक भारतीय कृषि कौशल परिषद में सीईओ हैं।)

(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई–मेल : ceo@asa-india.com

सशक्त युवा, सशक्त राष्ट्र

–डॉ. श्रद्धा वशिष्ठ

तेजी से बदलती दुनिया में युवा सशक्तीकरण की आवश्यकता सर्वोपरि है। ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने समय–समय पर कई योजनाएं बनाई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी युवा सशक्तीकरण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ग्रामीण युवाओं को सशक्त करना देश को सशक्त करने के समान है। गांवों का तभी विकास होगा जब ग्रामीण युवा आजीविका और बेहतर ज़िंदगी के लिए शहरों में ना जाकर अपनी ही जन्मभूमि को अपनी कर्मभूमि बनाकर उसके विकास के लिए कार्य करेगा।

कहते हैं कि युवा देश को बदल सकते हैं, समाज में बदलाव ला सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं और नई ऊंचाइयों को परिभाषित कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी देश के लिए उसके युवा ही उसका असली ख़ज़ाना हैं।

युवा से तात्पर्य– संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 15 से 24 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को 'युवा' कहते हैं हालांकि हमारे देश में युवा आयु वर्ग को 15 से 29 वर्ष के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत आज विश्व का सबसे युवा देश है। हमारी औसत आयु 29 वर्ष है जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।

आबादी के हिसाब से भारत की 50 फ़ीसदी से अधिक आबादी की उम्र 25 साल से कम है।

65 फ़ीसदी से अधिक आबादी की उम्र इस समय 35 साल से कम है।

युवा सशक्तीकरण का अर्थ– युवा सशक्तीकरण एक लोकप्रिय शब्द है जो हर कोई अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करता है। किसी के लिए यह रोज़गार से संबंधित है तो कोई इसका अर्थ युवाओं को सही राह पर लाने से जोड़ता है। भारत सरकार युवाओं को सशक्त करने के लिए कई योजनाएं चला रही है और वहीं बहुत–सी संस्थाएं युवाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देकर उन्हें सशक्त कर रही हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है युवा सशक्तीकरण का अर्थ सही मायनों में जानना। युवा सशक्तीकरण का मतलब है युवाओं को पढ़ाई और रोज़गार के अवसर प्रदान करना ताकि वह खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर सकें और आने वाली पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर प्रदान कर सकें। वे अपने अधिकारों और दायित्वों से भलीभांति परिचित हों। उनमें भरपूर आत्मविश्वास हो तथा सही और ग़लत को पहचानने

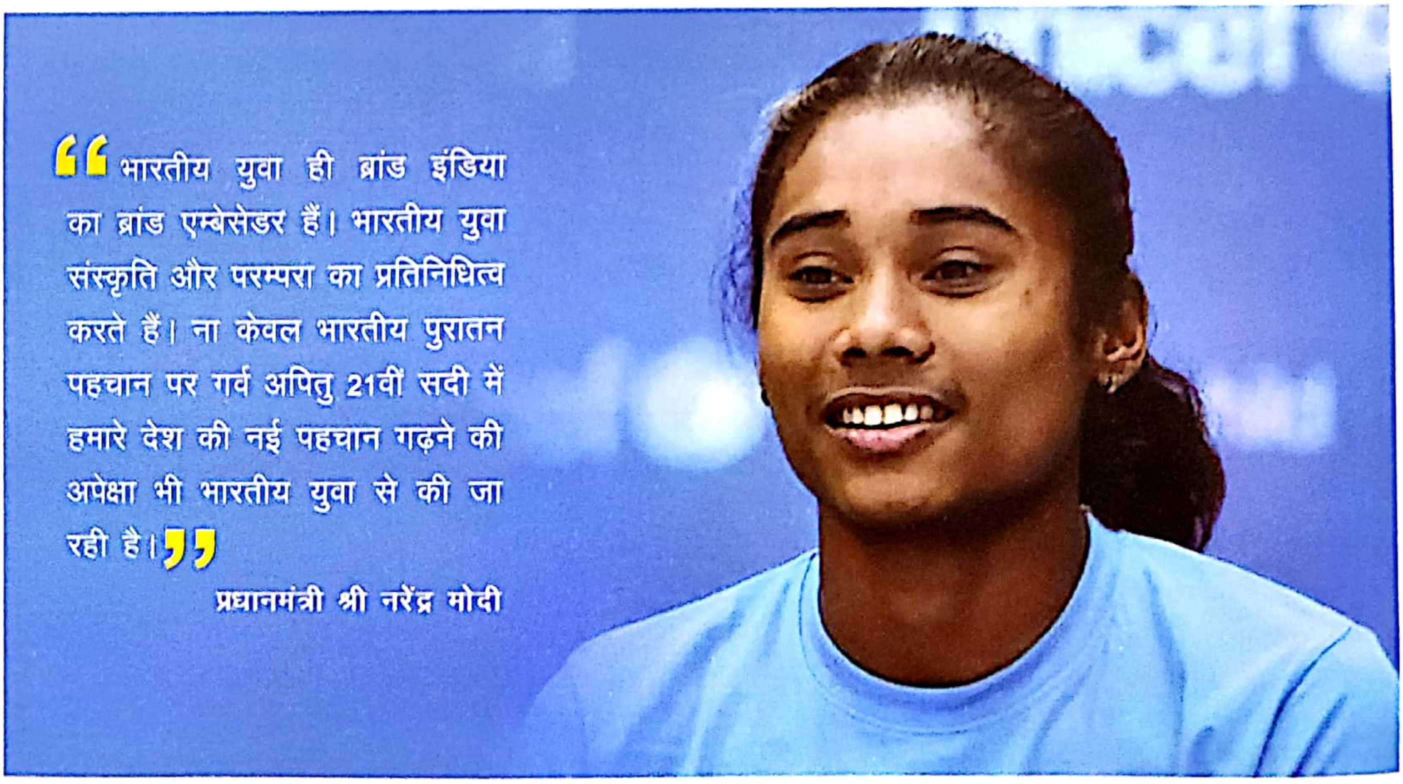

> "भारतीय युवा ही ब्रांड इंडिया का ब्रांड एम्बेसेडर हैं। भारतीय युवा संस्कृति और परम्परा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ना केवल भारतीय पुरातन पहचान पर गर्व अपितु 21वीं सदी में हमारे देश की नई पहचान गढ़ने की अपेक्षा भी भारतीय युवा से की जा रही है।"
>
> **प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी**

यूनिसेफ में भारत की पहली युवा एम्बेसेडर हिमा दास ने फिनलैंड में जुलाई 2018 में आयोजित आईएएफ अंडर 20 चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था।

की शक्ति हो जिसकी वजह से वे खुद भी ग़लत राह से दूर रहें और अपने परिजनों को भी इसके दुष्परिणामों से अवगत करवाएं।

ग्रामीण युवा सशक्तीकरण से तात्पर्य– ग्रामीण परिवेश के संदर्भ में सशक्तीकरण के मतलब में और गहराई सम्मिलित हो जाती है। ग्रामीण युवाओं का गांवों में रहकर वहां के परिवेश को समझना, विकसित करना, कृषि, स्थानीय कारीगरी को स्वावलंबी बनाना, सक्षम बनाना, बेहतर बनाना ग्रामीण सशक्तीकरण है। जब युवा गांवों में रहकर गांवों की बेहतरी के लिए कदम उठाएंगे तो गांवों की समृद्धि और खुशहाली निश्चित है।

क्यों ज़रूरी है ग्रामीण युवा सशक्तीकरण

- ग़रीबी दर को कम करने में सहायता प्रदान करता है।
- गांवों के विकास में सहायक सिद्ध होता है।
- जब जागरूकता बढ़ती है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- रोज़गार के अवसरों में वृद्धि होती है।
- आत्मनिर्भर युवा आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है और निर्भय होकर फ़ैसले लेने का साहस रखता है।

युवा सशक्तीकरण के सम्मुख चुनौतियां– भारतीय गांव एक सांस्कृतिक इकाई हैं। संस्कृति, कला, मूल्य– गांवों की शक्ति है। इन्ही विशेषताओं के आधार पर सुप्रसिद्ध पर्यटक ट्रेवनियर ने कहा था कि भारत का प्रत्येक गांव अपने आप में एक छोटा–सा देश है। भारतीय घटनाओं से ग्रामीण जीवन अप्रभावित रहता है और इन्ही विशेषताओं के परिणामस्वरूप एक समय हमारे देश को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। परंतु ग्रामीण युवा जो एक समय पर खेती को उत्तम, व्यापार को मध्यम और नौकरी को निकृष्ट कहता था वह आज शहरों में रहने में ज़्यादा रूचि दिखा रहा है। गांवों में अपनी ज़मीन होने के बावजूद उन्हें शहरों की नौकरियां आकर्षित कर रही हैं। गांवों के बड़े घरों को छोड़ कर शहरों में एक कमरे में पूरे परिवार के साथ रह रहे हैं। उच्च शिक्षा को प्राप्त करने का अर्थ शहरों में जीवन व्यतीत करने से जोड़ा जा रहा है। शहर भर रहे हैं और गांव ख़ाली हो रहे हैं। शहरों की बढ़ती भीड़ वहां पर बिजली, पानी इत्यादि की समस्याओं को बढ़ा रही है। ग्रामीण युवा शहरी चकाचौंध के प्रभाव में आता नज़र आ रहा है।

स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकारी नीतियां और योजनाएं– भारत सरकार ने ग्रामीण युवाओं को सशक्त करने की आवश्यकता को स्वीकारा है और समय–समय पर विभिन्न नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया है।

राष्ट्रीय युवा नीति (2014)– राष्ट्रीय युवा नीति की शुरुआत 2014 में इस उद्देश्य से हुई–

"देश के युवाओं को अपनी पूर्ण क्षमताओं को विकसित करने के लिए सशक्त बनाना तथा उनके माध्यम से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसका सही स्थान दिलाना।"

युवा आबादी को ध्यान में रखते हुए, देश के विकास तथा उत्थान के लिए राष्ट्रीय युवा नीति लाई गई। मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए नीति में पांच भली–भांति परिभाषित उद्देश्यों तथा प्राथमिकता वाले 11 क्षेत्रों की पहचान की गई। सभी स्टेक होल्डरों को 5 प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया, जो इस प्रकार हैं–

- एक सफल कार्यबल का गठन करना जो देश की अर्थ्यव्यस्था की बेहतरी में योगदान दे।
- एक ऐसी भावी पीढ़ी को तैयार करना जो सशक्त हो, स्वस्थ हो और चुनौतियों का सामना कर सके।
- सामाजिक मूल्यों और राष्ट्रीय ज़िम्मेदारी की भावना को बढ़ाने के लिए सामुदायिक सेवा को प्रोत्साहित करना।
- नागरिकों की सेवा लेना और उनकी भागीदारी को सरल बनाना।
- जोखिमग्रस्त युवाओं की मदद तथा लाभ से वंचित एवं सीमांत युवाओं के लिए समतामूलक अवसर सुनिश्चित करना।

युवाओं को सशक्त बनाने के लिए जिन 11 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई, वे इस प्रकार हैं–

- शिक्षा; रोज़गार और कौशल विकास; उद्यमिता; स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवनशैली; खेल; सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना; सामुदायिक सहभागिता; राजनीति और शासन में भागीदारी; युवा सहभागिता; समावेशन; सामाजिक न्याय।

मेक इन इंडिया (2014)– मेक इन इंडिया की शुरुआत 2014 में हुई और इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं–

- निवेश को सुविधाजनक बनाना;
- नवप्रयोग को बढ़ावा देना;
- कौशल विकास में वृद्धि करना;
- बौद्धिक संपदा को सुरक्षा देना;
- सर्वोत्तम श्रेणी का मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्मित करना।

इसकी शुरुआत 2014 में रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से हुई। इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि जो निर्माता हमारे देश में निर्माण के लिए तैयार हैं, उनके बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का पूरा ख्याल रखा जाए। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की ढेर सारी विशेषताएं हैं। उनमे से कुछ इस प्रकार हैं–

- रोज़गार के अवसर मुहैया करवाना जिसमें ग्रामीण युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया हो।
- आयात को कम करने, निर्यात को बढ़ाने और वस्तुओं एवं सेवाओं को देश में ही बनाने की सरकार की मुहिम को बढ़ावा देना।
- उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कारोबार के वातावरण को आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाना।
- भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के

लगातार प्रयास करना।

- भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
- अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने के प्रयास करना।
- श्रम क़ानूनों से लेकर ऑनलाइन रिटर्न भरने तक अनेक सकारात्मक बदलाव करना।
- सरकारी–निजी भागीदारी को नई दिशा देना।
- कारोबार से जुड़े पुराने और अनुपयोगी ढांचे को हटाया गया। उनकी जगह पारदर्शी और उपयोगकर्ताअनुकूल प्रणालियां अपनायीं गई।
- लाइसेंसिंग नियमों को दुरुस्त करना।

राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम– राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम, युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित केंद्रीय योजना है। यह योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना के समय से शुरू हो गई थी। युवाओं के सशक्तीकरण के लिए इस योजना की शुरुआत की गई जिसमें 8 उप–योजनाओं को भी शामिल किया गया। योजना के लाभार्थियों में 15–29 आयु समूह के युवाओं को सम्मिलित किया गया जो राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में 'युवा' की परिभाषा के अनुरूप हैं। राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित 8 उप–योजनाओं को सम्मिलित किया गया है–

- नेहरू युवा केंद्र संगठन; राष्ट्रीय युवा वाहिनी; राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम; अंतर्राष्ट्रीय सहयोग; युवा छात्रावास; स्काउट और गाइड संगठनों को सहायता; राष्ट्रीय अनुशासन योजना; राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम।

> तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमारे देश में समग्र तथा बहु–विषयक प्रकार से ज्ञान प्रदान करने की परंपरा के स्तंभ रहे हैं। हमारा प्राचीन साहित्य जैसे बाणभट्ट की कादम्बरी शिक्षा को 64 कलाओं के ज्ञान के रूप में दर्शाते हैं। इनमें बढ़ई तथा कपड़े सिलने के काम से लेकर रसायन शास्त्र और गणित जैसे विषय शामिल हैं। आधुनिक युग में यह लिबरल आर्ट्स (कलाओं को समझने का उदार दृष्टिकोण) कहलाया जो वास्तव में भारत की ही देन है। इस दृष्टिकोण को पुनः आधुनिक शिक्षा में शामिल करने पर ज़ोर दिया गया है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (2015)– वर्ष 2015 में बेरोज़गारी की समस्या को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आरंभ की गई। इस योजना को नेशनल स्किल डेवेलपमेंट और एंटरप्रेन्योशिप पॉलिसी के तहत शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ऐसे युवाओं को रोज़गार देना था जो कम पढ़े–लिखे थे या उन्हें किसी कारणवश पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी थी। इस योजना के तहत युवाओं को उद्योगों से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उन्हें रोज़गार प्राप्त करने में मदद मिल सके। प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए युवाओं से कोई फ़ीस नहीं ली जाती बल्कि उन्हें पुरस्कार के रूप में 5 हजार से 10 हजार रुपये तक की धनराशि सरकार के द्वारा मिलती है। कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि 3 महीने, 6 महीने और 1 साल होती है। कोर्स पूरा करने के बाद सर्टिफ़िकेट दिया जाता है। यह सर्टिफ़िकेट पूरे देश में मान्य होता है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की मुख्य विशेषता यह है कि युवाओं को कौशल प्रशिक्षण तथा आर्थिक सहायता के साथ नौकरी प्राप्त करने में भी सहयोग दिया जाता है। रोज़गार मेलों के द्वारा ऐसे युवाओं को सरकार नौकरी दिलाने में सहयोग प्रदान करती है। पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद युवाओं का स्वीकृत मूल्यांकन एजेंसी के माध्यम से किया जाता है। मूल्यांकन पास कर लेने की स्थिति में कौशल कार्ड दिया जाता है। 15 जनवरी, 2021 से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत 600 ज़िलों में हो गई है। इस चरण में कोरोना से संबंधित कौशल योजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित रहेगा।

डिजिटल इंडिया (2015)– डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाने के लिए की गई। इस अभियान के तहत शिक्षा, अस्पताल समेत सभी स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी दफ्तरों को इंटरनेट के ज़रिए गांव से जोड़ने के प्रयास किए गए। गांवों में तेज स्पीड वाले ब्रॉडबैंड सेवा को उपलब्ध करवाना इस कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य है। डिजिटल साक्षरता को बेहतर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इस योजना की शुरुआत 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। इस योजना के तहत बेरोज़गारी को दूर करना, डिजिटल जानकारी को बढ़ाना और गांवों में तेज गति वाली इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करवाने पर ज़ोर दिया गया। देश के प्रत्येक नागरिक मुख्य तौर पर ग्रामीण युवाओं के रोज़गार और उत्थान को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सुविधाएं मुहैया करवाने पर ज़ोर दिया गया–

- उच्च गति का इंटरनेट सभी ग्राम पंचायतों में उपलब्ध करवाना;
- जीवन से मृत्यु तक डिजिटल पहचान के कार्य पर ज़ोर;
- मोबाइल फोन और बैंक खाता : व्यक्तिगत–स्तर पर डिजिटल और वित्तीय प्रक्षेत्र में भाग लेने के लिए सक्षमता प्रदान करने के प्रयास;
- जगह–जगह पर कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत;
- निरापद और सुरक्षित साइबर–स्पेस की उपलब्धता;

डिजिटल इंडिया एक परिवर्तनकारी कार्यक्रम है जिसका असर कुछ वर्षों में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा।

स्टार्टअप इंडिया (2016)– सितंबर 2015 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे तब उन्होंने सिलिकन वैली में लाखों स्टार्टअप कंपनियों को रोज़गार पैदा करते देखा। वापिस आने के बाद उन्होंने इस योजना पर कार्य करना आरंभ कर दिया जिसके फलस्वरूप जनवरी 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत छोटे उद्योगों और व्यापारियों को बढ़ावा

देने के लिए उन्हें आसान शर्तों पर ऋण देने की सुविधा प्रदान की जाती है। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत व्यापार और रोज़गार के अवसर बढ़ाने के मक़सद से हुई। इसलिए छोटे शहरों और गांवों के युवाओं को इससे जोड़ने के सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए गए हैं। यदि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की विशेषताओं की बात की जाए तो वह इस प्रकार हैं–

- इस योजना के तहत कारोबारियों द्वारा कमाए जाने वाले मुनाफ़े पर पहले तीन वर्ष आयकर में छूट मिलती है।
- इन उद्योगों में वित्तपोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्यमियों द्वारा किए गए निवेश के बाद अपनी संपत्ति बेचने पर लगने वाले पूंजीगत लाभ टैक्स से भी छूट मिलती है। यह छूट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उद्यम पूंजीकोषों के निवेश पर भी उपलब्ध होती है।
- नए उद्योगों के लिए एक उदार पेटेंट व्यवस्था भी सरकार द्वारा की गई है। पेटेंट पंजीकरण में इन उद्यमों को पंजीकरण शुल्क में 80 प्रतिशत तक की छूट दी जाती है।
- दिवालिया कानून में स्टार्टअप उद्यमों को कारोबार बंद करने के लिए सरल निर्गम विकल्प देने का प्रावधान भी किया गया है। इसके तहत अगर काम नहीं चलता है तो 90 दिन की अवधि में ही स्टार्टअप अपना कारोबार बंद कर सकते हैं।
- स्वप्रमाणन आधारित अनुपालन व्यवस्था से स्टार्टअप पर नियामकीय बोझ कम करने की व्यवस्था की गई है।
- दुनिया भर में स्टार्टअप की तीसरी बड़ी संख्या भारत में है। सरकार इन उद्यमों को सरकारी खरीद ठेके लेने के मामले मे भी मापदंड में कई तरह की छूट दे रही है।
- इसमें महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है।

16 जनवरी, 2021 को स्टार्टअप इंडिया की पांचवीं सालगिरह के मौक़े पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1,000 करोड़ रुपये के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की घोषणा की ताकि इस योजना का क्रियान्वयन और कारगर तरीक़े से किया जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020)– तेज़ी से बदलते समय के अनुसार भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति की शुरुआत की है जिसमें स्किल बढ़ाने के साथ शोध पर भी ज़ोर दिया गया है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन बिंदुओं पर ज़ोर दिया गया है–

- ग्रामीण युवा अपने गांवों में रहकर ही शिक्षा प्राप्त कर सकें; इसके लिए ओडीएल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों को ऑनलाइन कोर्स विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- ओर्गेनिक लिविंग, पर्यावरण शिक्षा और आर्टिफ़िशल इंटेलिजेंस जैसे विषयों से संबंधित विभिन्न कौशलों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।
- स्कूली बच्चों को स्थानीय व्यावसायिक विशेषताओं जैसे माली, कलाकार, बढ़ई, कुम्हार इत्यादि को जानने और समझने के मौक़े मिलेंगे। छुट्टियों के दौरान व्यावसायिक विषय समझने के ऑनलाइन अवसर प्रदान क़िए जाएंगे।
- छोटी उम्र से ही युवाओं को सशक्त करने के इरादे से उन्हें अपने गांव/तहसील/ज़िला/राज्य में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों का दौरा करवाने का प्रबंध किया जाएगा। साथ ही, स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों से मिलने के पर्याप्त मौक़े और सांस्कृतिक तथा पर्यटक महत्व के स्थानों के दौरों के अवसर भी दिए जाएंगे।
- तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमारे देश में समग्र तथा बहु–विषयक प्रकार से ज्ञान प्रदान करने की परंपरा के स्तंभ रहे हैं। हमारा प्राचीन साहित्य जैसे बाणभट्ट की कादम्बरी शिक्षा को 64 कलाओं के ज्ञान के रूप में दर्शाते हैं। इनमें बढ़ई तथा कपड़े सिलने के काम से लेकर रसायन शास्त्र और गणित जैसे विषय शामिल हैं। आधुनिक युग में यह लिबरल आर्ट्स (कलाओं को समझने का उदार दृष्टिकोण) कहलाया जो वास्तव में भारत की ही देन है। इस दृष्टिकोण को पुनः आधुनिक शिक्षा में शामिल करने पर ज़ोर दिया गया है।
- स्कूली और उच्चतर शिक्षा के द्वारा कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा। इसके लिए एक कार्ययोजना विकसित की जाएगी जिसमें लक्ष्य और समय–सीमा दोनों स्पष्ट होंगे। व्यावसायिक और शैक्षिक क्षमताओं का विकास एक साथ चलेगा।
- 2030 के दशक में सभी माध्यमिक स्कूलों के शैक्षणिक विषयों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाएगा। माध्यमिक विद्यालय – आईटीआई पॉलीटेक्नीक और स्थानीय उद्योगों के साथ संपर्क और सहयोग करेंगे। हब और स्पोक मॉडल में कौशल प्रयोगशालाएं स्कूलों में स्थापित की जाएंगी और अन्य स्कूल भी इन सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे।
- उच्चतर शिक्षण संस्थानों में सॉफ़्ट सकिल्स के सर्टिफ़िकेट कोर्स करने की अनुमति होगी।
- अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फ़ाउंडेशन की स्थापना की जाएगी।
- शिक्षा का विकास, मूल्यांकन और नीतियों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी बनाया जाएगा।

राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क को प्रत्येक विषय व्यवसाय के लिए विस्तारपूर्वक निर्मित किया जाएगा। स्वदेशी मानकों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बनाए गए रोज़गारों के अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण के साथ जोड़ा जाएगा। पूर्ववर्ती शिक्षा की आवश्यकताओं को मुख्य स्थान दिया जाएगा। ड्रापआउट बच्चों के व्यावहारिक अनुभव को फ्रेमवर्क के प्रासंगिक–स्तर के साथ जोड़कर पुनः औपचारिक प्रणाली से जोड़ा जाएगा।

वर्तमान उपलब्धियां– युवाओं को स्किल, रिस्किल और अपस्किल करने हेतु भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन जैसे कार्यक्रमों से संबंधित उपलब्धियां इस प्रकार हैं–

- स्किल इंडिया मिशन के तहत एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- नेशनल करियर सर्विस की शुरुआत की गई है जिसके तहत एक मंच पर सभी नौकरियों की जानकारी दी जा रही है। 10 दिसंबर, 2020 तक 1,02,74,899 युवा और 81158 नियोक्ता इससे जुड़ चुके हैं।
- 720 से अधिक कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना 704 ज़िलों में की जा चुकी है। 34 लाख से अधिक युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है।
- सामान्य वर्ग के गरीब युवाओं को शिक्षा और सरकारी नौकरी में 10 फ़ीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

पिछले कुछ दशकों में आरंभ की गई अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं– वर्तमान योजनाओं के अतिरिक्त पिछले 3–4 दशकों में भी भारत सरकार ने ग्रामीण युवाओं को सशक्त करने की दृष्टि से बहुत–सी योजनाएं चलाई, जैसेकि वर्ष 1979 में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण द्वारा रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए ग्रामीण युवा सशक्तीकरण के लिए प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की गई। जवाहर रोज़गार योजना की शुरुआत वर्ष 1989 में ग्रामीण बेरोज़गारों को रोज़गार प्रदान करने के लिए की गई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना का प्रारम्भ ग्रामीण बेरोज़गारी को दूर कर स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1999 में किया गया। वर्ष 2001 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य रोज़गार मुहैया कराना था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई जिसके तहत् ग़रीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीणों को एक वर्ष में 100 दिन रोज़गार देने की गारंटी सरकार द्वारा दी गई।

ग्रामीण युवा सशक्तीकरण के लिए बुनियादी ज़रूरतें– यदि ग्रामीण युवाओं को सशक्त करना है तो निम्न बुनियादी ज़रूरतों को प्राथमिकता देनी होगी:

स्कूली शिक्षा– यदि युवाओं को अच्छी शिक्षा के मौक़े अपने गांवों में रहते ही मिलेंगे तो शहर उन्हें कम आकर्षित करेंगे।

कॉलेज शिक्षा– युवाओं को इस सोच से बाहर निकलना होगा कि उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए शहरों में जाने के अतिरिक्त कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए आवश्यकता है कि मान्यता प्राप्त संस्थान ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज़ चलाएं जिनकी मदद से ग्रामीण युवा गांवों में रहकर ही अपने पसंदीदा विषय पढ़ सकें।

इंटरनेट कनेक्टिविटी– गांवों में रहते हुए शिक्षा प्राप्त करने, विभिन्न प्रकार की जानकारी को पाने और नेट बैंकिंग जैसी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए ज़रूरी है बढ़िया इंटरनेट कनेक्टिविटी गांव–गांव तक पहुंचे। इससे ग्रामीण युवा को आगे बढ़ने के पर्याप्त मौक़े मिलेंगे और वे सशक्त भी होंगे।

रोज़गार– रोज़गार वह सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से युवा शहरों की तरफ़ रुख़ कर रहे हैं। यदि गांवों में रहकर उन्हें उनकी क्षमता अनुसार रोज़गार के अवसर मिलेंगे तो निःसंदेह युवा गांवों में रहना ही बेहतर समझेंगे। ज़रूरी है कि ग्रामीण युवा को कृषि, मवेशी पालन या फिर पारिवारिक परम्परागत कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए बैंकों से ऋण की सुविधा मिले ताकि वह खुद भी आगे बढ़ें और गांवों से बेरोज़गारी को दूर करने मे भी सहायक सिद्ध हों।

जागरूकता– ज़रूरी है ग्रामीण युवा को अवगत करवाना कि शहरों में बढ़ती भीड़ में वे सशक्त नहीं होंगे। अपने ही गांव में रहकर अपनी जड़ों से जुड़कर, अपने परिवेश को समझ कर, उसकी बेहतरी के लिए कार्य कर ही सशक्तीकरण सम्भव है। ग्रामीण युवा को यह जानने की ज़रूरत है कि अपने गांवों के बड़े घरों को छोड़कर, शुद्ध वायु और भोजन के अभाव में जो तरक़्क़ी मिलेगी, वह केवल एक दिखावा है। सही मायनों में प्रगति वह होगी जिसमें युवा खुद भी सशक्त होंगे, गांव भी सशक्त होंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर समाज की नींव भी डालेंगे और देश को भी मज़बूती प्रदान करेंगे। इसलिए ग्रामीण युवा को जागरूक बनाना बेहद आवश्यक है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा दिवस (12 जनवरी, 2021) पर कहा कि "हमारा युवा अपनी प्रतिभा और अपने सपनों के अनुसार खुद को विकसित कर सके, इसके लिए एक वातावरण तैयार किया जा रहा है। शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था तथा क़ानूनी बारिकियां – सबको केंद्र में रख कर योजनाएं बनाई जा रहीं हैं।"

ग्रामीण युवाओं को सशक्त करना देश को सशक्त करने के समान है। गांवों का तभी विकास होगा जब ग्रामीण युवा आजीविका और बेहतर ज़िंदगी के लिए शहरों में ना जाकर अपनी ही जन्मभूमि को अपनी कर्मभूमि बनाकर उसके विकास के लिए कार्य करेगा। जब व्यवहार में सरलता, शुद्ध वातावरण और खानपान, भारतीय संस्कृति में श्रद्धा, आपसी प्यार, कृषि, मवेशी पालन, संसाधनों का सामुदायिक स्वावलंबन और परम्परागत कारीगरी पर युवा को गर्व होगा तब निःसंदेह देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा।

(लेखिका शैक्षिक पहल 'सबकी शिक्षा' यूट्यूब चैनल की संस्थापिका हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर के रूप में कार्य भी कर चुकी हैं।)

(लेख में व्यक्त विचार उनके निजी हैं।)

ई–मेल : shradhavasisht@gmail.com

भारत की तरफ दुनिया आशा और उम्मीद की नज़रों से देख रही है- प्रधानमंत्री

सर्वे सन्तु निरामयाः।
सभी रोगमुक्त रहें।
OBSERVATION ROOM

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी, 2021 को नई दिल्ली में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अखिल भारतीय कोविड–19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करते हुए।

- "भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और –भारत की वैक्सीन ऐसी तकनीक पर बनाई गई हो महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। जिसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा।"
- "भारत की वैक्सीन ऐसी तकनीक पर बनाई गई हैं, जो भारत में बरसों से 'ट्राइड' और 'टेस्टिड' हैं। ये वैक्सीन स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक भारतीय स्थितियों और परिस्थितियों के अनुकूल हैं। यही वैक्सीन अब भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक जीत दिलाएगी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने जैसी इच्छाशक्ति दिखाई है, जो साहस दिखाया है, जो सामूहिक शक्ति का परिचय करवाया है, वो आने वाली अनेक पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेगा।"
- "इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। ये अभियान कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज़्यादा ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या 3 करोड़ से कम है। और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें अगले वाले चरण में टीका लगेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, 30 करोड़ की आबादी से ऊपर के दुनिया के सिर्फ तीन ही देश हैं– खुद भारत, चीन और अमेरिका। और कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनकी आबादी इनसे ज़्यादा हो। इसलिए भारत का टीकाकरण अभियान इतना बड़ा है। और इसलिए ये अभियान भारत के सामर्थ्य को दिखाता है।"
- "भारत के वैक्सीन वैज्ञानिक, हमारा मेडिकल सिस्टम, भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वसनीयता है और पहले से है। हमने ये विश्वास अपने ट्रैक रिकॉर्ड से हासिल किया है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाएं, दुष्प्रचार से बचकर रहना है।"
- "आज जब हमने अपनी वैक्सीन बना ली है, तब भी भारत की तरफ दुनिया आशा और उम्मीद की नज़रों से देख रही है। हमारा टीकाकरण अभियान जैसे–जैसे आगे बढ़ेगा, दुनिया के अनेक देशों को हमारे अनुभवों का लाभ मिलेगा। भारत की वैक्सीन, हमारी उत्पादन क्षमता, पूरी मानवता के हित में काम आए, ये हमारी प्रतिबद्धता है।"
- "ये टीकाकरण अभियान अभी लंबा चलेगा। हमें जन–जन के जीवन को बचाने में योगदान देने का मौका मिला है। इसलिए इस अभियान से जुड़ी प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए भी देश में वालंटियर आगे आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, और भी अधिक वालंटियरस को मैं अपना समय इस सेवा कार्य में जोड़ने के लिए जरूर आग्रह करूंगा।" "मॉस्क, दो गज़ की दूरी और साफ–सफाई, ये टीके के दौरान भी और बाद में भी ज़रूरी रहेंगे। टीका लग गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप कोरोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें। अब हमें नया प्रण लेना है– दवाई भी, कड़ाई भी!"
- "आप सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ इस टीकाकरण अभियान के लिए पूरे देश को बहुत–बहुत शुभकामनाएं देता हूं!"

–16 जनवरी, 2021 को सम्पूर्ण भारत में कोविड 19 टीकाकरण अभियान के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के मुख्य अंश

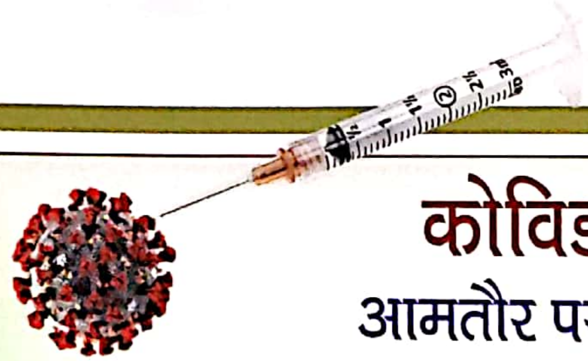

कोविड-19 वैक्सीन

आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न : क्या कोरोना की वैक्सीन सभी को एक साथ दी जाएगी?

उत्तर : सरकार ने उच्च जोखिम वाले समूहों को प्राथमिकता पर टीकाकरण (वैक्सीनेशन) के लिए चिन्हित किया है। पहले समूह में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर शामिल हैं। दूसरे समूह में 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति तथा 50 वर्ष की उम्र से कम के वे लोग, जो पहले से ही किसी रोग से ग्रसित हैं; इसके बाद वैक्सीन को अन्य सभी जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रश्न : क्या यह वैक्सीन सुरक्षित होगी क्योंकि इसे बहुत कम समय में बनाया गया है?

उत्तर : सुरक्षा और प्रभाव के डाटा की जांच के आधार पर मंजूरी के बाद ही नियामक निकायों द्वारा वैक्सीन लगाई जाएगी।

प्रश्न : क्या वैक्सीन लेना अनिवार्य है?

उत्तर : कोरोना के लिए वैक्सीनेशन स्वैच्छिक है हालांकि स्वयं की सुरक्षा और बीमारी के प्रसार को सीमित करने के लिए कोरोना वैक्सीन की पूरी खुराक आवश्यक है।

प्रश्न : क्या कोरोना से ठीक हुए व्यक्ति को भी वैक्सीन लेना आवश्यक है?

उत्तर : पहले से संक्रमित होने के बावजूद वैक्सीन की पूरी खुराक लेना आवश्यक है क्योंकि यह एक मज़बूत प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करने में मदद करेगा।

प्रश्न : क्या कोरोना (पुष्टि/संदिग्ध) संक्रमित व्यक्ति को भी वैक्सीन लगाया जा सकता है?

उत्तर : संक्रमित व्यक्तियों को लक्षण खत्म होने के 14 दिन बाद तक वैक्सीनेशन स्थगित करना चाहिए क्योंकि वे वैक्सीनेशन स्थल पर दूसरों में वायरस फैलाने का जोखिम बढ़ा सकते हैं।

प्रश्न : उपलब्ध कई वैक्सीन में से प्रशासन के लिए एक या एक से अधिक वैक्सीन कैसे चुनें?

उत्तर : लाइसेंस देने से पहले ड्रग नियामक द्वारा वैक्सीन उम्मीदवारों के निर्धारित परीक्षणों से सुरक्षा और प्रभावकारिता डाटा की जांच की जाती है। इसीलिए सभी लाइसेंस प्राप्त कोरोना वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावकारी होंगे हालांकि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पूरी सूची केवल एक प्रकार के वैक्सीन से पूरी होती है क्योंकि विभिन्न वैक्सीन अदला–बदला करने योग्य नहीं हैं।

प्रश्न : क्या भारत में कोरोना वैक्सीन को +2 से + 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करने और उन्हें आवश्यक तापमान पर परिवहन करने की क्षमता है?

उत्तर : भारत दुनिया के सबसे बड़े प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रमों में से एक चलाता है जो 2.6 करोड़ से अधिक नवजात शिशुओं और एक करोड़ से अधिक महिलाओं के वैक्सीनेशन की जरूरतों को पूरा करता है 'देश की बड़ी और विविध आबादी को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए कार्यक्रम तंत्र को मज़बूत किया जा रहा है।

प्रश्न : क्या भारत में इस्तेमाल की जाने वाली वैक्सीन उतनी ही प्रभावी होगी जितनी दूसरे देशों में लगाई जा रही वैक्सीन?

उत्तर : हां, भारत में शुरू की गई वैक्सीन उतनी ही प्रभावी होगी जितनी अन्य देशों द्वारा विकसित वैक्सीन; विभिन्न चरणों में इसकी सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण किए जाते हैं।

प्रश्न : अगर मैं वैक्सीनेशन के लिए योग्य हूं तो मुझे पता कैसे चलेगा?

उत्तर : पात्र लाभार्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से वैक्सीनेशन और उसके निर्धारित समय के बारे में स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा सूचित किया जाएगा।

प्रश्न : पात्र लाभार्थी के पंजीकरण के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

उत्तर : पंजीकरण के समय फोटो के साथ नीचे उल्लेखित पहचान–पत्र में से कुछ भी दिखाया जा सकता है :

–आधार/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी/पैन कार्ड/पासपोर्ट/जॉब कार्ड/पेंशन दस्तावेज़–स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड–सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक प्रमाणपत्र–बैंक और पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक

–केंद्र/राज्य/पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी सेवा आईडी कार्ड।

प्रश्न : क्या कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण के कोरोना वैक्सीन प्राप्त कर सकता है?

उत्तर : नहीं, कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद ही सत्र–स्थल और समय की जानकारी साझा की जाएगी।

प्रश्न : यदि कोई व्यक्ति स्थल पर फोटो आईडी दिखाने में असमर्थ है तो क्या उसे वैक्सीन लगाया जाएगा?

उत्तर : फोटो आईडी पंजीकरण स्थल पर पंजीकरण और सत्यापन दोनों के लिए ज़रूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इच्छित व्यक्ति को वैक्सीन लगाया गया है।

प्रश्न : वैक्सीनेशन की नियत तारीख के बारे में लाभार्थी को जानकारी कैसे मिलेगी?

उत्तर : ऑनलाइन पंजीकरण के बाद लाभार्थी को वैक्सीनेशन की नियत तिथि, स्थान और समय के बारे में अपने मोबाइल नंबर पर एसएमएस प्राप्त होगा।

प्रश्न : क्या लाभार्थियों को वैक्सीनेशन पूर्ण होने के बाद उनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होगी?

उत्तर : हां, कोरोना वैक्सीन की उचित खुराक मिलने पर, लाभार्थी को अपने मोबाइल नंबर पर एसएमएस प्राप्त होगा। वैक्सीन की सभी खुराक देने के बाद एक क्यूआर कोड आधारित प्रमाणपत्र भी उनके नंबर पर भेजा जाएगा।

प्रश्न : क्या कोई निवारक उपाय और सावधानियां है जिसे स्थल पर पालन करने की आवश्यकता होगी?

उत्तर : कोरोना वैक्सीन लेने के बाद आपको कम से कम आधे घंटे तक वैक्सीनेशन केंद्र में आराम करना चाहिए।

–यदि आपको बाद में कोई असुविधा या बेचैनी होती है तो निकटतम स्वास्थ्य अधिकारियों/एएनएम/आशा को सूचित करें।

कोरोना अनुरूप व्यवहारों का पालन याद रखें, जैसे कि मास्क पहनना, हाथ की सफाई और शारीरिक दूरी को बनाए रखना (6 फीट या 2 गज)

प्रश्न : कोरोना वैक्सीन से संबंधित दुष्प्रभावों के बारे में क्या कुछ बताएंगे?

उत्तर : सुरक्षा सिद्ध होने पर ही कोरोना वैक्सीन का उपयोग किया जाएगा

–जैसा कि अन्य वैक्सीन के साथ होता है कुछ व्यक्तियों में सामान्य दुष्प्रभाव, हल्का बुखार,दर्द आदि हो सकता है।

–राज्यों को कोरोना वैक्सीन से संबंधित किसी भी दुष्प्रभाव से निपटने के लिए व्यवस्था करना शुरू करने के लिए कहा गया है।

प्रश्न : यदि कोई कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि जैसी बीमारियों की दवा ले रहा है तो क्या वह कोरोना वैक्सीन ले सकता है?

उत्तर : हां, इनमें से एक या एक से अधिक स्वास्थ्य परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को एक उच्च जोखिम वाली श्रेणी माना जाता है। उन्हें कोरोना वैक्सीनेशन कराने की आवश्यकता है।

प्रश्न : क्या हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स और फ्रंटलाइन श्रमिकों के परिवारों को भी वैक्सीन दिया जाएगा?

उत्तर : प्रारंभिक चरण में सीमित वैक्सीन की आपूर्ति के कारण, इसे पहले प्राथमिकता वाले समूहों में लोगों को दिया जाएगा। बाद के चरणों में वैक्सीन अन्य सभी को उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रश्न : वैक्सीन की कितनी खुराक किस अंतराल पर लेनी होगी?

उत्तर : वैक्सीनेशन पूरा करने के लिए 28 दिन के अंदर एक व्यक्ति द्वारा वैक्सीन की दो खुराक ली जानी चाहिए।

प्रश्न : खुराक लेने के बाद एंटीबॉडी कब विकसित होगी?

उत्तर : कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक प्राप्त करने के 2 सप्ताह बाद आमतौर पर एंटीबॉडी का सुरक्षात्मक–स्तर विकसित होता है।

–स्रोत : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

समता, सशक्तीकरण और विकास के लिए वैज्ञानिक उद्यमशीलता में अवसर

–निमिष कपूर

आत्मनिर्भर भारत और विश्व–स्तरीय वैज्ञानिक समाधान प्राप्त करने की दिशा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकास से जुड़े अनुसंधान कार्यों में समता पर विशेष बल दिया जा रहा है ताकि देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन–स्तर में सुधार के लिए, तकनीकी विकास का लाभ आबादी के अधिकांश हिस्से, विशेष रूप से वंचित वर्गों तक पहुंचे। विज्ञान से समाज को जोड़ने वाले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साइंस फॉर इक्विटी, एम्पॉवर एंड डेवलपमेंट यानी 'सीड' कार्यक्रमों को स्थान विशिष्ट चुनौतियों और उनके वैज्ञानिक समाधानों पर शोध एवं विस्तार के लिए तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम ग्रामीण और साथ ही दूरदराज व दुर्गम इलाकों में रहने वाले समाज और समुदायों के वंचितों को लक्षित कर रहा है।

देश की ग्रामीण युवा आबादी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवसृजन एवं उद्यमशीलता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा परियोजना मोड में सहायता प्रदान की जा रही है। शोधरत और उद्यमी युवा विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों, उद्यमों और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों के सौजन्य से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के समता, सशक्तीकरण और विकास के लिए विज्ञान कार्यक्रम (साइंस फॉर इक्विटी एम्पॉवर एंड डेवलपमेंट– एस.ई.ई.डी. या सीड कार्यक्रम) के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं में सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

हाल ही में आयोजित छठे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का विषय "आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान" रखा गया था, जिसका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व–स्तरीय वैज्ञानिक समाधान प्राप्त करने के लिए भारत के पास डाटा, जनसांख्यिकी, मांग और लोकतंत्र है, भारत के पास सबसे उज्ज्वल सोच वाले मस्तिष्क हैं, और खुलेपन तथा पारदर्शिता की संस्कृति के साथ कार्य यहां की विशेषता है। आत्मनिर्भर भारत और विश्व–स्तरीय वैज्ञानिक समाधान प्राप्त करने की दिशा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकास से जुड़े अनुसंधान कार्यों में समता पर विशेष बल दिया जा रहा है ताकि देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन–स्तर में सुधार के लिए, तकनीकी विकास का लाभ आबादी के अधिकांश हिस्से, विशेष रूप से वंचित वर्गों तक पहुंचे। देश की विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सीधे सामाजिक सरोकारों के साथ एकीकृत करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करती है। ऊर्जा और पर्यावरण, खाद्य और पोषण, पानी और स्वच्छता,

निवास, सुलभ स्वास्थ्य देखभाल और कौशल निर्माण के लिए ग्रामीण व जनजातीय युवाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार से जोड़ने के लिए कार्य किया जा रहा है।

यहां यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान से समाज को जोड़ने वाले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का 'सीड' कार्यक्रम किस तरह परियोजनाओं को सहायता प्रदान करता है। 'सीड' डिवीज़न के कोर समूह ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, प्रकाश और स्वच्छ ईंधन, कृषि और पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में मापन–योग्य और सस्ती तकनीकी उन्नति के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं और साथ ही, दूरदराज के क्षेत्रों में स्थानीय क्षमताओं का निर्माण करते हैं।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत वैज्ञानिक संस्थानों, गैर–सरकारी संगठनों आदि को वैज्ञानिक कौशल, हरित आवास, कृषि और मूल्य संवर्धन, शुष्क क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी, वानिकी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में ग्रामीण इंजीनियरिंग, नवीन उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस कार्यक्रम से हजारों की संख्या में युवा, महिला स्वयंसेवी सदस्य और किसान सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। इससे जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत विविध रोज़गारों का सृजन किया गया है और स्थायी आजीविका के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यम विकसित किए गए हैं।

डॉ. देबप्रिया दत्ता, सलाहकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और प्रमुख, साइंस फॉर इक्विटी एम्पॉवर एंड डेवलपमेंट कार्यक्रम के अनुसार स्थानीय–स्तर के विकास के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एस.टी.आई.) का हस्तांतरण प्रमुख रूप से आजीविका प्रणाली विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए। 'सीड' कार्यक्रम के अंतर्गत एस.टी.आई. के माध्यम से आजीविका प्रणाली जैसी सबसे कमज़ोर कड़ी के सुधार के लिए और सबसे मज़बूत कड़ी का उपयोग सामाजिक उद्यमिता के विकास के लिए लक्षित किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की भूमिका एस.टी.आई. के माध्यम से सरकार की समाज कल्याण प्रणाली को मज़बूत करने की है।

'सीड' कार्यक्रमों को स्थान विशिष्ट चुनौतियों को संबोधित करने और उनके वैज्ञानिक समाधानों पर शोध एवं विस्तार के लिए तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम ग्रामीण और दूरदराज व दुर्गम इलाकों में रहने वाले समाज और समुदायों के वंचितों को लक्षित कर रहा है। 'सीड' कार्यक्रम में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को ग्रामीण युवा और स्थानीय संगठनों से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनका उल्लेख इस आलेख में किया गया है।

दीर्घकालिक मूल समर्थन– ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तकनीकी प्रगति योजना (लॉग टर्म कोर सपोर्ट– टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फॉर रूरल एरियाज़– तारा)

'सीड' कार्यक्रमों के तहत 'तारा' योजना अनिवार्य रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित गैर–सरकारी संगठनों को दीर्घकालिक आर्थिक व तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसके अंतर्गत ग्रामीण और अन्य वंचित क्षेत्रों में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों को "विज्ञान और प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर्स" या "एक्टिव फील्ड लैबोरेट्रीज़" के रूप में प्रोत्साहित किया जाता है। इन संगठनों को स्थानीय समस्याओं के तकनीकी समाधान खोजने की दिशा में सक्षम बनाया जाता है। इस योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण अनुप्रयोग और सामाजिक लाभ के लिए अनुकूल अनुसंधान के माध्यम से व्यावहारिक प्रौद्योगिकी मॉडल विकसित और वितरित करना है।

'तारा' योजना में ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास और प्रबंधन में न्यूनतम 10 साल के क्षेत्रीय अनुभव के साथ गैर–सरकारी संगठन के पास प्रौद्योगिकी मॉडल के विकास की क्षमता और उसके प्रबंधन का अनुभव होना चाहिए। संगठन में 'तारा' योजना के कोर समर्थित समूह के रूप में काम करने के लिए दीर्घकालिक स्थिरता के दृष्टिकोण से न्यूनतम बुनियादी ढांचे का होना आवश्यक है, और पंचायतों या राज्य सरकार के साथ कार्य का अनुभव भी होना चाहिए। विज्ञान व प्रौद्योगिकी केंद्रित परियोजनाओं के संचालन का अनुभव भी आवश्यक है।

इस योजना के अंतर्गत नवीन एवं स्थानीय अनुकूलन तकनीकों को विकसित किया गया है जिसमें अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के लिए ग्राम–स्तर पर इनकेंटर जैसी प्रणालियों का विकास भी शामिल है। ग्रामीण बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए रात्रि पाठशालाओं में उपयोग के लिए सौर ऊर्जा संचालित शिक्षा बॉक्स भी 'तारा' योजना की देन है। कारीगरों और छोटे किसानों को लाभान्वित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए बाजरा और चावल के छिलके हटाने वाली मशीनों के विकास के साथ विभिन्न ग्रामीण प्रौद्योगिकी के संवर्धन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

'तारा' योजना की चयन प्रक्रिया में चयन विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर, प्रस्तावित गतिविधियों के लिए संगठन की क्षमता का आकलन करने के लिए विशेषज्ञ टीम द्वारा क्षेत्रीय–स्तर पर मूल्यांकन किया जाता है। अंतिम सिफारिश के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्ताव की जांच की जाती है। कोर धनराशि आरंभ में पांच से दस साल की अवधि के लिए आवधिक समीक्षा के अधीन प्रदान की जाती है जो पंद्रह साल और उससे अधिक तक बढ़ाई जा सकती है। तारा योजना की अधिक जानकारी वेबसाइट www.dsttara.in पर उपलब्ध है।

तारा एनर्जी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (टीईआरएमएस) तकनीकों का विकास व प्रशिक्षण

डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स, नई दिल्ली द्वारा कोटा स्टोन अपशिष्ट आधारित क्ले सीमेंट, कृषि–अपशिष्ट आधारित निर्माण सामग्री उत्पाद, संगमरमर अपशिष्ट आधारित मिट्टी सीमेंट, चूना पत्थर क्ले द्वारा ठोस उत्पाद, फर्श के ब्लॉक उत्पादन में ढलाई कचरे का उपयोग, खनिज आधारित सामुदायिक फ़िल्टर, सौर

ऊर्जा आधारित पुनर्भरणीय जल पात्र; हाथों से मुक्त सेनिटाईज़ेशन प्रणाली जैसी नवीन तकनीकों का विकास किया गया है।

यह संस्था तारा एनर्जी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (टीईआरएमएस) तकनीक पर काम कर रही है, जिसका उपयोग लोड प्रबंधन के लिए प्राथमिकताओं और संभावित ग्राहकों के आधारभूत सर्वेक्षण के विश्लेषण के लिए किया जाता है। ढलाईयुक्त स्लैग अपशिष्ट उपयोग के प्रसार की पहल के तहत प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के साथ ही उद्यमियों, पर्यवेक्षकों और श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

कोविड–19 महामारी के दौरान इस संस्था द्वारा 8700 व्यक्तियों को स्वच्छता किट, सैनिटाइज़र और मॉस्क वितरित किए गए; 19000 व्यक्तियों को भोजन और राशन प्रदान किया गया; उद्यमियों द्वारा 49300 मॉस्क समुदायों की मदद के लिए लॉकडाउन के दौरान निर्मित किए गए; 135 से अधिक व्यक्तियों को कोविड–19 के रोकथाम के उपायों में प्रशिक्षित किया गया, जिनमें सामुदायिक नेता, पंचायत सदस्य, निर्माण श्रमिक शामिल थे।

युवा वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के लिए योजना (स्कीम फॉर यंग साइंटिस्ट्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट्स–एसवाईएसटी)

युवा वैज्ञानिकों में सामाजिक चुनौतियों की पहचान करने, उनमें लैब–टू–लैंड (प्रयोगशाला से समाज तक पहुंचने का) दृष्टिकोण विकसित करने और उन्हें विज्ञान–प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'सीड' कार्यक्रमों के अंतर्गत इस योजना को आरंभ किया गया। इस योजना के उद्देश्य विज्ञान व तकनीक से जुड़े युवा पेशेवरों, शोध से जुड़े छात्रों और वैज्ञानिकों को सामाजिक प्रासंगिकता के विचारों के साथ वैज्ञानिक परियोजनाओं को विकसित करने के लिए प्रेरित करना है।

इस योजना में ऐसे युवा वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की तलाश कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है जिनके पास वैज्ञानिक कार्य का उत्साह है और वे मौजूदा या भविष्य की समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान में रुचि ले रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत युवा वैज्ञानिक अपने शोध द्वारा समाज पर प्रत्यक्ष असर डालने के साथ–साथ नई प्रौद्योगिकी से जुड़े विचारों पर कार्य करते हैं।

इस योजना के लिए अधिकतम 35 वर्ष के शोधार्थी व युवा वैज्ञानिक, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी वर्ग में परास्नात्तक व पी–एच.डी. हों, आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं, दिव्यांगजनों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट का प्रावधान है। तकनीकी पृष्ठभूमि वाले युवा वैज्ञानिक, जिनमें समाज को मज़बूत करने के लिए ज़मीनी–स्तर पर काम करने का उत्साह हो; जो सामाजिक चुनौतियों को पहचानते हों और वैज्ञानिक समाधान प्रदान करने के लिए विचारशील हों, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

एसवाईएसटी के तहत वित्तपोषित परियोजनाओं की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में उच्च घनत्व वाले मत्स्य पालन जलाशय में जल की गुणवत्ता जांचने के लिए एक कम लागत वाली निगरानी प्रणाली का विकास किया गया है। मछली पालन से जुड़े किसानों के लाभ के लिए इंटरनेट व मोबाइल के माध्यम से वास्तविक समय में संचालित इस प्रणाली को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), पुडुचेरी में

विकसित किया गया है। यह प्रणाली वर्चुअल सेंसिंग के माध्यम से लवणता, तापमान, पीएच, घुलित ऑक्सीजन आदि जैसे मापदंडों की निगरानी करती है और संसाधनों के उपयोग को बढ़ाती है। इस निगरानी प्रणाली के उपयोग से जल संसाधनों पर कम तनाव पैदा होता है और इससे जल प्रदूषण की भी रोकथाम होती है। एजेंसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एक्वॉकल्चर, केरल द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर एक मशीन लर्निंग आधारित वॉटर क्वालिटी प्रीडिक्शन प्रणाली भी संचालित की जा रही है।

सामाजिक आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप योजना (टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर अड्रेसिंग सोसाईटल नीड्स – टीआईएएसएन योजना)

टीआईएएसएन योजना में समाज के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास शामिल हैं। कृषि, स्वास्थ्य, पोषण और गैर–कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास से जुड़े संस्थानों, विश्वविद्यालयों और गैर–सरकारी संगठनों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इन संस्थानों द्वारा सामाजिक रूप से प्रासंगिक परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं।

महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना (साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर वुमन)

'सीड' कार्यक्रम के तहत यह योजना विशिष्ट लक्ष्य समूह के रूप में महिलाओं पर केंद्रित है। इस योजना का उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं पर कार्य करना है जो महिलाओं के लिए जीवन की गुणवत्ता से जुड़ी हों। महिलाओं की कामकाजी परिस्थितियों में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के अनुसंधान, विकास और अनुकूलन को बढ़ावा देना भी इस परियोजना के उद्देश्यों में शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए लाभकारी रोज़गार के नए अवसरों का सृजन और प्रौद्योगिकी आधारित विकास के लिए महिला वैज्ञानिकों के योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना तैयार की गई है।

महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना के अंतर्गत जिन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है, उनमें शामिल हैं– पहाड़ी, तटीय और शुष्क क्षेत्रों में महिलाओं की समस्याओं को हल करने के लिए विशिष्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग कार्यक्रम; कटाई के बाद की तकनीक और कृषि एवं उत्पादकता में सुधार के लिए महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले कृषि उपकरणों पर अनुसंधान और विकास; व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संवर्धित उत्पादन के लिए बेहतर अभ्यास आदि।

इस योजना में घरेलू, कृषि और संगठित एवं गैर–संगठित उद्योगों में महिलाओं के व्यावसायिक खतरों को कम करने के लिए अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन कार्यक्रम; औपचारिक और गैर–औपचारिक क्षेत्रों में विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण, और मशीनरी के डिज़ाइन, निर्माण और सुधार को भी शामिल किया गया है। उपलब्ध स्थानीय संसाधनों के उपयोग और महिलाओं को संगठित क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए या उद्यम की उत्पादन या सेवा इकाइयों को शुरू करने के लिए पारंपरिक कौशल का उन्नयन भी इसमें शामिल है।

विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकियों में आधुनिक उद्योगों में महिलाओं की क्षमता विकास से जुड़ी परियोजनाएं इस योजना में संचालित की जा रही हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दे जैसे पोषण, गैर–संचारी रोग, संचारी रोगों के लिए रोकथाम रणनीति; तथा महिला वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से संबंधित मुद्दों पर चयनात्मक अध्ययन भी इसमें शामिल हैं। महिला आवेदकों से प्राप्त प्रस्तावों में जिन बातों का विशेष रूप से मूल्यांकन किया जाता है, उनमें शामिल हैं– लैंगिक मुद्दों और उपयुक्त प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए रणनीतियां, परियोजना की संभाव्य क्षमता, प्रस्ताव तैयार करने में हितधारकों की भागीदारी।

कॉयर क्लस्टर मर्केंडाइज़ प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं के लिए रोज़गार

'सीड' कार्यक्रम द्वारा समर्थित एक परियोजना के तहत कप्पलंगकराई गांव, कोयम्बटूर में हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी द्वारा कॉयर (नारियल जटा) प्रसंस्करण इकाइयों के मौजूदा डिज़ाइन में सुधार के लिए एक मशीन तैयार की गई है जो महिलाओं को रोज़गार दे रही है। इस मशीन द्वारा नारियल जटा को उचित प्रकार से अधिकतम उपयोग में लाया जा रहा है और उसके फाइबर के भिगोने के समय में कमी आई है। यहां 100 ग्रामीण महिलाओं के लिए डिज़ाइन किए गए मशीन टूल की मदद से नारियल के खोल से कॉयर निकालने, डोरमैट, कॉयर ब्रिक्स, कॉयर आधारित फूलों के बर्तनों और कॉयर की मामूली मरम्मत जैसे उत्पादों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें महिलाओं को मशीनरी एवं बाज़ार की रणनीतियों और कौशल विकास ज्ञान से परिचित कराया जाता है। प्रतिभागियों को विभिन्न रणनीतियों के बारे में बताया जाता है, जिन्हें बाज़ार की ज़रूरतों और विकसित उत्पादों के विपणन के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। इन प्रशिक्षणों का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त, सफल उद्यमी बनाना और उनके जीवन–स्तर में सुधार करना है।

महिला वैज्ञानिकों के लिए फेलोशिप एवं राष्ट्रीय पुरस्कार योजना

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित सामाजिक हस्तक्षेप हेतु महिला वैज्ञानिकों के लिए फेलोशिप योजना भी आरंभ की गई है। यह फैलोशिप महिला वैज्ञानिकों को करियर ब्रेक के बाद फिर से सक्रिय अनुसंधान में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करती है। यह फेलोशिप अभिनव वैज्ञानिक शोध के सामाजिक प्रभाव से जुड़ी परियोजनाओं के लिए दी जाती है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से महिलाओं के विकास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की भी एक योजना है जो उन व्यक्तियों या संस्थानों के योगदान को मान्यता देने के

लिए स्थापित किया गया है जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिलाओं के विकास के लिए ज़मीनी–स्तर पर काम किया है।

दिव्यांगजन और वरिष्ठ जनों के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर डिसएबिल्ड एंड एलडरली–टीआईडीई)

टीआईडीई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्यांग और वरिष्ठ जनों के लिए प्रौद्योगिकी उपकरण, नई तकनीक और प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए सहायक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सूचना और संचार तकनीक के प्रयोग से दिव्यांगजन और बुजुर्गों के लिए समावेशी और सार्वभौमिक पहुंच बनाना है। इस कार्यक्रम में चितकारा विश्वविद्यालय द्वारा विकसित बुजुर्ग और विकलांग व्यक्तियों के लिए एक दूरस्थ महत्वपूर्ण सूचना और निगरानी प्रणाली के एक डिज़ाइन को पेटेंट प्रदान किया गया है। परियोजना के तहत मौखिक फिज़ियोथेरेपी और डेन्चर रिहैबिलिटेशन के बाद बुजुर्ग रोगियों में जबड़े के वेग में सुधार का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में बुजुर्गों में दांतों के पूरी तरह से नुकसान के कारण मांसपेशियों के कार्य और वेग के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया और एक सेट व्यायाम मौखिक फिज़ियोथेरेपी के रूप में विकसित किए गए।

टीआईडीई कार्यक्रम के तहत समर्थित वृद्ध व्यक्तियों के लिए वेबपोर्टल www.oldagesolutions.org अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग द्वारा बनाया गया है। वेबपोर्टल में वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य, पोषण, आवास, पर्यावरण और संबंधित जानकारी शामिल की गई है।

स्वास्थ्य देखभाल की निगरानी के लिए एक उच्च–गुणवत्ता वाला पल्स एक्विज़िशन सिस्टम नेटवर्क विकसित किया गया है,जो स्वास्थ्य, वात–पित्त और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से संबंधित है। बुजुर्गों में पार्किंसंस बीमारी की निगरानी के लिए कार्बन नैनोट्यूब/पॉलीयुरेथेन नैनो कम्पोजिट का उपयोग करके एक पीज़ोरेसिपटिव सेंसर विकसित किया गया है।

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा एक परियोजना के तहत स्वचालित तकनीक पर आधारित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता डिवाइज़ को डिज़ाइन और विकसित किया गया है। डिवाइज़ दृश्य विभाजन को निष्पादित कर सकता है और दृष्टिबाधित लोगों के लिए श्रवण इनपुट प्रदान कर सकता है।

कोविड–19 महामारी के दौरान दिव्यांगजन और बुजुर्गों के लिए विभिन्न सहायक तकनीकों को भी विकसित किया गया। बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के अकेलेपन को दूर करने के लिए शिक्षा और मनोरंजन के साथ–साथ स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जानकारी देने और जागरूक करने के लिए एक ई–टूल विकसित किया गया है।

जनजातीय उप योजनाः जनजातीय सशक्तीकरण के लिए तकनीकी हस्तक्षेप योजना (टेक्नोलॉजिकल इंटरवेनशंस फॉर ट्राइबल एम्पॉवरमेंट – टीआईटीई)

'सीड' कार्यक्रम की जनजातीय उप–योजना के तहत अनुदान–सहायता योजना का उद्देश्य टिकाऊ विज्ञान और प्रौद्योगिकी गतिविधियों के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की जीवन स्थितियों में सुधार और उन्हें सशक्त करना है।

इस योजना में आदिवासी समूहों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुसंधान और विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए संगठनों को आर्थिक अनुदान दिया जाता है जो निम्नांकित बिंदुओं पर कार्य कर रहे हों: प्रमुख सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रों में स्थान विशिष्ट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रम; पारंपरिक अनुसंधान कौशल के संरक्षण के लिए भागीदारी; अनुसंधान दृष्टिकोण के माध्यम से स्थानीय संसाधन प्रबंधन रणनीतियों को डिज़ाइन करने में स्थानीय नवाचार और स्थानीय ज्ञान प्रणालियों पर निर्माण; क्षेत्र–स्तर के प्रभाव को बढ़ाने के लिए नवीन सामुदाय–आधारित दृष्टिकोणों और तकनीकी विकल्पों पर वैकल्पिक आजीविका क्षमता को प्रोत्साहन आदि।

इस योजना में जनजातीय युवाओं के सशक्तीकरण और उनमें तकनीकी क्षमता निर्माण की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें प्राथमिकता के साथ विज्ञान व प्रौद्योगिकी आधारित गतिविधियों द्वारा भूमि उपयोग, ऊर्जा व जल संसाधन प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और उत्पादकता में स्थायी वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं। सूक्ष्म–स्तरीय एकीकृत वॉटरशेड प्रबंधन; वन–कृषि इंटरफ़ेस और घरेलू–स्तर पर खाद्य और आजीविका के अवसरों में सुधार से जुड़े अनुप्रयोगों को इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहित किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश के पारंपरिक धातु शिल्प (बुडिथी) को तकनीकी हस्तक्षेप और नवाचारों के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया है। इस परियोजना में लकड़ी और धातु पर कुल 1000 डिज़ाइनों को तैयार किया गया। आंध्र विश्वविद्यालय को द्वारा आयोजित प्रशिक्षण के माध्यम से कारीगरों के कास्टिंग कौशल में सुधार किया गया। बुडिथी धातु शिल्प में शामिल 87 परिवार अब छोटे यंत्रीकृत उपकरणों और बेहतर भट्टियों का उपयोग कर रहे हैं। 200 से 300 मिट्टी की सजावटी और उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन में समय की बचत के साथ, बेहतर आय सृजन के अवसर उपलब्ध हुए हैं।

अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी)

'सीड' कार्यक्रम की अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अनुसूचित जाति की आबादी को सशक्त बनाने के लिए निर्धारित की गई है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के अनुसंधान,

एटीएल लैब पुस्तिका का नया संस्करण

अटल नवोन्मेष मिशन, नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब पुस्तिका के नए संस्करण की शुरुआत की है जो अटल टिंकरिंग लैब्स की विस्तृत स्थापना और परिचालन प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाता है और एक अभिनव 'आत्मनिर्भर भारत' की ओर ले जाता है। यह प्रकाशन 12 जनवरी, 2021 को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर जारी किया गया। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को वर्ष 1984 से राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 'द अटल टिंकरिंग लैब हैंडबुक 2.0' नामक यह पुस्तिका एआईएम के प्रमुख एटीएल कार्यक्रम के संरचनात्मक, चयन, स्थापना और उत्सव के पहलुओं पर एक व्यावहारिक मार्गदर्शन को रेखांकित करती है। यह पुस्तिका, जो एआईएम की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है, देशभर के स्कूलों के लिए एटीएल के जरिए ज़मीनी–स्तर के नवोन्मेष के उद्देश्य से तकनीकी रूप से मज़बूत कार्यप्रणाली बनाने के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करती है। दिए गए लिंक से पुस्तिका की प्रति तक पहुंचा जा सकता है और उसे डाउनलोड किया जा सकता है।

https://aim.gov.in/pdf/ATL-Handbook-2021.pdf

अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) के बारे में

अटल टिंकरिंग लैब एक मेकरस्पेस (ऐसा स्थान जहां टेक्नोलॉजी या कम्प्यूटिंग के साझा हितों से जुड़े लोग विचारों, उपकरणों और ज्ञान का आदान–प्रदान कर परियोजनाओं पर काम करते हैं) प्रदान करता है जहां युवा दिमाग अपने विचारों को स्वयं अपने हाथों से आकार दे सकते हैं; और नवाचार कौशल सीखते हैं। उद्यमिता और नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग ने देशभर में 7000 से अधिक एटीएलकी स्थापना की है, जो अब तक कक्षा टप्से कक्षा–XII तक के 3 लाख + से अधिक छात्रों को समस्या का समाधान निकालने, संवारने और नवोन्मेषी दिमाग का उपयोग करने के लिए सक्षम बना चुका है।

विकास और अनुकूलन को बढ़ावा देना इस योजना के उद्देश्यों में शामिल हैं। अनुसूचित जाति के ग्रामीण युवाओं के लिए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना, कौशल उन्नयन, क्षमता निर्माण कार्यक्रम इस योजना के प्रमुख घटक हैं। अनुसूचित जाति के कारीगरों व किसानों के बीच सतत विकास और आय सृजन के लिए वैज्ञानिक अनुप्रयोग; पारंपरिक व्यवसायों में लगे कारीगरों की दक्षता बढ़ाने के लिए तकनीकी विकास; उपकरण, मशीनरी व ग्रामीण परिवहन वाहनों के डिज़ाइन का अनुकूलन; मद्यपान को कम करके सामान्य स्वास्थ्य में सुधार; मरम्मत और रखरखाव के लिए क्षमता निर्माण आदि अनुसूचित जाति उप–योजना में शामिल किए गए हैं।

जम्मू और कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में राजौरी, धनगरी और नोहशेरा ब्लॉक में गुर्जरों और पशुओं के पालन–पोषण में शामिल लोगों की आजीविका में सुधार किया गया है। इसमें उन्नतीकृत कौशल के अनुकूलन द्वारा उपज में वृद्धि और जानवरों की मृत्यु दर में कमी आई है। कुल 120 परिवारों में पशुधन स्वास्थ्य प्रबंधन और ऊन प्रसंस्करण और विपणन सुविधाओं में सुधार हुआ है।

ओडिशा के खुरदा जिले के अंगारपारा, चतरा और मेंढासला ग्राम पंचायत में जैविक खेती और तुलसी से आवश्यक तेलों के उत्पादन के माध्यम से स्थायी आजीविका उत्पादन के लिए जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण पर एक परियोजना लागू की जा रही है, जिसमें 10,000 से अधिक लोगों की आबादी वाले 10 गांव शामिल हैं। हाइड्रो डिस्टिलेशन विधि द्वारा आवश्यक तेल और तुलसी के पौधे के मूल्यवर्धित उत्पाद, अर्क, पाउडर और तुलसी चाय के उत्पादन से वैकल्पिक आय का सृजन हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में छोटे पैमाने पर उत्पादन इकाई स्थापित करके युवाओं में उद्यमिता विकास में मदद मिल रही है।

'सीड' कार्यक्रम की सभी सशक्तीकरण और विकास योजनाओं में गैर–सरकारी संगठन, मान्यता प्राप्त अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाएं, विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थान अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। 'सीड' कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं की जानकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की वेबसाइट www.dst.gov.in पर उपलब्ध है।

(लेखक विज्ञान प्रसार में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं।)
ई–मेल : nkapoor@vigyanprasar.gov.in

सशक्त ग्रामीण युवा : आत्मनिर्भर भारत की पहली सीढ़ी

–शिशिर सिन्हा

किसी भी व्यक्ति के मूल गुणों को उभारकर उसे सशक्त करना ही दरअसल सशक्तीकरण है। इसमें कोई शक नहीं कि ग्रामीण युवा खासे मेहनती होते हैं, प्रकृति के मुताबिक अपने–आप को ढ़ालने की क्षमता होती है और विषम परिस्थितियों का बेहतर तरीके से सामना कर पाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उनकी इन खासियतों का ज़्यादा से ज़्यादा सार्थक उपयोग किया जाए। कैसे होगा ये सब? जवाब है, ज़रूरत है युवाओं की काम करने की क्षमता को संवारने और निखारने की और साथ में नवाचार की।

बीते साल जून की बात है जब देश की सबसे बड़ी अदालत में विभिन्न राज्यों ने जानकारी दी कि देशबंदी के दौरान कितने–कितने प्रवासी वापस अपने गृह राज्य लौटे। बिहार के लिए ये संख्या करीब 28 लाख थी, वहीं उत्तर प्रदेश के मामले में करीब 25 लाख, मध्य प्रदेश के मामले में 14 लाख और राजस्थान के मामले मे ये संख्या करीब 13.6 लाख थी। अन्य राज्यों मसलन झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए ये संख्या ठीक–ठाक रही। अब दो तथ्यों पर गौर कीजिए। पहली तो ये इसमें से ज्यादा से ज़्यादा संख्या गांवों में रहने वालों की थी और दूसरी बात, इनमें से ज़्यादा युवा थे।

यह है तस्वीर का एक पहलू। अब दूसरे पहलू पर नज़र दौड़ाएं।

2011 की जनसंख्या के मुताबिक, कृषि श्रमशक्ति में 55 फीसदी हिस्सेदारी मज़दूरों की है, यानी वो जिनके पास कोई ज़मीन नहीं और वो दूसरों की ज़मीन पर काम करते हैं। बाकी 45 फीसदी के करीब ऐसे हैं जिनके पास अपनी ज़मीन है और वो उस पर काम करते हैं। वर्ष 2019 में जारी कृषि जनगणना के मुताबिक, 2015–16 में कुल 157.82 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन पर खेती हो रही थी जबकि 2010–11 में 159.59 मिलियन हेक्टेयर पर यानी 1.11 फीसदी की गिरावट।

आकार घटा, लेकिन जोत की संख्या बढ़ गई। वर्ष 2010–11 में यह संख्या 13.83 करोड़ थी जो 2015–16 में बढ़कर 14.64 करोड़ के ऊपर हो गई, यानी 5.86 फीसदी की बढ़ोत्तरी। आप इसे यूं समझ सकते हैं कि खेती योग्य ज़मीन कम होती गई और खेतों का आकार भी छोटा होता गया। कुछ इसी का सबूत है कि 86 फीसदी किसानों को छोटे और सीमांत किसान की श्रेणी में डाला गया यानी ऐसे किसान जिनके पास दो हेक्टेयर तक ज़मीन हो।

अब सवाल उठता है कि क्या छोटे होते जोत गांव वापस लौटे

युवाओं के लिए जीविका का जरिया बन सकते थे? मत भूलिए कि इन जोत की वजह से पहले से ही प्रक्षण्ण बेरोज़गारी के सबूत मिलते रहे। मतलब साफ है कि कुछ ऐसे विकल्प पर ध्यान देना जरुरी हो गया जिससे गांव वापस लौटे युवाओं को सशक्त बनाने में मदद मिल सके। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब तक गांव में रहने वाले सशक्त नहीं होंगे, तब तक गांव सशक्त नहीं होगा और उसका परिणाम आत्मनिर्भरता की पूरी अवधारणा पर पड़ेगा।

सशक्तीकरण का मतलब क्या है? किसी भी व्यक्ति के मूल गुणों को उभारकर उसे सशक्त करना ही दरअसल सशक्तीकरण है। इसमें कोई शक नहीं कि ग्रामीण युवा खासे मेहनती होते हैं, प्रकृति के मुताबिक अपने–आप को ढालने की क्षमता होती है और विषम परिस्थितियों का बेहतर तरीके से सामना कर पाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उनकी इन खासियतों का ज़्यादा से ज़्यादा सार्थक उपयोग किया जाए। कैसे होगा ये सब?

जवाब है, ज़रूरत है युवाओं की काम करने की क्षमता को संवारने और निखारने की और साथ में नवाचार की। इसके बाद ज़रूरत होगी आर्थिक संसाधनों की और फिर उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली विभिन्न योजनाओं की। यह भी ध्यान रहे कि हर युवा उद्यमी नहीं बन सकता या फिर स्वरोज़गार को अपना नहीं सकता, लिहाज़ा सशक्तीकरण की सोच में नौकरी के लिए उन्हें तैयार करने का विकल्प भी शामिल करना बेहतर होगा। आइए, नज़र डालते हैं कि किस तरह से ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाया जा सकता है–

शिक्षा

यह सबसे बुनियादी ज़रूरत है। कौशल विकास और क्षमता को सजाना–संवारना तभी ज़्यादा उपयोगी हो सकता है, जब ग्रामीण युवा कम से कम इतना पढ़ा–लिखा हो कि उसे तकनीकी प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा हासिल करने में परेशानी नहीं हो। दूसरे शब्दों में, बारहवीं तक की पढ़ाई–लिखाई सरल–सहज–सुगम और बिना किसी खर्च के हो तो एक ग्रामीण युवा के लिए अपने आप को सशक्त बनाने में मदद मिल जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार समग्र शिक्षा की अवधारणा को अमल में ला रही है।

समग्र शिक्षा, स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जिसे 2018–19 से केंद्र–प्रायोजित योजना के तौर पर शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत तत्कालीन 3 केंद्र–प्रायोजित योजनाओं अर्थात् सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा (टीई) को शामिल किया गया है। यह एक व्यापक कार्यक्रम है जिसके तहत शिक्षा क्षेत्र का प्री–स्कूल से कक्षा 12 तक विस्तार किया गया है और इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है।

शिक्षा व्यवस्था के लिए भवन निर्माण जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कि वहां शिक्षकों की संख्या पर्याप्त हो और वहां पढ़ने आने वालों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले। भवन निर्माण की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के तहत की जा रही है, इसके साथ ही समग्र शिक्षा योजना के तहत केंद्र सरकार, राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को पैसा मुहैया कराती है, ताकि शिक्षा हर किसी की पहुंच में हो। मसलन,

–पुस्तकालयों को बेहतर बनाने के लिए 5,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति स्कूल का वार्षिक अनुदान

–दाखिले की संख्या के आधार पर एक लाख रुपये तक का कंपोजिट स्कूल अनुदान

–प्राथमिक स्कूलों के लिए 5000 रुपये, उच्चतर प्राथमिक स्कूलों के लिए 10,000 रुपये और माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिए 25,000 रुपये की लागत के खेल उपकरणों के लिए वार्षिक अनुदान

–विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए हर वर्ष 3500 रुपये तक का आवंटन

–स्कूल ड्रेस के लिए आवंटन 600 रुपये प्रति बच्चा प्रति वर्ष

–पाठ्यपुस्तकों के लिए 250/400 रुपये प्रति बच्चा प्रति वर्ष का आवंटन

–कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) में छठी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई

–सेवाकालीन और सेवा–पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल संस्थान के रूप में एससीईआरटी के शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एससीईआरटी और डीआईईटी जैसी अध्यापक शिक्षा संस्थाओं का सशक्तीकरण

–स्मार्ट कक्षाओं, डिजिटल बोर्डों और डीटीएच चैनलों के माध्यम से शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग।

यहां तक कि पढ़ाई के बाद महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा का विकल्प तो हमेशा खुला ही है; साथ ही, सरकारी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में फीस भी कम होती है, लेकिन ये भी सच है कि बारहवी की पढ़ाई के कौशल विकास के ज़रिए बेहतरी के कई विकल्प खुल जाते हैं। मसलन, किसी संस्थान में रोज़गार मिल सकता है, स्वरोज़गार का रास्ता बनता है और उद्यमिता के लिए आधार तैयार हो सकता है। यह युवाओं के सशक्तीकरण की अहम कड़ी है जो आगे चलकर व्यक्तिगत और समाज के स्तर पर आत्मनिर्भरता में योगदान कर सकता है।

कौशल विकास

कहीं भी नौकरी चाहिए हो, स्वरोज़गार शुरू करना हो या उद्यम स्थापित करना हो, इन सबके लिए युवा विशेष का मेहनती होना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कि वो कितना कुशल है, दक्ष है। कौशल विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था है जिसके लिए सरकार की ओर से खास योजनाएं शुरू की गई हैं। मसलन,

–मनरेगा के तहत अकुशल कामगारों को कुछ शर्तें पूरी करने के बाद कुशल कामगार बनाने की योजना तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए मनरेगा के तहत प्रोजेक्ट लाइफ (लाइवलिहुड

इन फुल एम्पलायमेंट) शुरू किया गया है। इस योजना में वही ग्रामीण परिवार का व्यक्ति भाग ले सकता है जिसने मनरेगा के तहत 100 दिन का काम पूरा कर लिया है। ये परियोजना राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन (एनआरएलएम), कृषि विज्ञान केंद्र और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू–जीकेवाई) के सहयोग से चलाई जाती है। कई राज्यों में मसलन आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में परियोजना शुरू की जा चुकी है।

–दीनदयाल ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू–जीकेवाई) की शुरुआत 2014 मे राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के तहत की गई। लक्ष्य 15–35 वर्ष के ग्रामीण निर्धन युवाओं में कौशल का विकास करना है। योजना के तहत समाज के पिछड़े तबकों को अनिवार्य रूप से कवर किया जाता है जिसमें 50 फीसदी हिस्सेदारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, 33 फीसदी महिलाएं और 15 फीसदी हिस्सेदारी अल्पसंख्यकों की होती है।

सरकार यह योजना निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ चलाती है। इसकी संरचना तीन स्तर की है। पहले स्तर पर केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी अपने हिस्से के पैसे मुहैया कराने के साथ–साथ तकनीक मुहैया कराने की है। दूसरे स्तर पर राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है जहां राज्य सरकारें अपने हिस्से के पैसे तो उपलब्ध कराती ही हैं, साथ ही, योजना के क्रियान्वयन और उस पर निगरानी रखने की ज़िम्मेदारी भी उनकी है। तीसरे स्तर पर निजी क्षेत्र की संस्थाएं हैं जिनका काम प्रशिक्षण देने और फिर नौकरी उपलब्ध कराने का है।

योजना के तहत दो विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं:

क. रोशनी कार्यक्रम को महिला अभ्यार्थियों की 40 फीसदी कवरेज के साथ अनिवार्य आवासीय पाठ्यक्रम सहित नौ राज्यों के 27 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में लागू किया गया है।

ख. हिमायत योजना के तहत जम्मू–कश्मीर के सभी युवाओं को शामिल किया गया है।

डीडीयूजीकेवाई योजना के तहत बड़े राज्यों में 60 फीसदी पैसा केंद्र सरकार और बाकी 40 फीसदी राज्य सरकार मुहैया कराते हैं। पूर्वोत्तर के आठ राज्यों, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार 90 फीसदी और बाकी 10 फीसदी पैसा राज्य सरकारें मुहैया कराती हैं। सभी केंद्रशासित प्रदेशों, जिसमें जम्मू–कश्मीर भी शामिल है, के लिए पूरा पैसा कैद्र सरकार देती है।

योजना के तहत 700 से भी ज़्यादा निजी एजेंसियों के माध्यम से 1700 से ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं और वहां 1600 से भी अधिक परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। देशबंदी की वजह से विभिन्न राज्यों में ट्रेनिंग सेंटर बंद करने पड़े थे, लेकिन अब वो चालू हो चुके हैं। लोकसभा प्रश्नोत्तर के मुताबिक, सितंबर 2020 तक साढ़े दस लाख से भी ज़्यादा ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है जिनमें से साढ़े लाख से ही ज्यादा लोगों को रोज़गार मिल भी चुका है। अगर देशबंदी नहीं होती तो ये संख्या कहीं और ज़्यादा होती।

–दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बैंकों और राज्य सरकार के सहयोग से ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थानों (आर सेती) की स्थापना की गई है। इस योजना का आधार कर्नाटक में धर्मस्थल के पास 1982 में श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर एजुकेशनल ट्रस्ट, सिंडिकेट बैंक और केनरा बैंक की साझा पहल से तैयार हुआ जिसके तहत कहा गया कि यदि गरीबी–रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण युवाओं को ज़रूरी कौशल मुहैया कराया जाए और उन्हें हर तरह की मदद की जाए तो स्वरोज़गार बढ़ाने में अच्छी सफलता मिल सकती है। इसी के आधार पर आर सेती योजना की रूपरेखा बनी।

योजना के तहत सरकार द्वारा हर ज़िले में एक आर सेती स्थापित करने के लिए एक करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाता है। इस रकम के साथ सरकारी या निजी बैंक के सहयोग से संस्था का संचालन होता है। बाज़ार की ज़रुरतों के हिसाब से यहां लघु अवधि प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद बैंक से कर्ज़ हासिल करने में भी मदद दी जाती है। योजना का मकसद गरीब परिवारों के लिए ग्रामीण बेरोज़गारों को प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वो अपने निवास स्थान के आसपास ही स्वरोज़गार शुरू कर सके।

–प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) भले ही विशेष तौर पर ग्रामीण युवाओं के लिए नहीं बनी हो, लेकिन वे इसका फायदा तो उठा ही सकते हैं। 2015 में शुरू की गई योजना के तहत निःशुल्क अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। योजना के तहत युवाओं को रोज़गार और उद्यमिता दोनों के लिए तैयार किया जाता है। योजना के तहत 2016–20 के दौरान एक करोड़ युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।

16 जनवरी, 2021 को 600 ज़िलों में योजना का तीसरा चरण (पीएमकेवीवाई 3.0) शुरू किया गया। इस चरण में नए युग और कोविड से संबंधित कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्किल इंडिया मिशन पीएमकेवीवाई 3.0 में 948.90 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2020–21 की योजना अवधि के दौरान आठ लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके), स्किल इंडिया के तहत सूची में शामिल गैर–पीएमकेके प्रशिक्षण केंद्र और 200 से अधिक आईटीआई कुशल पेशेवरों का एक मज़बूत पूल बनाने के लिए पीएमकेवीवाई 3.0 प्रशिक्षण शुरू करेंगे। पीएमकेवीवाई 1.0 और पीएमकेवीवाई 2.0 से प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर मंत्रालय ने मौजूदा नीति सिद्धांत के अनुरूप और कोविड–19 महामारी के कारण प्रभावित हुए कौशल इको सिस्टम को ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण के इस नए संस्करण में सुधार किया है।

पूंजी

कौशल के बाद सशक्तीकरण की अगली सीढ़ी है, पूंजी।

पीएमकेवीवाई 3.0 का लक्ष्य आठ लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करना

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के पहले और दूसरे चरण के तहत देश में 1.2 से अधिक करोड़ युवाओं को बेहतर मानकीकृत कौशल प्रणाली के माध्यम से प्रशिक्षित/निपुण किया गया है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने रोज़गार आधारित कौशल के साथ भारत के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए 15 जेएएनवीएआरवाई 2021 की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। 300 से अधिक पाठ्यक्रमों के साथ लगभग 600 केंद्रों में योजना की शुरूआत की गई। इसका लक्ष्य ज़रूरत के अनुसार कौशल प्रशिक्षण के लिए मांग–आधारित और इसके दृष्टिकोण में विकेंद्रीकृत कार्यक्रम चलाना है।

स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तीसरे चरण को वैश्विक एवं स्थानीय दोनों स्तरों पर बदलती मांगों के अनुसार बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है। 717 जिलों, 28 राज्यों/आठ केंद्रशासित प्रदेशों में शुरू किया गया पीएमकेवीवाई का तीसरा चरण 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने की तरफ एक और कदम है। पीएमकेवीवाई 3.0 को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों तथा ज़िलों से समर्थन और उन्हें दी गई अधिक ज़िम्मेदारियों के साथ ज़्यादा परिष्कृत संरचना में लागू किया जाएगा। राज्य कौशल विकास मिशनों (एसएसडीएम) के मार्गदर्शन में जिला कौशल समितियां (डीएससी) ज़िला–स्तर पर कौशल अंतर को दूर करने तथा आवश्यकताओं का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। नई योजना अधिक प्रशिक्षण पर केंद्रीकृत होगी और इसमें आकांक्षापूर्ण भारत की समस्त ज़रूरतों को पूरा करने पर ध्यान दिया जाएगा।

पीएमकेवीवाई 2.0 ने कौशल आधारित इकोसिस्टम को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अब यह पीएमकेवीवाई 3.0 के साथ, कौशल विकास के एक नए प्रतिमान में प्रवेश करेगा जो आवश्यकता के अनुसार कौशल विकास प्रदान करने, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा उद्योगों के 4.0 कौशल पर ध्यान केंद्रित करेगा। सरकार के विकास प्रायोजित एजेंडे को 'आत्मनिर्भर भारत' और 'वोकल फॉर लोकल' दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित किया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए कि, पीएमकेवीवाई का तीसरा चरण राज्य, जिला और ब्लॉक–स्तर पर बढ़ते हुए संपर्क को और मज़बूत करके परिणाम प्राप्त करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।

यहां वैसे तो कई पारम्परिक विकल्प जैसे बैंक से कर्ज़ की सुविधा तो उपलब्ध है, लेकिन अब मुद्रा (माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) योजना खासतौर पर मदद करेगी, क्योंकि यह सूक्ष्म उद्यमिता यानी बहुत ही छोटे उद्यमी को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू की गई है। इसके तहत 10 लाख रुपये तक के कर्ज़ के लिए बैंक व वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त की सुविधा मुहैया कराई जाती है। योजना के तहत तीन तरह के विकल्प शिशु (50 हजार रुपये तक का कर्ज़), किशोर (50 हजार से 5 लाख रुपये तक का कर्ज़) और तरुण (5 लाख से 10 लाख रुपये तक का कर्ज़) मौजूद हैं। योजना के तहत किराने, साग–सब्जी, खाने–पीने या फिर किसी भी तरह की छोटी दुकान से लेकर ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग शॉप, सर्विस सेंटर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट या फिर छोटी निर्माण इकाई लगाने के लिए कर्ज़ मुहैया कराया जाता है। विभिन्न सहूलियतों की वजह से योजना में कर्ज़ पर ब्याज–दर कम होती है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और मुद्रा योजना के बीच बेहतर तालमेल बैठाया जाएगा जिससे ग्रामीण इलाको में नौकरी देने वाले तैयार हो सकें।

उद्यमिता

स्टार्टअप इंडिया– भारत सरकार की इस मुहिम को ग्रामीण रंग–ढंग में ढालने के लिए दीनदयाल उपाध्याय स्वरोज़गार योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। यहां कोशिश यही है कि गांव–गांव में उद्यमी तैयार हों। इसके लिए ज़रूरी प्रशिक्षण तो मुहैया कराया ही जाएगा, 'मुद्रा' के ज़रिए पूंजी की व्यवस्था के साथ कर में रियायतें दी जाती हैं। ऐसे उद्यमी पूरी तरह से विकास कर सकें, उसके लिए ज़रूरी वातावरण यानी इन्क्यूबेशन सेंटर तैयार किया गया है। सरकार की कोशिश निजी क्षेत्र को भी इस कवायद में शामिल करने की है जिससे ग्रामीण उद्यमिता के लिए ऐसे स्वतंत्र निवेशक मिल सकें जो ना केवल पूंजी बल्कि तकनीकी तौर पर भी सहयोग करने के लिए तैयार हो।

मेक इन इंडिया – मेक इन इंडिया में शामिल विभिन्न क्षेत्रों में एक है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और गांवों में रोज़गार देने के मामले में ये क्षेत्र खासा मददगार हो सकता है। एक अनुमान है कि हर वर्ष लाखों करोड़ों की कीमत के कृषि उत्पाद नष्ट हो जाते हैं। मत भूलिए कि आज की तारीख में करीब 6.7 करोड़ टन (अनुमानित कीमत 92 हजार करोड़ रुपये) के कृषि उत्पाद बर्बाद हो जाते हैं। इस बर्बादी को काफी हद तक कम किया जा सकता है यदि ग्रामीण इलाकों में शीत भंडारण और खाद्य प्रसंस्करण की ज़रूरी सुविधा विकसित की जाए। ध्यान देने की बात ये है कि ये दोनों ही बहुत बड़े पैमाने पर विकसित किए जाएं, ये भी ज़रूरी नही। ऐसे में ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने में इन दोनों की बड़ी भूमिका होगी।

तमाम योजनाओं और पहल के ज़रिए ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने की सीढ़ी तैयार है। बस जरुरत इस बात की है कि युवा इसका इस्तेमाल कर आत्मनिर्भर भारत बनाने की मुहिम में जुट जाएं। मत भूलिए, देश के आत्मनिर्भरता की शुरुआत गांव से ही तो होनी है और उसमें युवाओं की अहम भागीदारी होगी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं।)

ई–मेल : hblshishir@gmail.com

एमएसएमई से रोज़गार का बढ़ता दायरा

–मंजरी कुमारी

एक सर्वेक्षण के अनुसार कोरोना के बाद उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में युवाओं के बीच एमएसएमई को लेकर दिलचस्पी का दायरा बढ़ रहा है और यही कारण है कि पश्चिमी देशों के युवाओं की भांति भारतीय युवा भी भांति–भांति के स्टार्टअप्स कर रहे हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में मील के पत्थर साबित हो सकते हैं।

एमएसएमई पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है। भारत में भी अर्थव्यवस्था की नींव को एमएसएमई मज़बूत बनाता है। आज पूरे विश्व में 70 प्रतिशत रोज़गार में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई का योगदान है। संपूर्ण जीडीपी में इसका योगदान 50 प्रतिशत है। देश में भी जीडीपी और निर्यात तथा रोज़गार सृजन में एमएसएमई का योगदान लगातार बढ़ता जा रहा है।

एमएसएमई मंत्रालय उद्यमी बनने तथा रोज़गार करने के इच्छुक युवाओं के लिए अनेक योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है। इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों को देशभर में भारत सरकार द्वारा संचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान यानी एमएसएमई–डीआई कार्यान्वित करते हैं। राज्य सरकार के अधीन ज़िला उद्योग केंद्र भी इनके ज़िला–स्तर पर कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए हर स्तर पर बैंकों के द्वारा आर्थिक प्रक्रिया यथा ऋण आदि का अंतिम स्तर पर कार्यान्वयन किया जाता है। भारत सरकार या कोई भी राज्य सरकार बेरोज़गार युवा को सीधे ऋण सहायता नहीं देती है। इसे बैंकों के द्वारा ही लक्षित वर्ग यानी शहरी और ग्रामीण युवाओं से लेकर अंतिम छोर अथवा दुर्गम स्थलों के युवाओं तक पहुंचाया जाता है। कई बार कुछेक निजी एजेंसी या स्वार्थ लोलुप व्यक्ति द्वारा यह भ्रम फैलाया जाता है कि एमएसएमई की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए शुल्क लगता है जो सरासर गलत है। युवाओं को इस तरह की भ्रामक सूचनाओं से बचना चाहिए।

इस समय देश में एमएसएमई की अनेक योजनाएं चल रही हैं जिनसे ग्रामीण एवं शहरी युवा लाभ उठा सकते हैं। इनमें से प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

- प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)
- प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम
- डिज़ाइन क्लीनिक योजना
- लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक योजना
- डिजिटल एमएसएमई योजना
- एमएसएमई की जेड (जेडईडी) योजना में वित्तीय सहायता
- इनक्यूबेटर के माध्यम से एमएसएमई के उद्यमिता एवं प्रबंधकीय विकास के लिए सहायता
- बौद्धिक संपदा अधिकार पर जागरुकता निर्माण
- टूल रूम और एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र

- खरीद एवं विपणन सहायता योजना
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि न्यास
- दो प्रतिशत ब्याज छूट योजना
- उद्यमशीलता और कौशल विकास कार्यक्रम
- पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति)
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद आदि।

इनका लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं दिव्यांग श्रेणी के युवा भी उठा सकते हैं और उन्हें कुछेक योजनाओं में विशेष प्राथमिकता भी दी जाती है। एमएसएमई का लाभ अधिक–से–अधिक युवाओं एवं उद्यमियों तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने कोरोना काल में एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन कर दिया है। नई परिभाषा के अनुसार माइक्रो यानी सूक्ष्म उद्यम के अंतर्गत एक करोड़ से कम का निवेश रखा गया है और टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक रखा गया है। स्मॉल यानी लघु उद्यम में निवेश के लिए धनराशि 10 करोड़ रुपये तक और टर्नओवर 50 करोड़ रुपये तक सीमित कर दिया गया है। मीडियम यानी मध्यम उद्यम के अंतर्गत निवेश को 50 करोड़ और टर्नओवर को 250 करोड़ रुपये तक सीमित कर दिया गया है। ऐसा करने से देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का दायरा बढ़ गया है। जाहिर है कि इससे अधिक–से–अधिक युवाओं को लाभ मिल सकता है।

> कौशल विकास एक ओर जहां प्रशिक्षण के रास्ते से भारतीय युवाओं के लिए रोज़गार उपलब्ध करा रहा है वही एमएसएमई की योजनाएं प्रत्यक्ष रूप से भारतीय युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए यानी स्वरोजगार हेतु प्रेरित कर रही हैं ताकि ऐसे उदीयमान युवा न सिर्फ अपने लिए स्टार्टअप करें बल्कि अपने स्टार्टअप में अपने ही जैसे कई युवाओं को रोज़गार दे सकें और उन्हें भी स्वरोज़गार हेतु प्रेरित कर सकें। इसी रास्ते से 'आत्मनिर्भर भारत' का स्वप्न पूरा हो सकता है।

एक जुलाई, 2020 से विद्यमान उद्यमों और नए उद्यमों के लिए पंजीकरण की सुविधा आसान बना दी गई है। इस नई पंजीकरण व्यवस्था का नाम **'उद्यम रजिस्ट्रेशन'** रखा गया है जो ऑनलाइन सुविधा है और निःशुल्क है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अभी तक भारत में 20 लाख से अधिक उद्यमी इस नए पोर्टल पर उद्यम रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। कोविड काल में ही **'चैंपियंस पोर्टल'** को एमएसएमई में आरंभ किया गया है। इसमें किसी भी समस्या का समाधान ऑनलाइन प्रक्रिया से संपन्न किया जाता है। इसी अवधि में कोरोना के संकट का मुकाबला करने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के अंतर्गत एमएसएमई में कई कार्यक्रम चलाए गए हैं जिसमें एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) प्रमुख है। इसमें गारंटी और कॉलेटरल फ्री लोन दिए जाते हैं। इस स्कीम को भारत सरकार का वित्त सेवा विभाग कार्यान्वित करता है। इसी तरह एमएसएमई डिस्ट्रेस सबोर्डिनेट डेब्ट स्कीम का भी संचालन किया जा रहा है।

कोरोना काल में युवाओं को रोजगार के प्रति आकर्षित करने के लिए देश भर में स्थित 31एमएसएमई–डीआई और उनके शाखा कार्यालयों में नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। इन संस्थानों में रोज़गार आरंभ करने के लिए संपूर्ण मार्गदर्शन दिया जाता है। आजकल सैनिटाइज़र, मॉस्क इत्यादि के उत्पादन के लिए भी विशेष मार्गदर्शन दिया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा दिलचस्पी ले रहे हैं। लॉकडाउन में एमएसएमई गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए देशभर में हेल्प डेस्क खोले गए हैं, जो बेरोजगार युवाओं को रोज़गार के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। एमएसएमई मंत्रालय के अधीन कन्नौज, मुंबई, रामनगर, चेन्नई, औरंगाबाद, मेरठ, आगरा, हैदराबाद, लुधियाना, कोलकाता, जमशेदपुर, इंदौर जैसे शहरों में स्थित प्रमुख फील्ड कार्यालय सैनिटाइज़र, मॉस्क, गाउन, हॉस्पिटल फर्नीचर इत्यादि के उत्पादन के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या में युवा भाग ले रहे हैं।

कोरोना काल में एमएसएमई के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। 'वोकल फॉर लोकल' की नई विचारधारा ने स्वदेशीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है, जिससे ग्रामीण–स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था के मज़बूत होने के संकेत मिल रहे हैं। एमएसएमई का प्रयास है कि ग्रामीण और शहरी युवाओं को अपने क्षेत्र में रोज़गार का अवसर प्राप्त हो ताकि कौशल शक्ति से युक्त युवाओं का पलायन रूक सके और ग्रामीण भारत का भी औद्योगिक एवं उद्यमीय विकास समावेशी रूप से हो सके।

वैसे तो देश में केंद्र सरकार के साथ–साथ विभिन्न राज्य सरकारें भी एमएसएमई से जुड़ी हुई अनेक योजनाएं चला रही हैं। इन सभी योजनाओं को विभिन्न मंत्रालय और विभाग संचालित कर रहे हैं। कुछ मंत्रालय और विभाग प्रत्यक्ष रूप से और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से एमएसएमई से जुड़े हुए हैं। यहां यह भी महत्त्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार में न सिर्फ एमएसएमई मंत्रालय बल्कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय सहित अनेक मंत्रालय एवं विभाग एमएसएमई की कोई न कोई योजना संचालित कर रहे हैं जिनसे भारतीय युवाओं और विशेषकर बेरोजगार युवाओं का मार्गदर्शन हो रहा है। साथ ही,उद्यम के क्षेत्र में अपनी इकाई की आधारभूत संरचना को विकसित करने वाले उद्यमी तथा विश्व–स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले भारतीय उद्यमी भी इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

एमएसएमई की विभिन्न योजनाओं में, जो प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण युवाओं और शहरी युवाओं से जुड़ी हुई है, वह है– पीएमईजीपी यानी प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम। यह योजना देश में सबसे लोकप्रिय योजना है। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण

क्षेत्रों में स्वरोजगार के नए उपक्रम या परियोजना अथवा स्वस्थ उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोज़गार के अवसरों का निर्माण करना है। देश में बेरोज़गार युवाओं के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना में विनिर्माण क्षेत्र के मामले में किसी इकाई या परियोजना की अधिकतम लागत में 25 लाख रुपये और व्यवसाय अथवा सेवा क्षेत्र के मामले में अधिकतम 10 लाख रुपये की मदद दी जाती है। इस योजना या कार्यक्रम से भारत में अभी तक लाखों युवा लाभ उठा चुके हैं। देश का कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक की आयु का है और जिसने कम–से–कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

इसी तरह नए भारत में कौशल विकास का महत्व बढ़ता जा रहा है और इसके माध्यम से देश में युवाओं के लिए एमएसएमई के क्षेत्र में नए द्वार खुल रहे हैं। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी पीएमकेवीवाई एक महत्वपूर्ण योजना है जो कुशल युवाओं की नई फौज तैयार कर रही है और स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं को देश में साकार कर भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

गौरतलब है कि भारत की विभिन्न आर्थिक सुधार संबंधी नीतियों के कारण ही आजकल अनेक विकसित देश भारत में पूंजी निवेश कर रहे हैं। निवेश के इस नए युग में देश के अंदर भारतीय युवाओं के लिए रोज़गार का दायरा तेज़ी से बढ़ रहा है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे अनेक देश भारत के साथ व्यापार सहयोग बढ़ा रहे हैं जिससे भारतीय युवाओं के लिए नए रास्ते तैयार हो रहे हैं। इस तरह, कौशल विकास एक ओर जहां प्रशिक्षण के रास्ते से भारतीय युवाओं के लिए रोज़गार उपलब्ध करा रहा है वही एमएसएमई की योजनाएं प्रत्यक्ष रूप से भारतीय युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए यानी स्वरोजगार हेतु प्रेरित कर रही हैं ताकि ऐसे उदीयमान युवा न सिर्फ अपने लिए स्टार्टअप करें बल्कि अपने स्टार्टअप में अपने ही जैसे कई युवाओं को रोज़गार दे सकें और उन्हें भी स्वरोज़गार हेतु प्रेरित कर सकें। इसी रास्ते से 'आत्मनिर्भर भारत' का स्वप्न पूरा हो सकता है।

हाल ही में केंद्र सरकार ने एमएसएमई मंत्रालय की ओर से **'चैंपियंस पोर्टल'** का आरंभ किया है। इस पोर्टल पर जाकर कोई भी युवा अपनी समस्या के बारे में शिकायत दर्ज कर सकता है और समाधान प्राप्त कर सकता है। इसी तरह, केंद्र सरकार के एमएसएमई मंत्रालय की ओर से देशभर के प्रमुख शहरों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान खोले गए हैं और इनकी शाखाएं भी खोली गई है जो 'एमएसएमई–डीआई' के नाम से विख्यात हैं।

देश में बहुत सारे युवाओं के मन में यह प्रश्न उठता है कि एमएसएमई की योजनाओं की जानकारी कहां से हासिल करें। यह प्रश्न स्वाभाविक है। एमएसएमई की जानकारी पूरे देश में उपलब्ध है। यह जानकारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर हर प्रदेश की राजधानी और यहां तक कि देश में प्रत्येक ज़िले में ज़िला–स्तर पर भी उपलब्ध है और आजकल ग्रामीण भारत पर विशेष ध्यान देने के क्रम में इससे संबंधित जानकारी प्रखंड यानी ब्लॉक–स्तर पर

भी उपलब्ध रहती है। हर जिले में एक कार्यालय है जिसका नाम है जिला उद्योग केंद्र यानी डीआईसी। इसमें प्रबंधक या महाप्रबंधक या सहायक प्रबंधक–स्तर के राज्य सरकार के अधिकारी बैठते हैं और वे युवाओं को एवं अन्य उद्यमियों को एमएसएमई की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। इन योजनाओं में यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो वे युवाओं को उन दिक्कतों को दूर करने के लिए भी रास्ते बताते हैं। साथ ही, युवाओं को एमएसएमई की योजनाओं के बारे में बैंक से ऋण लेने के क्रम में भी मार्गदर्शन देते हैं। इस तरह, ज़िला–स्तर की यह इकाई किसी भी युवा को बुनियादी जानकारी से लेकर विशेष जानकारी तक देती है।

एमएसएमई की किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए यदि ऋण की आवश्यकता पड़ती है तो वहां पर बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बार युवा बैंक के नाम से घबराते हैं और उन्हें लगता है कि काफी चक्कर लगाने के बाद भी हो सकता है कि ऋण नहीं मिले या इतनी सारी औपचारिकताओं की मांग बैंक से हो जाए जिसे पूरा करने में वे सक्षम नहीं हो सकें। इसलिए युवा हतोत्साहित हो जाते हैं और एमएसएमई की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हाल ही में केंद्र सरकार ने एमएसएमई मंत्रालय की ओर से **'चैंपियंस पोर्टल'** का आरंभ किया है। इस पोर्टल पर जाकर कोई भी युवा अपनी समस्या के बारे में शिकायत दर्ज कर सकता है और समाधान प्राप्त कर सकता है। इसी तरह, केंद्र सरकार के एमएसएमई मंत्रालय की ओर से देशभर के प्रमुख शहरों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान खोले गए हैं और इनकी शाखाएं भी खोली गई हैं जो 'एमएसएमई–डीआई' के नाम से विख्यात हैं। पूर्व में इनका नाम एसआईएसआई यानी लघु उद्योग सेवा संस्थान था। यह संस्थान लगभग प्रत्येक राज्य में प्रमुख ज़िलों में कार्यरत हैं। यहां भी युवा एमएसएमई की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और रोज़गार पाने के लिए अथवा उद्यम लगाने के लिए यानी एमएसएमई की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

आजकल कई बैंक एमएसएमई की योजनाओं की ओर युवाओं को आकर्षित करने के लिए अपनी विशेष शाखाएं या अभियान चला रहे हैं। इन सभी प्रयासों का एकमात्र उद्देश्य देश में उद्यमशीलता का माहौल विकसित करना और सभी युवाओं को इससे जोड़ना है ताकि शहरी के साथ–साथ ग्रामीण युवा भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अपने गांव, शहर, ज़िला, प्रदेश तथा कुल मिलाकर भारत को 'आत्मनिर्भर' बना सकें।

एक सर्वेक्षण के अनुसार कोरोना के बाद उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में युवाओं के बीच एमएसएमई को लेकर दिलचस्पी का दायरा बढ़ रहा है और यही कारण है कि पश्चिमी देशों के युवाओं की भांति भारतीय युवा भी भांति–भांति के स्टार्टअप्स कर रहे हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में मील के पत्थर साबित हो सकते हैं।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
ई–मेल : mmanjari2000@gmail.com

कृपया ध्यान दें

पत्रिकाओं की सदस्यता के संबंध में नोटिस

कोविड–19 महामारी से उत्पन्न स्थितियों के कारण साधारण डाक से भेजी गई हमारी पत्रिकाओं की डिलिवरी न हो पाने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। हमारे माननीय उपभोक्ताओं को योजना, कुरुक्षेत्र, बाल भारती और आजकल पत्रिका की समय पर डिलिवरी सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि नए उपभोक्ताओं को साधारण डाक से पत्रिकाओं का प्रेषण तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। यह केवल नए उपभोक्ताओं के लिए लागू होगा तथा मौजूदा उपभोक्ताओं को इसके सदस्यता दरों के अनुसार पत्रिकाएं भेजी जाती रहेंगी।

हमारी पत्रिकाओं के लिए नई सदस्यता दरें जिनमें रजिस्टर्ड डाक से पत्रिका भेजने का शुल्क भी शामिल है, निम्नलिखित है–

सदस्यता प्लान	योजना, कुरुक्षेत्र तथा आजकल (सभी भाषाएं)	बाल भारती
1 वर्ष	434 रुपये	364 रुपये
2 वर्ष	838 रुपये	708 रुपये
3 वर्ष	1222 रुपये	1032 रुपये

वर्तमान परिस्थितियों में यह एक अस्थायी व्यवस्था है क्योंकि डाक विभाग साधारण डाक के वितरण में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। अतः जैसे ही देश में सामान्य स्थितियां बहाल हो जाएंगी पत्रिकाओं को पुनः साधारण डाक से भेजना आरंभ कर दिया जाएगा।

आत्मनिर्भर भारत के लिए महिला सशक्तीकरण

–प्रमोद जोशी

भारत को आत्मनिर्भर बनाने में स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्त्री–शक्ति के कारगर इस्तेमाल से देश की आर्थिक संवृद्धि को तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है। महिलाओं को सशक्त बनाने का अर्थ है समूचे समाज को समर्थ बनाना। भारत में स्त्री–सशक्तीकरण के चार प्रमुख आधार हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और सामाजिक परिस्थितियां। पहली तीन बातों के लिए सरकारी कार्यक्रम मददगार हो सकते हैं, पर चौथा आधार सामाजिक–सांस्कृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अलबत्ता शिक्षा और आधुनिक संस्कृति में आ रहे परिवर्तन, खासतौर से बदलती तकनीक भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

हाल में जब नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे (एनएफएचएस) के पांचवें दौर के परिणाम प्रकाशित हुए, तब एक नई तरह की जानकारी की ओर हमारा ध्यान गया। इस सर्वेक्षण में पहली बार यह पूछा गया था कि क्या आपने कभी इंटरनेट का इस्तेमाल किया है? बिहार में ऐसी महिलाओं का प्रतिशत सबसे कम था जिनकी इंटरनेट तक पहुंच है (20.6 प्रतिशत) और सिक्किम में सबसे ज्यादा (76.7 प्रतिशत)। एनएफएचएस के ये आंकड़े अधूरे हैं, क्योंकि इनमें केवल 22 राज्यों के परिणाम हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों के परिणाम इसमें शामिल नहीं हैं, फिर भी जो विवरण सामने आए हैं, वे बताते हैं कि स्त्रियों के सशक्तीकरण के संदर्भ में हमें परंपरागत बातों के अलावा कुछ नई बातों की तरफ भी ध्यान देना होगा मसलन इंटरनेट की भूमिका।

इंटरनेट और मोबाइल फोन

केवल जानकारी पाने के लिए ही नहीं तमाम तरह की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भी अब इंटरनेट की जरूरत है। यानी स्त्री–सशक्तीकरण पर जब भी बात होगी, हमें यह भी देखना होगा कि ब्रॉडबैंड के विस्तार की स्थिति क्या है। इंटरनेट से जुड़ा सवाल इस सर्वेक्षण में इसलिए भी जुड़ा, क्योंकि पिछले सर्वेक्षण में महिलाओं से पूछा गया था, क्या आपके पास मोबाइल फोन है और क्या आप उस पर एसएमएस पढ़ सकती हैं? यह सवाल इस बार के सर्वेक्षण में भी पूछा गया।

पिछले साल 1 फरवरी, 2020 को अपने बजट भाषण में, वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की योजना पंचायत–स्तर पर कनेक्टिविटी प्रदान करना है। सरकार ने 2020–21 में 'भारतनेट' कार्यक्रम के लिए 6000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया था ताकि एक लाख ग्राम पंचायतों को हाइपरलिंक किया जा सके। गौर से देखें, यह महिला सशक्तीकरण का कार्यक्रम भी है। 'प्रधानमंत्री घर तक फाइबर' स्कीम 2020 में शुरू की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कॉमन सर्विस सेंटर ने भारत के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने का काम किया है।

ये ऑप्टिकल फाइबर पूरे देश में ग्रामों को ग्राम पंचायतों/

ग्राम ब्लॉकों से जोड़ेंगे। उम्मीद है कि इस साल यानी 2021 तक डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुसार देश के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछा दिया जाएगा। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 'पीएम घर तक फाइबर' योजना पर काम इन दिनों चल रहा है। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का लक्ष्य देश की सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ना और उन्हें 100 एमबीपीएस कनेक्टिविटी प्रदान करना है।

दिखाई पड़ता है फर्क

एनएफएचएस में इन सवालों को 'महिलाओं के सशक्तीकरण' के वर्ग में कुछ दूसरे सवालों के साथ शामिल किया गया था। दूसरे सवाल थे, क्या महिलाएं परिवार के निर्णयों का एक हिस्सा हैं, क्या उनके पास एक बैंक एकाउंट है, क्या ज़मीन की मालिक हैं और उन्हें कैसे भुगतान मिला। वर्ष 2015–16 के चौथे एनएफएचएस के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में 61.85 प्रतिशत महिलाओं, ग्रामीण इलाकों में 36.9 प्रतिशत, और देश भर में 45.9 प्रतिशत महिलाओं ने कहा था कि उनके पास एक मोबाइल फोन है जो "वे खुद इस्तेमाल करती हैं।" मोबाइल फोन रखने वाली महिलाओं में से दो–तिहाई ने यह भी बताया था कि वे उस पर मैसेज पढ़ सकती हैं।

उत्तराधिकार कानूनों को स्त्रियों के पक्ष में मोड़ने की जरूरत है। महिला किसान अधिकार मंच के एक अध्ययन में कहा गया है कि सांस्कृतिक परंपराएं भी महिलाओं को भूमि के स्वामित्व से वंचित करती हैं। इस अध्ययन में दिखाया गया है कि आत्महत्या करने वाले ऋणी किसानों में से 29 फीसदी की पत्नियां, अपने पति की ज़मीन को अपने नाम पर हस्तांतरित करने में असमर्थ रहीं। ग्रामीण स्त्रियों के सशक्तीकरण के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी सुधारों की जरूरत है।

अब 22 राज्यों से एनएफएचएस–5 के आंकड़ों में महिलाओं के मोबाइल फोन के इस्तेमाल के लिहाज से सुधार नज़र आया है। वर्ष 2015–16 में आंध्र प्रदेश में 36.2 प्रतिशत महिलाओं ने कहा था कि उन्होंने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया है, जो देश में सबसे कम था। हाल के आंकड़ों में, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं का सबसे कम प्रतिशत गुजरात में 48.8 प्रतिशत दर्ज किया गया। देश में महिलाओं के मोबाइल फोन का सबसे अधिक इस्तेमाल पिछले एनएफएचएस में केरल में 81.2 प्रतिशत का था। इस वर्ष, गोवा में 91.2 प्रतिशत के साथ महिलाओं की ओर से मोबाइल फोन का इस्तेमाल सबसे अधिक दर्ज किया गया।

चौथे एनएफएचएस में आयु के साथ मोबाइल फोन रखने में बढ़ोत्तरी दिखी है– यह 15–19 वर्ष की आयु वाली महिलाओं के लिए 25 प्रतिशत, 25–29 वर्ष के आयु वर्ग के लिए 56 प्रतिशत था। हालांकि, आयु के साथ मैसेज पढ़ने की क्षमता घटी है– 15–19 की आयु वाली महिलाओं के लिए 88 प्रतिशत और 40–49 वर्ष के आयु वर्ग के लिए 48 प्रतिशत। मोबाइल फोन रखने और इसका इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों में अधिक था, और इसमें संपत्ति के साथ बढ़ोत्तरी हुई है।

नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे (एनएफएचएस) के पांचवें दौर के परिणामों से यह भी पता लगता है कि हाल के वर्षों में शुरू किए गए सरकारी कार्यक्रमों से स्त्री–सशक्तीकरण हुआ है। खासतौर से ग्रामीण महिलाओं के बैंक खातों का खुलना, रसोई गैस, शौचालय, बिजली, आवास, पेयजल और यहां तक कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) यानी सीधे खाते में नकदी ने बदलाव की अच्छी स्थितियां बनाई हैं। सर्वेक्षण के अनुसार सन 2019 तक 72 प्रतिशत स्त्रियों के नाम बैंक खाते खोले जा चुके थे, 98 फीसदी घरों में बिजली के कनेक्शन थे, करीब 70 फीसदी घरों में जल निकासी और सफाई की व्यवस्था पहले से बेहतर है और 60 फीसदी घरों में धुआंरहित ईंधन का इस्तेमाल होने लगा है। हालांकि यह डाटा सभी राज्यों का नहीं है, पर इसमें दो बातें स्पष्ट हैं। पहली यह कि सुधार की गति 2015 के बाद बढ़ी है और दूसरी यह कि ग्रामीण क्षेत्रों से सुधार खासतौर से हुआ है।

रोज़गार में कम होती स्त्रियां

इस बात के कुछ दूसरे पहलू भी हैं। ग्रामीण भारत में महिलाओं ने इतनी शिक्षा अर्जित कर ली है कि युवा महिलाएं अशिक्षित से कम और मध्यम स्तर की शिक्षा प्राप्त महिलाओं में बदल चुकी हैं। लेकिन उनके रोज़गार की स्थिति अब भी बहुत अच्छी नहीं है। दुनियाभर में स्त्रियों की रोज़गारों में भूमिका बढ़ रही है। तब भारत में महिलाओं की भागीदारी उल्टी दिशा में क्यों जा रही है? महिलाओं की शिक्षा में काफी सुधार हुआ है। उनकी सामर्थ्य को लेकर कोई संदेह नहीं है। दूसरी तरफ, पिछले दो दशकों में देश में आर्थिक विकास भी हुआ है, फिर भी काम करने वाली भारतीय महिलाओं की हिस्सेदारी कम होना चिंताजनक है। इसके कारण सामाजिक परिस्थितियों में भी छिपे हैं।

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में बड़ी संख्या में महिलाएं खेती से जुड़ी हैं, पर उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है। जहां 73.2 फीसदी ग्रामीण महिला श्रमिक खेती में लगी हुई हैं, केवल 12.8 फीसदी के पास ज़मीन का स्वामित्व है। जिन महिलाओं के पास ज़मीन है, उनके पास बेहतर आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा है। संयुक्त राष्ट्र की 2013 की एक रिपोर्ट में कहा गया है, सुरक्षित भूमि अधिकार महिलाओं की शक्ति को बढ़ाते हैं।

भारत में भूमि हस्तांतरण मुख्य रूप से विरासत के माध्यम से होता है और यह धर्म–केंद्रित कानूनों के माध्यम से होता है। उत्तराधिकार कानूनों को स्त्रियों के पक्ष में मोड़ने की जरूरत है। महिला किसान अधिकार मंच के एक अध्ययन में कहा गया है कि सांस्कृतिक परंपराएं भी महिलाओं को भूमि के स्वामित्व से वंचित करती हैं। इस अध्ययन में दिखाया गया है कि आत्महत्या करने वाले ऋणी किसानों में से 29 फीसदी की पत्नियां, अपने पति की ज़मीन को अपने नाम पर हस्तांतरित करने में असमर्थ रहीं। ग्रामीण स्त्रियों के सशक्तीकरण के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी सुधारों की जरूरत है।

खेती और गैर–कृषि क्षेत्रों में आ रहे बदलावों का असर भी ग्रामीण स्त्रियों के रोज़गार पर पड़ा है। पुरुष यदि खेती का काम छोड़कर कारखानों या सेवा क्षेत्र में जाते हैं, तो उन्हें रोज़गार मिलने में आसानी होती है, जबकि इन क्षेत्रों में महिलाओं के रोज़गार के अवसर कम होते हैं। कई महिलाएं बच्चों की देखभाल करने के लिए काम छोड़ती हैं। स्त्रियों का घर छोड़कर बाहर जाना भी संभव नहीं होता। पारिवारिक निर्णयों में पुरुषों की भूमिका होने के कारण लड़कियों को घर से दूर जगहों पर काम के लिए नहीं भेजा जाता। शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल जैसी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हैं, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियां बाहर निकलने से घबराती हैं।

सामाजिक–सांस्कृतिक बदलाव

तस्वीर का एक पहलू निराश करता है, तो आने वाले समय की संभावनाएं भी हमारे सामने हैं। हाल के वर्षों में जिन सरकारी कार्यक्रमों ने स्त्रियों को सबल बनाने में विशेष भूमिका निभाई है, उनका उल्लेख भी होना चाहिए। मोटे तौर पर इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला स्त्री–सशस्त्रीकरण के सामाजिक–सांस्कृतिक संदर्भों से जुड़ा है और दूसरा 'उद्यमी' के रूप में उनकी आर्थिक सहायता से।

सामाजिक बदलाव के उपकरण के रूप में सरकारी कार्यक्रम का सबसे अच्छा उदाहरण है– **'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'** अभियान। इसकी शुरुआत 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी। सरकार के 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम का लक्ष्य कम बाल लिंगानुपात वाले 161 चयनित ज़िलों में व्यापक अभियान तथा केंद्रीयकृत हस्तक्षेप और बहुक्षेत्रक कारवाई के माध्यम से बाल लिंगानुपात (सीएसआर) में कमी के मुद्दे का समाधान करना है।

हाल में डीएवाई–एनआरएलएम के महिला स्वयंसहायता समूहों ने कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला करने में भी अग्रिम पंक्ति के रूप में कार्य किया। ये महिला समूह मॉस्क, सुरक्षात्मक गियर किट, सैनिटाइज़र और हैंडवॉश जैसे कई उत्पादों के निर्माण में मज़बूत कार्यबल के रूप में उभरे। इन महिला एसएचजी द्वारा तैयार किए गए फेस मॉस्क कोविड–19 लॉकडाउन अवधि के दौरान सबसे सफल उत्पाद रहा।

वर्ष 2020–21 के बजट में कहा गया था कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के विस्तार को 405 ज़िलों में बहुस्तरीय हस्तक्षेप तथा 235 ज़िलों में सक्रिय ज़िला मीडिया तथा सहायता की पहुंच के माध्यम से सभी 640 ज़िलों (2011 की जनगणना के अनुसार) को शामिल करते हुए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस कार्यक्रम में मानव संसाधन और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालयों की भी भागीदारी है। इसमें संरक्षकों को अपनी बेटियों को पढ़ाने और उन्हें ताकतवर बनाने के लिए साधनों को एकत्र करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन)–नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे–5 में यह बात सामने आई कि पिछले पांच साल में भारत में सैनिटेशन, पेयजल और ईंधन तक लोगों की पहुंच आसान हुई है, इसके बावजूद कुपोषण में वृद्धि सवाल खड़े करती है। अक्तूबर 2020 में जारी 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स' में भारत का स्कोर 27.2 था। दुनिया के 107 देशों में हुए इस सर्वेक्षण में भारत 94वें नंबर पर है। कुपोषण की इस गंभीर स्थिति को देखते हुए ही प्रधानमंत्री ने 8 मार्च, 2018 'पोषण' अभियान की घोषणा की थी, जो 'प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रीशन' का संक्षिप्त रूप है। यह कार्यक्रम गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली स्त्रियों, किशोरियों और बच्चों पर केंद्रित है, जिसे आयुष मंत्रालय के माध्यम से चलाया जा रहा है। देश की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में भोजन एवं आहार पर विशेष ज़ोर दिया जाता है। पोषण अभियान को गति देने के लिए इस ज्ञान के भंडार को वैज्ञानिक रूप से अनुकूलित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना–प्रधानमंत्री ने 31 दिसंबर, 2016 को देश के नाम अपने संबोधन में पात्र गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए मातृत्व लाभ कार्यक्रम को पूरे देश में लागू कराने की घोषणा की थी। यह केंद्र प्रायोजित स्कीम है, जिसमें राज्यों और विधानसभा वाले संघशासित प्रदेशों को 60:40, पूर्वोत्तर और हिमालयी प्रदेशों को 90:10 और विधानमंडल रहित केंद्रशासित प्रदेशों को 100 प्रतिशत अनुदान सहायता दी जाती है। इस स्कीम का उद्देश्य मातृत्व के कारण होने वाली मजदूरी की क्षतिपूर्ति करना है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसव के उपरांत महिला को डीबीटी पद्धति से 5000 रुपये और जननी सुरक्षा योजना के तहत कुछ और राशि प्रदान की जाती है, ताकि औसतन 6000 रुपये की धनराशि महिला को प्राप्त हो जाए। यह धनराशि गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए प्रदान की जाती है। अब इस योजना के अंतर्गत घर बैठे ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। यह सुविधा प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत आरंभ की गई है। गत 28 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत एक विशेष अभियान चलाया गया।

उज्ज्वला–अनैतिक दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए यह एक विस्तृत स्कीम है, जो महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के अधीन संचालित होती है। इसका उद्देश्य वाणिज्यिक यौन शोषण के अनैतिक दुर्व्यापार की पीड़ित स्त्रियों का बचाव, पुनर्वास तथा परिवारों से पुनर्मिलन और प्रत्यावर्तन कराना है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना–"स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन" के नारे के साथ केंद्र सरकार ने 1 मई, 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सामाजिक कल्याण योजना–प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। यह योजना धुआंरहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है और इसमें गरीबी–रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इससे एलपीजी के उपयोग में वृद्धि

होगी और स्वास्थ्य संबंधी विकार, वायु प्रदूषण एवं वनों की कटाई को कम करने में मदद मिलेगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)– इस कार्यक्रम का उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ–सुथरा रखना है। इसमें व्यक्तिगत, क्लस्टर और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच की समस्या को कम करना या पूरी तरह समाप्त करना है। खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) स्थिति के बाद सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना सुनिश्चित करना भी इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। यह कार्यक्रम ग्रामीण स्त्रियों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आया है। एक समय था, जब रात में या खराब मौसम में स्त्रियों का बाहर निकलना दिक्कत तलब था। स्कूलों में शौचालय नहीं होने के कारण लड़कियों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी।

किशोरियों के लिए स्कीम–सरकार ने 11–14 साल की स्कूल बाह्य किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस स्कीम को शुरू किया है। साथ ही, स्कूलों को छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा या व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 1 अप्रैल, 2018 के बाद से यह योजना देश के सभी ज़िलों में लागू कर दी गई है।

महिला शक्ति केंद्र–भारत सरकार ने सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक कार्यान्वित करने के लिए महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना का फैसला किया; पहले से चल रहे राष्ट्रीय महिला मिशन योजना का इसमें विलय कर दिया गया। शुरुआत में 115 सबसे पिछड़े ज़िलों में कॉलेजों के छात्र स्वयंसेवकों के माध्यम से समुदायों की भागीदारी की संकल्पना की गई है। चरणबद्ध तरीके से 640 ज़िलों में महिला केंद्रों की स्थापना की परिकल्पना है।

स्वाधार गृह– 'स्वाधार गृह' योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों की शिकार महिलाओं के लिए समाधान निकालना है, जिन्हें पुनर्वास के लिए संस्थागत सहायता की ज़रूरत है ताकि वे अपने जीवन को गरिमापूर्ण ढंग से जी सकें। ऐसी महिलाओं के लिए आश्रय, भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य की संकल्पना की गई है तथा आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

उद्यमी महिलाओं की सहायता

ग्रामीण स्त्रियों को अपने पैरों पर खड़ा करने में सरकार की भूमिका कई स्तरों पर है। महिलाओं को एक तरफ आर्थिक सहायता और समर्थन की ज़रूरत है, वहीं शिक्षण–प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसके तहत कई तरह की योजनाएं हैं।

दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई–एनआरएलएम)–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण स्त्रियों के लिए काफी व्यापक मंच है। इसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धन महिलाओं को स्वयंसहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना और एक समयावधि के अंदर आय में उचित वृद्धि प्राप्त करने तक उनकी सहायता करना है। कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयंसहायता समूहों और उनके संघों को आजीविका कार्यकलापों में सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्य वित्तीय सहायता निधि और सामुदायिक निवेश निधि है। कार्यक्रम में बैंकों से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से 3 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त करने के लिए महिला स्वयंसहायता समूह को ब्याज सहायता देने का भी प्रावधान है। चुने गए 250 पिछड़े ज़िलों में ऋण का पुनर्भुगतान समय पर कर दिया जाता है, तो ब्याज दर को घटाकर 4 प्रतिशत करते हुए अतिरिक्त ब्याज सहायता दी जाती है।

महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) इसके घटकों में से एक है। इसका लक्ष्य गरीबों के लिए मौजूदा कृषि आधारित आजीविकाओं को सुदृढ़ बनाना और खेती तथा उत्पादकता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना भी है।

स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसजीईपी) दीनदयाल अंत्योदय योजना– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2016 से एक उप–योजना के रूप में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों की उद्यम स्थाापना में मदद करना और उनके स्थिर होने तक सहायता उपलब्ध कराना है। हाल में डीएवाई–एनआरएलएम के महिला स्वयंसहायता समूहों ने कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला करने में भी अग्रिम पंक्ति के रूप में कार्य किया। ये महिला समूह मॉस्क, सुरक्षात्मक गियर किट, सैनिटाइज़र और हैंडवॉश जैसे कई उत्पादों के निर्माण में मज़बूत कार्यबल के रूप में उभरे। इन महिला एसएचजी द्वारा तैयार किए गए फेस मॉस्क कोविड–19 लॉकडाउन अवधि के दौरान सबसे सफल उत्पाद रहा। इसमें 2.96 लाख एसएचजी सदस्य (59 हजार एसएचजी) शामिल हैं, जिन्होंने लगभग 150 दिनों में 23.37 करोड़ फेस मॉस्क बनाए और लगभग 357 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यापार किया। कुछ महिला एसएचजी सामुदायिक रसोई को चलाने में शामिल थीं और उन्होंने 5.72 करोड़ से अधिक कमज़ोर समुदाय के सदस्यों के लिए तैयार भोजन उपलब्ध कराया।

स्टैंडअप इंडिया ऋण योजना–अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, जनजातियों और महिला उद्यमियों के लिए इस योजना को 5 अप्रैल, 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। इस योजना का उद्देश्य इस वर्ग के बीच उद्यमशीलता और रोज़गार को बढ़ावा देना है। योजना का लाभ लेने के लिए गैर–व्यक्तिगत मामले में अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति या महिला की कारोबार में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी होनी चाहिए। इस योजना के तहत ऋण केवल ग्रीन फील्ड परियोजना के लिए उपलब्ध है। ग्रीनफील्ड का मतलब है कि निर्माण या सेवाओं या व्यापार के क्षेत्र में लाभार्थी पहली बार काम कर रहा है।

राष्ट्रीय महिला कोष–राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक सूक्ष्म वित्त संगठन है। सरकारी एवं गैर–सरकारी संगठनों, महिला संघों तथा सहकारी बैंकों के माध्यम से गरीब महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए 1993 में इसे गठित किया गया। इसके ऑपरेटिंग मॉडल में यह एक सुविधा एजेंसी है, जो गैर–सरकारी संगठनों एनजीओ/मध्यवर्ती सूक्ष्म वित्तपोषण संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों को ऋण प्रदान करता है। ये संगठन आगे स्वयंसहायता समूहों व अन्य महिला समूहों को ऋण उपलब्ध कराते हैं। यह जीविका, सूक्ष्म उद्यम, आवास, तथा पारिवारिक ज़रूरतों के लिए ज़मानत के बगैर ग्राहक अनुकूलित तथा बाधामुक्त विधि से ऋण प्रदान करता है। इसके ज़रिए महिला ई–हाट के कार्यों को भी बढ़ावा मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों को रोज़गार में मदद करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

स्टेप (सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वीमैन) स्त्रियों के प्रशिक्षण एवं रोज़गार कार्यक्रम को सहयोग देना–इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को कौशल प्रदान करके उनकी रोज़गार क्षमता, कुशलता और दक्षता को बढ़ाना है जिससे महिलाएं स्व–नियोजित/ उद्यमी बन सकें।

ग्रामीण महिला टेक्नोलॉजी पार्क (आरडब्ल्यूटीपी)– 'बेटी पढ़ाओ–बेटी बचाओ' अभियान को मूर्त रूप देने और ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में ग्रामीण महिला टेक्नोलॉजी पार्क की पहल भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण स्त्रियों को आधुनिक तकनीक और सामान्य विज्ञान से परिचित कराना है। इनमें किसी भी उम्र की ग्रामीण महिलाएं शामिल हो सकेंगी। शिक्षित होना भी ज़रूरी नहीं है। इसमें सामान्य कंप्यूटर शिक्षा, परंपरागत हुनर तराशने के साथ हैल्थकेयर, डिजिटल मार्केटिंग, फूड प्रोसेसिंग की जानकारी भी मिलेगी। पिछले दिनों सीएसआईआर–उत्तर–पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, ज़ोरहाट के तहत ग्रामीण महिला प्रौद्योगिकी पार्क ने विभिन्न उत्पादों जैसे हैंड सैनिटॉइज़र, मॉस्क और तरल कीटाणुनाशक के निर्माण के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया, जिससे यह बात साबित हुई कि ग्रामीण स्त्रियों को सहायता मिले, तो वे बेहतरीन परिणाम दे सकती हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)– प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल, 2015 को नई दिल्ली में की थी। मुद्रा शब्द 'माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी' का संक्षिप्त रूप है। इस योजना के दो उद्देश्य हैं– पहला, स्वरोज़गार के लिए आसानी से ऋण देना; दूसरा, छोटे उद्यमों के जरिए रोज़गार का सृजन करना। ग्रामीण क्षेत्र में महिला उद्यमियों के बीच यह योजना लोकप्रिय हुई है। इसमें सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग शॉप, पापड़, जेली–जैम और अचार बनाने, पारंपरिक ज़री, चिकन, ज़रदोज़ी और हाथ की कढ़ाई वगैरह कुछ ऐसे काम हैं, जिन्हें महिलाएं शुरू कर सकती हैं।

निष्कर्ष

महिला–सशक्तीकरण के अनेक आयाम हैं। उपरोक्त दो श्रेणियों को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। अलग–अलग मंत्रालयों और विभागों से जुड़े जो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूप से स्त्रियों के सशक्तीकरण से जुड़े हैं, उनके अलावा बहुत से कार्यक्रम हैं, जिनका प्रभाव परोक्ष रूप से पड़ता है। इनमें शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम हैं। बुनियादी रूप से यह सामाजिक बदलाव का विषय है, जिसमें पूरे समाज की भूमिका है। सरकारी कार्यक्रमों की सफलता भी काफी हद तक सामाजिक–सांस्कृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। पर जितना काम इस दिशा में हुआ है, उससे भविष्य उज्ज्वल नज़र आता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

ई–मेल : pjoshi23@gmail.com

सूकर पालन: कम पूंजी से अच्छी कमाई

–श्रवण शुक्ला

सूकर पालन के जरिए बेहद कम लागत में और कम समय में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसे शुरू करने के लिए कम पूंजी और कम जगह की ज़रूरत पड़ती है, बनिस्बत अन्य किसी काम के। यही नहीं, इसके लिए स्थानीय–स्तर पर लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और उन्हें किस तरह से सरकारी मदद मिल सकेगी, इसके बारे में भी जागरूकता फैलाई जा रही है। इस लेख के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरह देश के किसी भी हिस्से में रहते हुए सूकर पालन कर अच्छी कमाई की जा सकती है।

कोरोना महामारी के इस काल में पूरी दुनिया रोज़गार के संकट से जूझ रही है। आर्थिक असमानता तेज़ी से बढ़ी है। पलायन पहली बार अपने उलट स्वरूप में सामने आया, जब शहरों से लोग आपने गांवों की ओर भागे। संकट का समय अब भी है। टकटकी लगाए लोग कोरोना वैक्सीन की राह देख रहे हैं। रोज़गार के तरीके ढूंढे जा रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण भारत पर भी इसका जबर्दस्त असर पड़ा है। कामगार ज़्यादा हैं, मज़दूरी कम हो रही है। हालांकि भारत सरकार लगातार मनरेगा, मुफ्त अनाज, किसानों को नकद मदद, प्रधानमंत्री जन–धन योजनाओं के तहत खुले हरेक खाते में पैसे भेजने जैसी योजनाओं के सहारे ग्रामीण भारत में लिक्विडिटी बनाए रखने में सफल दिख रही है। इसके अलावा, भारत सरकार कम आय वर्ग और गरीब लोगों के लिए तमाम योजनाएं भी चला रही है। अपना काम शुरू करने के लिए बिना गारंटी के ऋण भी उपलब्ध करा रही है। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के माध्यम से कृषि कार्य को सरल बना रही है। यही नहीं, भारत सरकार मछली पालन, सूकर पालन, गौपालन जैसे कामों के लिए न सिर्फ सब्सिडी दे रही है, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर ऋण सुविधा भी दे रही है। ऐसे में ग्रामीण भारत में इस समय सबसे फायदे वाले कामों में सूकर पालन का काम तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है।

सूकर पालन की शुरुआत

इस व्यवसाय की शुरुआत करने से पहले इस व्यवसाय का शुरूआती ज्ञान होना आवश्यक है। इसके बाद यह ज़रूरी है कि इस व्यवसाय में आने वाले खर्च, स्थान का चुनाव, सूकर की प्रजाति का सही ज्ञान होना, सही बाज़ार का पता होना और इसके अलावा आने वाले जोखिमों जैसे की पशुओं में होने वाली बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है; यह सब जानकारी होना आवश्यक है। यदि किसान या अन्य कोई व्यक्ति सूकर पालन की शुरुआत करते हैं या फिर कर चुके हैं, यह उनके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। मांस उत्पादन में दूसरे पशुओं के मुकाबले सूकर से अच्छा मांस प्राप्त हो जाता है। सूकर पालन के व्यवसाय में इनके रहने के स्थान और अन्य सामग्री पर कम निवेश की आवश्यकता होती है। अच्छी आय के नजरिए से इसके पालन से जल्दी ही 6 से 8 महीनों में अच्छी कमाई होनी शुरू हो जाती है। मादा सूकर एक बार में 10 से 12 बच्चों को जन्म देती है। ये साल में तीन बार बच्चों को जन्म देती है। एक बच्चा 8–9 महीने में बड़ा हो जाता है। सूकर पालन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें

सूकर पालन के लिए स्थान का सावधानीपूर्वक चुनाव

सूकर पालन के लिए सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है भूमि की उपलब्धता। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास पर्याप्त जगह हो। ये जगह भीड़भाड़ से दूर हो। अगर आप 20 सूकर पालना चाहते हैं, तो इसके लिए कम से 20 वर्ग मीटर की जगह आपके पास हो। इसके अलावा प्रजनन के लिए अलग जगह भी हो।

आने वाले खर्च का हिसाब–किताब

सूकर पालन आप किस स्तर पर कर रहे हैं, लागत इस पर निर्भर करता है। अगर आप 20 सूकर पालना चाहते हैं, तो साल भर में आपकी लागत करीब 3 लाख रुपये आएगी। आप लागत की सही जानकारी के लिए अपने स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र की मदद ले सकते हैं। हालांकि सूकर पालन में उनके रहने की व्यवस्था, लेबर, भोजन सामग्री, प्रजनन और दवाओं पर थोड़ा खर्च आता है।

सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता

सूकर पालन की शुरुआत के लिए सरकार की और से मिलने वाली सहायता ऋण के रूप में मिलती है। इसमें कुछ सरकारी संस्था जैसे नावार्ड और सरकारी बैंकों की तरफ से लोन दिया जाता है। अगर आपने एक लाख से कम की धनराशि का ऋण लिया है, तो उसका ब्याज शून्य रहेगा। क्योंकि इसकी भरपाई सरकार स्वयं कर रही है। हालांकि ऋण की रकम बढ़ने पर ब्याज दर 10–18 प्रतिशत तक हो सकती है। ऋण लेते समय स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र जाकर सलाह ले सकते हैं।

शुरुआती प्रशिक्षण

सूकर पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लेना जरूरी होता है। इसके लिए ब्लॉक–स्तर पर और कृषि विज्ञान केंद्र पर संपर्क करें। कृषि विज्ञान केंद्र अक्सर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते रहते हैं। इस दौरान आपको सूकर की प्रजातियों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।

अच्छी नस्ल का चुनाव ज़रूरी

अधिक कमाई करने के लिए किसानों या उद्यमी को अच्छी

सफलता की कहानी

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले के रहने वाले सौरभ वर्मा ने बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ समय नौकरियां की और फिर उन्होंने सूकर पालन का काम शुरू किया। इसके लिए उन्हें न सिर्फ़ बैंक से लोन मिला, बल्कि सरकारी मदद भी मिली और सब्सिडी भी। सौरभ वर्मा आज खुद का सूकर फॉर्म चलाते हैं और पिछले पांच वर्षों के दौरान करीब 45 लाख रुपये कमा चुके हैं। सौरभ वर्मा दोस्तपुर ब्लॉक के छिटेपट्टी गांव के निवासी हैं। उन्होंने अपने साथ करीब 40 किसानों को सूकर पालन से जोड़ा है। अपने साथ वो इन किसान परिवारों का भी फायदा करा रहे हैं। सौरभ वर्मा ने बताया कि उन्होंने 2015 में ये काम शुरू किया था और आज उनके प्रोडक्ट की डिमांड दूर–दूर तक है। स्थानीय बाज़ार में भी उनके उपभोक्ता हैं। उन्होंने बताया कि सुल्तानपुर के कृषि विज्ञान केंद्र से उन्हें काफी मदद मिली। काम शुरू करने के लिए मानसिक रूप से तैयार में मदद करने से लेकर प्रशिक्षण तक में कृषि विज्ञान केंद्र ने काफी मदद की है। उन्होंने अपना पूरा काम महज आधे हेक्टेयर ज़मीन पर जमा लिया है। पिछले 5 वर्षों में उन्होंने लागत के तौर पर करीब 28 लाख रुपये खर्च किए हैं और इसके बदले में उन्होंने 75 लाख रुपये के आसपास कमाई की जिसमें बचत का आंकड़ा 45 लाख रुपये के आसपास रहा। आज सौरभ न सिर्फ सूकर पालन कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ ही वो सूकर पालन से जुड़ी दवाइयों की भी सप्लाई कर रहे हैं, चूंकि अपने साथ जुड़े किसानों को तकनीकी सहायता से लेकर उनके जानवरों के लिए दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में सूकर पालन से ही जुड़ा हुआ कमाई का एक और ज़रिया भी खुल चुका है।

सुल्तानपुर स्थित आईसीएआर–कमला नेहरू कृषि विज्ञान केंद्र में अधिकारी अतुल कुमार सिंह ने बातचीत में बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र सूकर पालन से जुड़ी न सिर्फ तकनीकी सहायता दे रहा है बल्कि युवाओं को ट्रेनिंग भी दे रहा है। उन्होंने कहा कि हम ब्रीडिंग से लेकर फंडिंग तक में युवाओं की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूकर पालन का व्यवसाय न सिर्फ कम पूंजी और कम जगह में शुरू हो सकता है, बल्कि ये अच्छी आय भी सुनिश्चित करता है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया हैं कि वो अपनी झिझक छोड़कर इस काम से जुड़ें और कम समय में अपने पैरों पर खड़े हो जाएं।

उत्पादक नस्ल का चुनाव करना चाहिए। कुछ उत्पादक नस्लें टैमर्थ (इंग्लिश नस्ल) हेम्पशायर, राशियन चर्मुखा, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, लैंड्रेस, मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर।

सूकर का मांस अत्यधिक पौष्टिक होता है। उसमें वसा अधिक होती है और पानी की मात्रा कम होती है। इसमें थियामिन, नियासिन और रिबोफ्लोविन जैसे विटामिन अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मांस उपलब्ध कराने के अलावा ये खाद के भी अच्छे स्रोत हैं। व्यापक रूप से कृषि फार्मों और मछली तालाबों के लिए सूकर खाद का प्रयोग किया जाता है। साथ ही, चूंकि सूकर में वसा तेज़ी से बढ़ती है जिसके लिए पोल्ट्री फीड सहित साबुन, पेंट और अन्य रासायनिक उद्योगों में बहुत मांग है। सूकर उत्पादों की घरेलू के साथ–साथ निर्यात बाज़ार में भी अच्छी मांग है।

संक्षेप में, सूकर पालन बेरोज़गार युवकों के साथ–साथ मौसमी रूप से ग्रामीण किसानों को भी रोज़गार के अवसर प्रदान करेगा और अनुपूरक आय भी होगी जिससे उनके जीवन–स्तर में सुधार होगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)
ई–मेल : epatrakaar@gmail.com

हर गांव-हर घर में पोषण वाटिका की ज़रूरत

–डॉ. नन्दकिशोर साह

फल एवं सब्जियां भोजन का अभिन्न हिस्सा हैं एवं भोजन को संतुलित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। पोषण वाटिका को आर्थिक बचत का ज़रिया व स्वस्थ रहने के लिए जाना जाता है। फल–सब्जियों के बिना मानव स्वस्थ नहीं रह सकता। कुपोषण मुक्त भारत निर्माण के लिए हर गांव–हर घर में पोषण वाटिका बनाने की पूरज़ोर कोशिश हो रही है। पोषण जागरूकता के लिए महिलाओं को घर में हरी सब्जियां उगाने और नियमित रूप से खाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

संतुलित भोजन एक स्वस्थ शरीर का आधार है। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है, जिसका उनके स्वास्थ्य, शारीरिक विकास एवं उत्पादकता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। फल एवं सब्जियां भोजन का अभिन्न हिस्सा हैं एवं भोजन को संतुलित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। घरेलू–स्तर पर पोषण सुनिश्चित करने के लिए अनेक तकनीके उपलब्ध हैं जिसमें से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्वयंसहायता समूहों के सदस्यों के साथ "प्रेरणा पोषण वाटिका" को विकसित करने का निर्णय लिया गया है।

कुपोषण मुक्त भारत निर्माण के लिए हर गांव–हर घर में पोषण वाटिका बनाने की पूरज़ोर कोशिश हो रही है। पोषण जागरूकता के लिए महिलाओं को घर में हरी सब्जियां उगाने और नियमित रूप से खाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। महिलाओं ने अपने परिवार को पोषण के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जनांदोलन छेड़ रखा है।

पोषण वाटिका को आर्थिक बचत का जरिया व स्वस्थ रहने के लिए जाना जाता है। फल–सब्जियों के बिना मानव स्वस्थ नहीं रह सकता। दैनिक आय का एक हिस्सा सब्जी खरीदने में चला जाता है। ऐसे में घर के पास बेकार पडी ज़मीन को उपयोग में लाकर वहां ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा सम्पोषित समूह की महिलाएं प्रेरणा पोषण वाटिका लगा रही हैं। इसमें साग–सब्जियों के अलावा आम, अमरूद, आंवला, नीबू इत्यादि के पौधे लगाए जा सकते हैं। इससे बाजार से सब्जियां लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और ताजा सब्जियां अपनी वाटिका से मिल जाती हैं। इससे शरीर स्वस्थ रहता है। आंवला को अमृत के समान बताया गया है। इसका फल हर बीमारी में फायदेमंद है।

आर्थिक एवं पर्यावरण महत्ता के कारण पोषण वाटिका एक विवेकसंगत कृषि उत्पादन प्रणाली तथा किसी भी गृह निवास का एक अभिन्न अंग बन सकती है। उद्यानिकी उत्पादों के बढ़ते मूल्य, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा पारिवारिक–स्तर पर उचित पोषण के अभाव जैसी समस्याओं से निजात पाने का यह वाटिका एक सरल एवं सस्ता विकल्प है।

उत्तर प्रदेश के 52 जनपद के 340 विकासखंडों में 5140 ग्राम पंचायतों में 16010 आजीविका सखी चयनित हैं। 3,48,591 महिला किसान प्रशिक्षित हैं। समूह की महिलाएं न पूरे राज्य में 50,103 किचन गार्डन और 1,20,202 प्रेरणा पोषण वाटिका बनाकर स्वास्थ्यवर्धक रचनात्मक कार्य कर रही हैं। कई क्षेत्र नेपाल के सीमावर्ती तराई और जंगली होने के कारण जंगली जानवरों– बंदर, नील गाय, हिरण और हाथी द्वारा फसल रुपाई से लेकर कटाई तक लगातार नुकसान किया जाता है। इन परिस्थितियों के बावजूद महिलाओं का कार्य उत्साहवर्धक है।

पोषण वाटिका किसानों को मानसिक रूप से खुशी देता है। वाटिका में महिला किसान जैविक खाद एवं जैविक कीटनाशक का प्रयोग कर बिना किसी लागत के अपने घर के आसपास खाली पड़ी

पोषण वाटिका बनाने की विधि

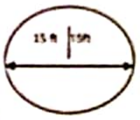

1. चयनित जगह से पत्थर आदि को साफ कर लें।
2. 30 फीट लम्बे फीते को पकड़कर मध्य में खड़े होकर, पकड़ कर चारों ओर घूम कर जगह नाप लें
3. सर्वप्रथम फीते को 3 फीट पर पकड़ कर चूने से या राख से निशान बनाते हुए गोल घूम जाएं, इसी प्रकार 4.5 फीट, 6 फीट, 10.5 फीट और अंत में 15 फीट पर गोल घूमते हुए निशान बना लें।

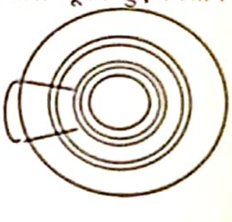

4. इस गोल बने घेरे को 7 बराबर भागों में बांटने के लिए 12 फीट फीते को बाहरी घेरे की परिधि पर रखकर निशान बना ले और इसे मध्य घेरे से जोड़ लें।

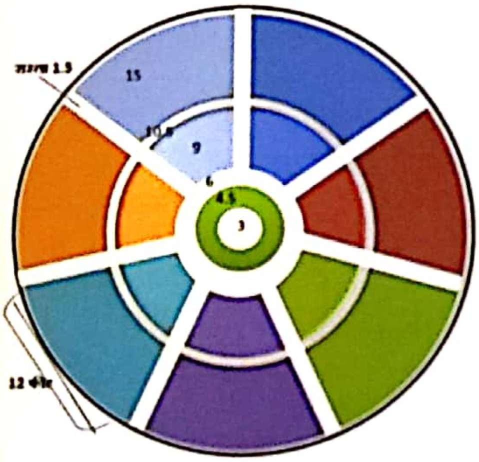

5. बनी हुई आकृति पर 9 इंच मोटी मिट्टी व गोबर खाद की परत बिछाई जाती है जिससे क्यारी ज़मीन से ऊपर उठ जाती है जो बारिशों में फसल को डूबने से बचाती है।
6. खाद व मिट्टी की परत बिछने के बाद क्यारियों मे बीज बोये जाते है।

ज़मीन पर उपयोगी शुद्ध जैविक सब्जियां उगा रही हैं।

पोषण वाटिका लगाने के अनेक लाभ हैं जैसे हर मौसम में ताज़ी साग–सब्ज़ी उपलब्ध होगी, बच्चों एवं गर्भवती स्त्री के लिए ताज़े फल मिलेंगे, हरे–भरे वातावरण से वायु का शुद्धिकरण होगा और जो कम आय के तबके के लोग हैं उन्हें बाजार से सब्ज़ियां एवं फल नहीं खरीदने पड़ेंगे, जिससे उनके खर्चों में कमी आएगी।

पोषण वाटिका घर के अगल–बगल या आंगन मे ऐसी खुली जगह पर होती हैं, जहां पारिवरिक श्रम से परिवार के इस्तेमाल हेतु विभिन्न मौसमों में फल तथा विभिन्न सब्जियां उगाई जाती हैं। पोषण वाटिका का मकसद रसोईघर के पानी व कूड़ा–करकट का इस्तेमाल करके घर की फल व साग–सब्जियों की दैनिक ज़रूरतों को पूरा करना है।

आजकल बाज़ार में बिकने वाली चमकदार फल–सब्जियों को रासायनिक उर्वरक प्रयोग करके उगाया जाता है। रसायनों का इस्तेमाल खरपतवार, कीड़े व बीमारियां रोकने के लिए किया जाता है। इन रासायनिक दवाओं का कुछ अंश फल–सब्जी में बाद तक बना रहता है, जिसके कारण उन्हें इस्तेमाल करने वालों में बीमारियों से लड़ने की ताकत कम होती जा रही है। इसके अलावा, फलों व सब्जियों के स्वाद में अंतर आ जाता है। इसलिए हमें अपने घर के आंगन या आसपास की खाली जगह में छोटी–छोटी क्यारियां बना कर जैविक खादों का इस्तेमाल करके रसायन–रहित फल–सब्जियों को उगाना चाहिए। इसके लिए स्थान चुनने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अधिकतर ये स्थान घर के पीछे या आसपास ही होते हैं। घर से मिले होने के कारण थोड़ा कम समय मिलने पर भी काम करने में सुविधा रहती है। वाटिका के लिए ऐसा स्थान देने जहां पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सके, जैसे नलकूप या कुएं का पानी, स्नान का पानी, रसोईघर में इस्तेमाल किया गया पानी जो पोषण वाटिका तक पहुंच सके। स्थान खुला हो ताकि उसमें सूरज की भरपूर रोशनी आसानी से पहुंच सके। ऐसा स्थान हो, जो जानवरों से सुरक्षित हो और उस स्थान की मिट्टी उपजाऊ हो। जैविक उत्पाद (रसायन रहित) होने के कारण फल व सब्जियों में काफी मात्रा में पोषक तत्त्व मौजूद रहते हैं।

बाज़ार में फल–सब्जियों की कीमत अधिक होती है, जिसे न खरीदने से अच्छी–खासी बचत होती हैं। परिवार के लिए ताज़ा फल–सब्जियां मिलती रहती हैं। वाटिका की सब्जियां बाज़ार के मुकाबले अच्छे गुणों वाली होती हैं। गृह वाटिका लगा कर महिलाएं अपनी व अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मज़बूत बना रही हैं।

खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली सब्जियां

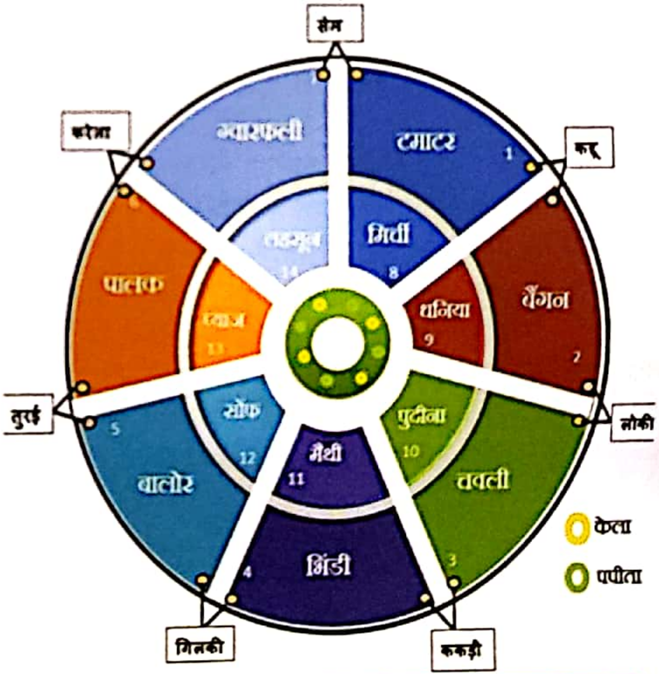

रबी मौसम में उगाई जाने वाली सब्जियां			
क्यारी क्र.	**सब्जियां**	**क्यारी क्र.**	**सब्जियां**
1	फूल गोभी	8	प्याज
2	पत्ता गोभी	9	लहसुन–अदरक
3	चुकंदर	10	धनिया
4	गाजर, अरवी	11	मिर्ची
5	मूली, लाल माजी	12	टमाटर
6	मटर	13	मैथी
7	बैंगन	14	पालक

फल व सब्जियों में पाए जाने वाले विटामिन

नाम	स्रोत	फायदे तथा कमी से होने वाले नुकसान
विटामिन ए	गाजर, पत्तागोभी, कद्दू, पालक, टमाटर, अंगूर, आम, पपीता, तरबूज, गाय का दूध	हड्डियों को मज़बूती देना, इसकी कमी से रतौंधी रोग व मसूड़ों का कमजोर होना व संक्रमण होना
विटामिन बी1	भाजी, भुट्टा, ग्वार, भिंडी, आलू, अनार, आम, तरबूज, अमरूद, गाय का दूध	मांसपेशियों को मज़बूत बनाना, मस्तिष्क को चुस्त रखना
विटामिन बी2	ग्वार, कद्दू, मटर, शकरकंद, केला, अंगूर, आम, अनार	लाल ग्रंथियों का निर्माण करता है, इसकी कमी से त्वचा रोग व जीभ का फटना, आंखों का लाभ होना
विटामिन बी3	भुट्टा, भिंडी, मटर, टमाटर, शकरकंद	भोजन को ऊर्जा में बदलना, इसकी कमी से बालों का सफेद होना, मंदबुद्धि होना
विटामिन बी5	भिंडी, आलू, कद्दू, शकरकंद, ग्वार, अमरूद, अनार, तरबूज	शरीर में नए हार्मोन बनाता है; इसकी कमी से त्वचा में दाग होना
विटामिन बी6	शिमलामिर्च, मटर, भिंडी, मटर, आलू	इसकी कमी से एनीमिया, त्वचा रोग, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन
विटामिन बी7	फूलगोभी कच्चा	इसकी कमी से लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना
विटामिन बी9	पालक, टमाटर, पत्तागोभी, भिंडी, आलू, पपीता, अमरुद, अनार	फोलिक एसिड अधिक मात्रा में गर्भावस्था के पूर्व व पश्चात आवश्यक तत्व
विटामिन सी	टमाटर, नींबू, संतरा, शिमलामिर्च, मूली के पत्ते, हरा धनिया, पालक, संतरा, आंवला, अंगूर	रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, कैंसर व हृदय संबंधी बीमारियों को होने से रोकना, रक्तचाप को नियंत्रित रखना, इसकी कमी से मसूड़ों से खून बहना, हड्डियों में कमज़ोरी व उच्च रक्तचाप की बीमारी होना।
विटामिन ई	आलू, हरी पत्तेदार सब्जियां	इसकी कमी से नज़र का कमज़ोर होना, चलते हुए लड़खड़ाना, कमज़ोरी, जनन क्षमता कम होना
विटामिन के	पत्तागोभी, गाजर, फूलगोभी, भिंडी, पालक, मटर, टमाटर, आम, अंगूर, अनार	इसकी कमी से रक्त का थक्का बनता है।

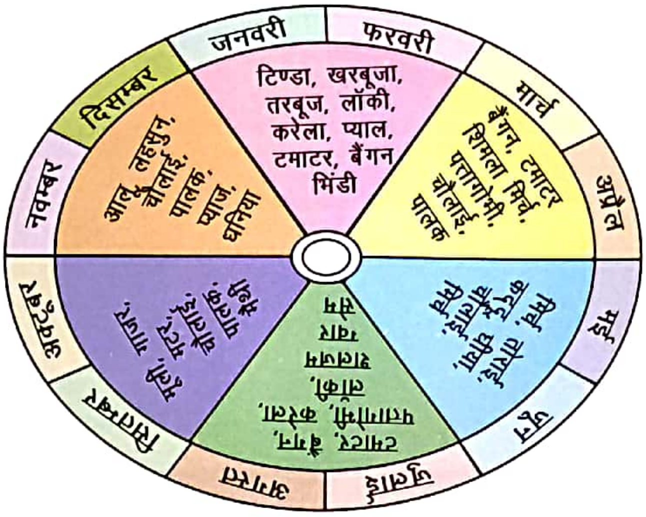
जनवरी
फरवरी
मार्च
अप्रैल
मई
जून
जुलाई
अगस्त
सितम्बर
अक्टूबर
नवम्बर
दिसम्बर
टिण्डा, खरबूजा, तरबूज, लॉकी, करेला, प्याल, टमाटर, बैंगन भिंडी
बैंगन, टमाटर शिमला मिर्च, पत्तागोभी, चौलाई, पालक
मिर्च, तोराई, घीया, कद्दू, चौलाई, मिर्च
टमाटर, बैंगन, पत्तागोभी, करेला, लॉकी, शलजम ग्वार सेम
मूली, गाजर, मटर, चौलाई, पालक, मैथी
आलू, लहसुन, चौलाई, पालक, प्याज, धनिया

पोषण वाटिका से प्राप्त मौसमी फल व सब्जियों को परिरक्षित करके सालभर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बच्चों के प्रशिक्षण का भी अच्छा साधन है। यह मनोरंजन और व्यायाम का भी एक अच्छा साधन है। इससे न केवल घरेलू–स्तर पर पोषण सुनिश्चित होगा बल्कि श्रम एवं समय का सदुपयोग होगा तथा परिवार की आर्थिक स्थिति भी मज़बूत होगी। उन्हें वर्षभर जैविक तरीके से उत्पादित सब्जी मिलेगी। बहुस्तरीय फसल विधि के माध्यम से उगाई गई सब्जी तथा जैविक खाद के प्रयोग से शुद्ध सब्जी की उपलब्धता वर्ष भर सुनिश्चित हो रही है।

अभिभावकों को घर में हरी सब्जियां उगाने और नियमित रूप से सेवन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। घर में प्लास्टिक के टूटे बर्तन में मिट्टी डालकर लौकी, तरोई, कद्दू, भिंडी आदि इसमें उगा सकते हैं। यह सब्जियां कैमिकल से पूरी तरह मुक्त रहेंगी और इसमें भारी मात्रा में पोषक तत्व भी मिलेगा। इन सब्जियों के सेवन से बच्चों का शारीरिक विकास ठीक ढंग से होगा।

पोषणवाटिका में पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, मूली, गाजर, शलजम, शिमला मिर्च, बैंगन, टमाटर, मिर्च तथा काशीफल के साथ ही नींबू, आंवला, अनार, पपीता, फालसा, जामुन, अमरुद, सहजन के वृक्ष लगाए जा सकते हैं।

नियमित रुप से सब्जी व फल भोजन में प्रयोग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत रहती है। भोजन में पोषक तत्वों की कमी ही मुख्य रुप से कुपोषण का कारण है। कुपोषण से सुपोषण की ओर जाने के लिए पोषण वाटिका का बहुत महत्व है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा सामाजिक जुड़ाव और संस्था निर्माण में उल्लेखनीय उपलब्धि के बावजूद समूह को पोषण वाटिका के लिए मनरेगा से अभिसरण कर ग्रामीण महिलाओं को प्रोत्साहित करना जरूरी है। इससे सामाजिक–आर्थिक उन्नति में सहयोग मिलेगा। पोषण वाटिका के लिए अलग से बजट निर्धारित करना भी लाभदायक होगा।

(लेखक ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े है और समसामयिक मुद्दों पर लिखते रहते हैं।

ई–मेल : nandkishorsah59@gmail.com